



हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

हरियाणा सिविल सेवाएं (सामान्य) नियम, 2016

(दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 तक के संशोधन सम्मिलित किये गए)

परिभाषाएं, सेवा की सामान्य शर्तें, सेवाओं का वर्गीकरण, सेवा अभिलेख, पदग्रहण काल, पदच्युति, हटाया जाना तथा निलम्बन, भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति, भारत के बाहर प्रशिक्षण, विदेश सेवा तथा प्रतिनियुक्ति, सेवा से सेवानिवृत्ति – वर्ग तथा परिस्थितियां



हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

हरियाणा सिविल सेवाएं (सामान्य) नियम, 2016

(दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 तक के संशोधन सम्मिलित किये गए)

परिभाषाएं, सेवा की सामान्य शर्तें, सेवाओं का वर्गीकरण,
सेवा अभिलेख, पदग्रहण काल, पदच्युति, हटाया जाना
तथा निलम्बन, भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति, भारत के
बाहर प्रशिक्षण, विदेश सेवा तथा प्रतिनियुक्ति, सेवा
से सेवानिवृत्ति – वर्ग तथा परिस्थितियां

प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राज्य के मामलों से सम्बन्धित सेवाओं व पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति व सेवा सम्बन्धी शर्तें उपयुक्त विधान सभा के अधिनियमों द्वारा विनियमित होंगी और जब तक उपयुक्त विधान सभा के अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जाता तब तक राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं।

2. हरियाणा राज्य के कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी शर्तों को विनियमित करने हेतु पंजाब सिविल सेवा नियमावली के तीनों खण्ड, जो हरियाणा राज्य के पुनर्गठन से अर्थात् दिनांक 1 नवम्बर, 1966 से लागू थे को राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 19 जुलाई, 2016 से संशोधित किया गया है, जैसे कि—

- (1) हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016
- (2) हरियाणा सिविल सेवा (वैतन) नियम, 2016
- (3) हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016
- (4) हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों के भत्ते) नियम, 2016
- (5) हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016
- (6) हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 2016
- (7) हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016
- (8) हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016
- (9) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016

3. हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 में परिभाषाएं, सेवा की सामान्य शर्तें, सेवाओं का वर्गीकरण, सेवा अभिलेख, पदग्रहण काल, पदच्युति, हटाया जाना तथा निलम्बन, भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति, भारत के बाहर प्रशिक्षण, विदेश सेवा तथा प्रतिनियुक्ति, सेवा से सेवानिवृत्ति – वर्ग तथा प्ररिस्थितियां से संबंधित नियम शामिल हैं।

4. मैं श्री राज पाल नासा, एच०एस०एस०-१, एच०एस०ए०एस० (अब सेवानिवृत्त) और उनकी टीम के सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने समय–समय पर हरियाणा सरकार द्वारा इन नियमों से सम्बन्धित जारी हिदायतें व नीति निर्णयों को शामिल करके हरियाणा सिविल सेवा नियमों का प्रारूप बनाने में निष्कपट प्रयत्न किए।

5. हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं की खोजनीय मृदु प्रति (सर्चबल सापट कापी) वित्त

विभाग की वैबसाइट www.finhry.gov.in पर उपलब्ध हैं। अंग्रेजी भाषा की प्रकाशित प्रतियां मुद्रण एवं लेखन सामाग्री विभाग हरियाणा के विक्रय केन्द्रों पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

6. यदि कोई त्रुटि या चूक ध्यान में आती है तो कृप्या वित्त विभाग हरियाणा सरकार, हरियाणा सिविल सचिवालय, चण्डीगढ़ के ध्यान में लाई जाए ताकि उसका उचित समाधान किया जा सके।

दिनांक : 8 दिसम्बर, 2017

पि. राघवेन्द्र राव
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राज्य के मामलों से सम्बन्धित सेवाओं व पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति व सेवा सम्बन्धी शर्तें उपयुक्त विधान सभा के अधिनियमों द्वारा विनियमित होंगी और जब तक उपयुक्त विधान सभा के अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जाता तब तक राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं।

2. पंजाब सिविल सेवा नियमावली के तीन खण्डों की रचना से पूर्व ऐसे अधिनियम को बनाने की आवश्यकता पर तत्कालीन पंजाब सरकार द्वारा भारत सरकार से विचार-विमर्श किया गया था, तब यह अनुभव किया गया था कि संविधान के लागू होने के पश्चात् अनुच्छेद 309 व संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नियमों के अनेक संग्रह बन चुके थे तथा पुनरीक्षित हो चुके थे। चूंकि उक्त प्रावधान राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को क्रमशः केन्द्र तथा राज्य से सम्बन्धित सेवाओं व पद स्थापना के मामलों के नियम बनाने में सक्षम करता है अतः उपरोक्त अधिनियम का विधेयन आवश्यक नहीं समझा गया था।

3. पंजाब सिविल सेवा नियमावली के तीनों खण्डों के पुनर्लेखन का मामला गत कई वर्षों से हरियाणा सरकार के निरन्तर विचाराधीन था। हरियाणा के राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा सिविल सेवा नियमावली की निम्नलिखित सात पुस्तकों को सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है :—

- (1) हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016
- (2) हरियाणा सिविल सेवा (वितन) नियम, 2016
- (3) हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016
- (4) हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों के भत्ते) नियम, 2016
- (5) हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016
- (6) हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 2016
- (7) हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016

4. हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 तथा हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित किए जायेंगे।

5. इन नियमों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :—
- 1) दिसम्बर 2015 तक हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों तथा निर्देशों का इन नियमों में समन्वय किया गया है और अप्रचलित नियमों या उसके अंशों को समाप्त कर दिया गया है।
 - 2) इन नियमों की भाषा सरल है तथा पाठकों की सुविधा हेतु प्रत्येक नियम के लिए शीर्षक दिए गए हैं।
 - 3) वर्ष 1953 से आज तक समय समय पर उत्पन्न हुए नए शब्दों को परिभाषित किया गया है। एक से अधिक नियम पुस्तकों में प्रयोग होने वाले शब्दों को एक ही पुस्तक में संग्रहित करके परिभाषित किया गया है।
6. हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं की खोजनीय मृदु प्रति (सर्चेबल साफ्ट कापी) वित्त विभाग की वैबसाईट www.finhrv.gov.in पर उपलब्ध हैं। इनकी प्रकाशित प्रतियां शीघ्र ही मुद्रण एवं लेखन सामाग्री विभाग के विक्रय केन्द्रों पर बिक्री हेतु उपलब्ध करवा दी जाएंगी।
7. यदि कोई त्रुटि या चूक ध्यान में आती है तो कृप्या वित्त विभाग हरियाणा सरकार, हरियाणा सिविल सचिवालय, चण्डीगढ़ के ध्यान में लाई जाए ताकि उसका उचित समाधान किया जा सके।

दिनांक : 19 जुलाई, 2016

संजीव कौशल
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

अध्याय सूचि हरियाणा सिविल सेवाएं (सामान्य) नियम, 2016		दखिए पृष्ठ
अध्याय – I	प्रारंभिक	1
अध्याय – II	परिभाषाएं	5
अध्याय – III	सेवा की सामान्य शर्तें	27
अध्याय – IV	सेवाओं का वर्गीकरण पद का सर्जन, आचरण और अनुशासन और दण्ड तथा अपील	41
अध्याय – V	सेवा अभिलेख	47
अध्याय – VI	पदग्रहण काल	55
अध्याय – VII	पदच्युति, हटाया जाना तथा निलम्बन	61
अध्याय – VIII	भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति	71
अध्याय – IX	भारत के बाहर प्रशिक्षण	73
अध्याय – X	विदेश सेवा तथा प्रतिनियुक्ति	77
अध्याय – XI	सेवा से सेवानिवृत्ति – वर्ग तथा परिस्थितियां	93
	अनुबंध–1	100
	अनुबंध–2	104
	अनुबंध–3	106
	अनुबंध–4	109
	अनुबंध–5	129
	अनुबंध–6	133
	अनुबंध–7	135
	अनुबंध–8	137
	अनुबंध–9	139
	अनुबंध–10	141
	अनुबंध–11	145
	अनुबंध–12	149
	अनुबंध–13	152
	अनुबंध–14	155
	अनुबंध–15	158

नियमों की सूचि
हरियाणा सिविल सेवाएं (सामान्य) नियम, 2016

अध्याय – I	प्रारंभिक
1.	संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।
2.	लागूकरण का विस्तार।
3.	इन नियमों से असंगत विशेष उपबन्ध, यदि कोई हों।
4.	किसी विधि के अधीन अधिकार तथा विशेषाधिकार।
5.	सरकारी कर्मचारी के दावे का विनियमन।
6.	निर्वचन, संशोधन तथा छूट करने की शक्ति।
7.	निरसन।
अध्याय – II	परिभाषाएं
8.	परिभाषाएं
अध्याय – III	सेवा की सामान्य शर्तें
9.	सरकारी सेवा में प्रथम प्रवेश हेतु चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण—पत्र।
10.	घोषणा तथा चिकित्सा परीक्षण के प्ररूप।
11.	चिकित्सा परीक्षण के बिना वेतन तथा भत्ते प्राप्त करना।
12.	प्रथम वेतन बिल पर आहरण तथा संवितरण अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षण प्रमाण—पत्र।
13.	चिकित्सा परीक्षण के लिए फीस।
14.	चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण—पत्र से छूट।
15.	अवरोध अवधि सहित या के बिना पश्चात्‌वर्ती नियुक्ति पर चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण—पत्र।
16.	गर्भावस्था की स्थिति में महिला उम्मीदवार की उपयुक्तता।
17	स्थानांतरण द्वारा पश्चात्‌वर्ती नियुक्ति से पूर्व उपयुक्तता में त्रुटि।
18.	प्रथम या पश्चात्‌वर्ती नियुक्ति पर चिकित्सा उपयुक्तता परीक्षण के विरुद्ध अपील।
19.	कर्तव्यों के दक्ष निर्वहन हेतु चिकित्सा उपयुक्तता।
20.	सेवा में बनाए रखने के लिए चिकित्सा परीक्षण के प्रतिकूल निष्कर्षों के विरुद्ध अपील।

21.	अपील पर चिकित्सा परीक्षण हेतु फीस।
22.	सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु आयु।
23	आयु सीमा निर्बन्धन अधित्यजन।
24.	टीकाकरण तथा पुनः टीकाकरण।
25.	पूर्ण कालिक सरकार के निपटान पर।
26.	जानबूझकर अनुपस्थिती सेवा में ब्रेक है।
27.	परिवीक्षा अवधि।
28.	पुष्टि पर धारणाधिकार।
29.	पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर पुष्टि।
30.	धारणाधिकार रखना।
31.	उच्चतर से निम्नतर पद पर स्थानान्तरण।
32.	भविष्य निधि या किसी अन्य निधि में अंशदान।
33.	वेतन तथा भत्तों की संगणना करने की तिथि।
34.	पद प्रभार।
35.	प्रभार सौंपने / लेने हेतु अनुकूलतम् नियतन।
36.	पद का प्रभार लेने में अपवाद।
37.	सेवा शर्त के रूप में सेवानिवृत्ति।
अध्याय – IV	सेवाओं का वर्गीकरण पद का सर्जन, आचरण और अनुशासन और दण्ड तथा अपील
38.	सामान्य।
39.	पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर अधिकार।
40.	भर्ती संबंधी नियम बनाना।
41.	पद के सर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी।
42.	लघु अवधि रिक्तियां का भरा जाना।
43.	राज्य सेवाओं की घोषणा।
44.	सरकारी कर्मचारी आचरण नियम बनाना।
45.	दण्ड तथा अपील नियम बनाना।

अध्याय – V	सेवा अभिलेख
46.	सेवा पुस्तिका के विहित प्ररूप।
47.	सेवा पुस्तिका का रख—रखाव।
48.	सेवा पुस्तिका की फोटो प्रति की रसीद।
49.	सेवा पुस्तिका में प्रत्येक विषय की प्रविष्टियां।
50.	प्रविष्टियों के साक्षांकन के लिए जिम्मेवारी।
51.	लाल स्थाही से प्रविष्टियां।
52.	सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी स्वयं की सेवा पुस्तिका का निरीक्षण।
53.	विदेश सेवा/प्रतिनियुक्ति की दशा में सेवा पुस्तिका का अन्तरण।
54.	सेवापुस्तिका गुम होना।
55.	सेवा पुस्तिका की आन्तरिक लेखा—परीक्षा।
56.	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियों हेतु अनुदेश। जीवन—वृत्त सम्बन्धी प्ररूप भाग—I में प्रविष्टियां।
57.	प्रमाण—पत्र, नामांकन तथा पारिवारिक विवरण संबंधी प्ररूप भाग—II में प्रविष्टियां।
58.	पूर्व अर्हक सेवा संबंधी प्ररूप भाग—I (क) में प्रविष्टियां।
59.	विदेश सेवा संबंधी प्ररूप भाग—I (ख) में प्रविष्टि।
60.	सेवा के पूर्ववृत्त संबंधी प्ररूप भाग—IV में प्रविष्टियां।
61.	सेवा के सत्यापन संबंधी प्ररूप भाग—V में प्रविष्टियां।
62.	प्ररूपों के भाग—VI व VII में प्रविष्टियां।
63.	प्ररूपों के भाग—VIII व IX में प्रविष्टियां।
अध्याय – VI	पदग्रहण काल
64.	लोकहित में स्थानान्तरण पर पद ग्रहण काल।
65.	अस्थायी स्थानान्तरण पर पदग्रहण काल।
66.	प्रशिक्षण से पूर्व तथा के बाद यात्रा अवधि।
67.	अन्य सरकार के सरकारी कर्मचारी को पदग्रहण काल।
68.	पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर पदग्रहण काल।
69.	उसी कार्यालय में स्थानान्तरण पर कोई भी पदग्रहण काल नहीं।

70.	पद ग्रहण काल जब स्थानान्तरण में निवास का परिवर्तन शामिल नहीं है।
71.	अवकाश के दौरान स्थानान्तरण की दशा में पद ग्रहण काल।
72.	अवकाश के दौरान स्थानान्तरण पर पदग्रहण काल।
73.	पदग्रहण काल के दौरान अवकाश।
74.	स्थानान्तरणाधीन के समय आगे स्थानान्तरण की दशा में पदग्रहण काल।
75.	दूसरी सरकार से स्थानान्तरण पर पदग्रहण काल।
76.	पदग्रहण काल के बदले में विशेष आकस्मिक अवकाश।
77.	पदग्रहण काल की संगणना।
78.	पदग्रहण काल के दौरान वेतन तथा भत्ता।
79.	अवकाश की निरन्तरता में पद ग्रहण काल के दौरान वेतन।
80.	अपने स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण की दशा में किसी प्रकार का देय अवकाश प्रदान करना।
81.	पद ग्रहण काल के उपरान्त अनुपस्थित रहना।
82.	पदग्रहण काल का विस्तार।
अध्याय – VII	पदच्युति, हटाया जाना तथा निलम्बन
83.	प्रथम छः मास की अवधि के दौरान जीवन–निर्वाह भत्ता।
84.	प्रत्येक छः मास के बाद जीवन – निर्वाह भत्ते की समीक्षा।
85.	निलम्बन के दौरान भत्ते।
86.	जीवन–निर्वाह भत्ते के भुगतान से पूर्व प्रमाण–पत्र।
87.	निलम्बन के बाद बहाली पर वेतन तथा भत्ते।
88.	यदि पदच्युति, हटाया जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति को अपारस्त किया जाता है।
89.	पूर्ण रूप से दोषमुक्ति की दशा में वेतन तथा भत्ते।
90.	यदि पूर्णरूप से दोषमुक्त नहीं है, तो वेतन तथा भत्ते।
91.	किसी प्रकार के देय अवकाश के रूप में निलम्बन अवधि का संपरिवर्तन।
92.	वेतन तथा भत्तों के बकायों के भुगतान से पूर्व प्रमाण–पत्र।
93.	अधिसंख्य पद का सृजन।
94.	चिकित्सा उपचाराधीन व्यतीत की गई निलम्बन अवधि।
95.	निलम्बन के दौरान अवकाश तथा रिक्ति को भरना।

96.	गिरफ्तार या निरोध की दशा में निलम्बन।
97.	आपराधिक आरोपों की दशा में लम्बित निलम्बन।
98.	जीवन—निर्वाह भत्ते से कटौतियां।
99.	हटाए जाने या पदच्युति पर वेतन तथा भत्तों की समाप्ति।
अध्याय – VIII	भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति
100.	भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर निबंधन तथा शर्तें।
अध्याय – IX	भारत के बाहर प्रशिक्षण
101.	विदेश में प्रशिक्षण हेतु निबंधनों तथा शर्तों का विनियमन।
102.	विदेश में प्रशिक्षण के दौरान वेतन तथा भत्ते।
103.	विदेश में प्रशिक्षण की अवधि।
104.	किसी स्कीम के अधीन विदेश में प्रशिक्षण हेतु शर्तें।
105.	विदेश में प्रशिक्षण हेतु बंध पत्र।
106.	विस्तार के लिए बंधपत्र।
107.	निबंधनों तथा शर्तों की स्वीकृति।
अध्याय – X	विदेश सेवा तथा प्रतिनियुक्ति
108.	विदेश सेवा में स्थानान्तरण।
109.	अवकाश के दौरान विदेश सेवा में स्थानान्तरण।
110.	विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें।
111.	विदेश सेवा प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण पर पदग्रहण काल, पदग्रहण काल वेतन तथा स्थानान्तरण यात्रा भत्ता।
112.	हरियाणा सरकार के अधीन किसी संगठन में विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर वेतन का नियतन।
113.	चण्डीगढ़ प्रशासन या भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर वेतन का नियतन।
114.	किसी अन्य सरकार के अधीन विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर वेतन नियतन के लिए विकल्प।
115.	वेतन नियतन या प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए विकल्प का पुनः प्रयोग करना।
116.	ठीक नीचे नियम के लाभ।
117.	प्रतिनियुक्ति भत्ते की दर तथा स्वीकृति।

118.	मंहगाई भत्ते का दायित्व।
119.	प्रतिनियुक्ति / विदेश सेवा के दौरान प्रतिपूर्ति भत्तों की स्वीकार्यता।
120.	किराया निःशुल्क आवास, कोई अन्य सुविधा या विशेष भत्ते की स्वीकार्यता।
121.	सरकारी आवास का रखना/नया आबंटन।
122.	प्रतिनियुक्ति / विदेश सेवा के दौरान अवकाश यात्रा रियायत की स्वीकार्यता।
123.	भारत में विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति के दौरान अवकाश नियमों का लागूकरण।
124.	विदेश सेवा के दौरान अवकाश की अवधि के दौरान प्रतिपूर्ति भत्तों का दायित्व।
125.	विशेष अशक्तता अवकाश के अवकाश वेतन हेतु दायित्व।
126.	प्रसूति अवकाश, बालक दत्तक ग्रहण अवकाश तथा बालक देखभाल अवकाश के लिए अवकाश वेतन।
127.	अवकाश वेतन अंशदान का दायित्व।
128.	अवकाश वेतन अंशदानों के लिए दर।
129.	भारत के बाहर विदेश सेवा के दौरान अवकाश की स्वीकार्यता।
130.	पेंशन अंशदान / समरूप अंशदान का दायित्व।
131.	पेंशन अंशदानों के लिए दर।
132.	अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान के भुगतान के लिए प्रक्रिया।
133.	अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदानों को रोकने के लिए कोई भी विकल्प नहीं।
134.	अंशदान के भुगतान से छूट।
135.	सामान्य भविष्य निधि/ग्रुप बीमा स्कीम लेखे, स्थायी सेवानिवृत्ति लेखा संख्या में अंशदान।
136.	बोनस, अनुग्रहपूर्वक इत्यादि की स्वीकृति।
137.	विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति की अवधि।
138.	विदेश सेवा/प्रतिनियुक्ति के दो दौर के बीच की उपशमन अवधि।
139.	विदेश सेवा से प्रत्यावर्तन की तिथि।
140.	विदेश सेवा/ प्रतिनियुक्ति से वापसी पर वेतन का नियतन।
141.	किसी संगठन से हरियाणा के किसी विभाग में प्रतिनियुक्ति पर निबन्धन तथा शर्तें।

142.	पश्चातवर्ती नियुक्ति विदेश सेवा नहीं है।
अध्याय – XI	सेवा से सेवानिवृत्ति – वर्ग तथा परिस्थितियां
143.	अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति।
144.	विहित आयु या अर्हक सेवा पूरी करने के बाद समयपूर्व सेवानिवृत्ति।
145.	समयपूर्व सेवानिवृत्ति पर तीन मास का नोटिस या नोटिस अवधि के बदले में वेतन तथा भत्ते।
146.	विहित आयु या अर्हक सेवा के पूरी होने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति।
147.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की नोटिस अवधि का संक्षेपण।
148.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस का इन्कार।
149.	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के नोटिस को वापिस लिया जाना।
150.	स्वैच्छिक सेवा—निवृत्ति की दशा में पांच वर्ष तक की अर्हक सेवा का कोई महत्व नहीं।
151.	समय पूर्व / स्वैच्छिक सेवा—निवृत्ति के नोटिस की अवधि के दौरान अवकाश।

हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016¹

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवा के निबंधनों तथा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

अध्याय—I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—

- (1) ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं।
- (2) ये नियम दिनांक 19 जुलाई, 2016 से लागू समझे जायेंगे।

2. लागूकरण का विस्तार.—

ये नियम, अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे, किन्तु निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे:—

- (i) अखिल भारतीय सेवा के सदस्य;
- (ii) किसी सीमित अवधि के लिए केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से हरियाणा सरकार के अधीन किसी विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी।

टिप्पण 1.— अध्यक्ष, विधान सभा भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) के अधीन सहमत हो गए हैं कि जब तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (2) के अधीन राज्य विधानमण्डल द्वारा कोई विधि नहीं बनाई जाती है अथवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) के अधीन अध्यक्ष, विधान सभा के परामर्श से, राज्यपाल द्वारा नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक ये नियम तथा इनमें संशोधन, यदि कोई हों, अध्यक्ष की पूर्व सहमति के बाद, हरियाणा विधान सभा के सचिवीय अमले को लागू होंगे।

¹ वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या: 2/1/2013-4एफ. आर./1085, दिनांक 19 जुलाई, 2016 द्वारा अधिसूचित किए गए तथा हरियाणा सरकार के राजपत्र में दिनांक 13 सितम्बर, 2016 को मुद्रित किए गए।

टिप्पण 2.— अध्यक्ष, हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की दशा में समय—समय पर यथा संशोधित इन नियमों के लागूकरण से सहमत हो गए हैं।

टिप्पण 3.— यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है कि ये नियम किसी व्यक्ति को लागू होते हैं या नहीं, तो निर्णय वित्त विभाग द्वारा लिया जाएगा।

3. इन नियमों से असंगत विशेष उपबन्ध, यदि कोई हों।—

जब सक्षम प्राधिकारी की राय में, इन नियमों से असंगत विशेष प्रावधान किसी विशेष पद या सेवा की किसी शर्त के सन्दर्भ में अपेक्षित हों, तो वह प्राधिकारी, इन नियमों में दी गई किसी बात से अन्यथा होते हुए भी, तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 310 के खण्ड (2) के उपबन्धों के अधीन, किसी मामले, जिसके संबंध में उस प्राधिकारी की राय में विशेष प्रावधान किए जाने अपेक्षित हैं, हेतु ऐसे पद पर नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें उपबन्धित कर सकता है:

परन्तु जहां किसी मामले के संबंध में नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्तों का विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, तो इन नियमों के प्रावधान लागू होंगे।

4. किसी विधि के अधीन अधिकार तथा विशेषाधिकार।—

जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, इन नियमों में अथवा किसी व्यक्ति द्वारा नियुक्ति के समय स्वीकार की गई प्रस्तावित निबन्धनों तथा शर्तों में इन नियमों की कोई भी बात, किसी व्यक्ति को किसी अधिकार अथवा विशेषाधिकार, जिसके लिए वह किसी विधि द्वारा या के अधीन हकदार है, से वंचित करने के लिए लागू नहीं होगी।

5. सरकारी कर्मचारी के दावे का विनियमन।—

किन्हीं नियमों में जब तक अन्यथा से उपबन्धित न हो, सरकारी कर्मचारी के दावे की हकदारी, दावे के अर्जन के समय पर लागू नियमों द्वारा विनियमित की जाएगी।

6. निर्वचन, संशोधन तथा छूट करने की शक्ति।—

इन नियमों के निर्वचन, परिवर्तन, संशोधन, छूट तथा संदेह दूर करने की शक्ति वित्त विभाग में निहित होगी।

टिप्पण 1.— इन नियमों के निर्वचन तथा परिवर्तन के संबंध में संसूचनाएं सम्बद्ध प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को सम्बोधित की जाएंगी।

टिप्पण 2.— जहां वित्त विभाग की सन्तुष्टि हो गई है कि सरकारी कर्मचारियों या ऐसे

सरकारी कर्मचारियों के किसी वर्ग की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले इन नियमों का कोई लागूकरण किसी विशेष मामले में असम्यक् कष्ट होता है, तो यह ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अध्ययीन, जैसे यह न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण रीति में मामले के संबंध में कार्रवाई करना आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से आदेश द्वारा अभियुक्त कर सकता है या छूट दे सकता है।

7. निरसन.—

- (1) पंजाब सिविल सेवा नियम, जिल्द I, भाग I तथा II, (हरियाणा राज्य को लागू), इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से पूर्व देय होने वाले दावे की कोई हकदारी, उस समय लागू नियमों/अनुदेशों द्वारा विनियमित की जाएगी।

अध्याय-II

परिभाषाएं

8. परिभाषाएं.—

इन नियमों में जब तक विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई बात न हों,

- (1) “प्रशासकीय विभाग” से अभिप्राय है, वित्त विभाग से अन्यथा हरियाणा सरकार का कोई विभाग;
- (2) “प्रशासकीय सचिव” से अभिप्राय है, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार या उससे ऊपर का पद धारण करने वाला कोई अधिकारी;
- (3) “आयु” से अभिप्राय है, वह समयावधि जो एक व्यक्ति जन्मदिन से वर्ष, मास तथा दिनों के रूप में जी चुका है;

टिप्पण 1.— सरकार के अधीन किसी सेवा या पद पर नये रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति नियुक्ति के समय पर पुष्टिकारक दस्तावेजी साक्ष्य जैसे मैट्रिकुलेशन प्रमाण—पत्र, नगरपालिका जन्म प्रमाण—पत्र या विधि के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में जारी किया गया प्रमाण—पत्र से इसवी सन् द्वारा उसके जन्म की तिथि की घोषणा करेगा;

टिप्पण 2.— यदि कोई सरकारी कर्मचारी पुष्टिकारक दस्तावेजी साक्ष्य से उसके जन्म की तिथि की घोषणा करने में असमर्थ है, तो उसकी आयु सिविल सर्जन से चिकित्सा परीक्षण से ज्ञात की जा सकती है। यदि सिविल सर्जन—

- (i) उस मामले में वर्ष सूचित करता है, तो वर्ष की प्रथम जुलाई; या
 - (ii) उस मामले में जन्म का मास तथा वर्ष दोनों सूचित करता है, तो उस मास तथा वर्ष की 16 तिथि;
- को जन्मतिथि के रूप में समझा जा सकता है।

- (4) “नियमित आधार पर नियुक्ति” से अभिप्राय है, अनुमोदित अभिकरण के माध्यम से वृत्तिमूलक [स्तर/वेतनमान]¹ में किसी पद पर सरकारी सेवा में किसी व्यक्ति की सीधी भर्ती द्वारा की गई; अथवा सुसंगत नियमों के उपबन्ध से अन्यथा, नियुक्ति बशर्ते यह वरिष्ठता की ओर गिनी गई हो;

¹

अधिसूचना संख्या : 2/12/2017-4 एफ.आर., दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।

टिप्पणी— इसमें नियुक्ति डीम्ड तिथि भी शामिल है यदि वरिष्ठता की ओर गिनी गई है;

- (5) “संवर्ग” से अभिप्राय है, अलग ईकाई के रूप में स्वीकृत किसी सेवा की संख्या अथवा सेवा का कोई भाग;
- (6) “संवर्ग पद” से अभिप्राय है, कोई पद जो संवर्ग में पदोन्नति की पदानुक्रम या सामान्य अनुक्रम के भीतर पड़ता है;
- (7) “बालक” से अभिप्राय है, धर्मज संतान तथा इसमें दत्तक बालक भी शामिल है, जहां दत्तक ग्रहण सरकारी कर्मचारी को शासित करने वाली स्वीय विधि अथवा संरक्षक और प्रतिपाल्य, अधिनियम, 1890 (1890 का 8) के अधीन किसी प्रतिपाल्य द्वारा मान्यताप्राप्त है। किसी मामले में जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बालक का दत्तक ग्रहण देता है और, यदि दत्तकग्राही के स्वीय विधि के अधीन, किसी नैसर्गिक बालक की हैसियत पुष्ट करते हुए दत्तक ग्रहण विधिक रूप से मान्यताप्राप्त किया गया है, तो ऐसा बालक नैसर्गिक माता/पिता(ओं) के परिवार से, इन नियमों के प्रयोजन हेतु बहिष्कृत हुआ समझा जाएगा।

टिप्पणी 1.— हिन्दू विधि के अधीन दत्तक ग्रहण के सिवाए, इस नियम में अन्य दत्तक ग्रहण बालक “धर्मज संतान” शब्दों में शामिल नहीं है।

टिप्पणी 2.— दत्तक बालक धर्मज संतान के रूप में समझा जाएगा, यदि सरकारी कर्मचारी की स्वीय विधि के अधीन, दत्तक ग्रहण नैसर्गिक बालक की हैसियत पुष्ट करते हुए विधिक रूप से मान्यताप्राप्त है;

- (8) “सक्षम प्राधिकारी” से अभिप्राय है, हरियाणा सिविल सेवा नियमों के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने के संबंध में प्राधिकारी जिसको इन नियमों के अधीन कोई शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, अन्यथा वित्त विभाग के परामर्श से कार्यरत सम्बद्ध प्रशासकीय विभाग;

टिप्पणी— प्रशासकीय विभाग तथा विभागाध्यक्ष उनके अपने समग्र उत्तरदायित्वों पर तथा ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों, जैसा वे अधिरोपित करना चाहें, के अध्यधीन अपने मुख्यालय कार्यालयों पर उनके अधीन किसी राजपत्रित अधिकारी को इन नियमों में उनके प्रत्यायोजित शक्तियां पुनः प्रत्यायोजित कर सकते हैं, तथा ऐसे आदेशों की प्रतियां सूचनार्थ वित्त विभाग तथा प्रधान महालेखाकार, हरियाणा को पृष्ठांकित की जाएगी।

- (9) “सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी” से अभिप्राय है, किसी उम्मीदवार के सरकारी सेवा में उसकी प्रथम या पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर प्रवेश के लिए चिकित्सा परीक्षण के प्रयोजन हेतु;

- (1) राजपत्रित पद पर नियुक्ति की दशा में, नजदीकी जिला के स्वास्थ्य विभाग का चिकित्सा बोर्ड जहां उम्मीदवार निवास कर रहा है तथा महिला उम्मीदवार हेतु महिला डाक्टर बोर्ड की सदस्य होगी; तथा
- (2) गैर-राजपत्रित पद पर नियुक्ति की दशा में, उसके निवास स्थान के नजदीकी जिला के स्वास्थ्य विभाग का सिविल सर्जन/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी;

टिप्पणी— किसी गैर-राजपत्रित पद पर नियुक्त महिला उम्मीदवार का चिकित्सा प्रमाण-पत्र किसी महिला डाक्टर द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाएगा;

- (10) “अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि” से अभिप्राय है, विदेश सेवा, प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण, अवकाश तथा किन्हीं अन्य कारणों से जिनके लिए सरकारी कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है, से वापस आने पर तैनाती आदेश प्राप्त करने के लिए किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा व्यतीत की गई अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि। यह अवधि जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाती है, तो ड्यूटी के रूप में समझी जाएगी;

टिप्पणी 1.— प्रशासकीय विभाग तथा विभागाध्यक्ष क्रमशः ब्यालीस (42) दिन तथा तीस (30) दिन तक अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को ड्यूटी के रूप में स्वीकृत करने के लिए सक्षम हैं:

टिप्पणी 2.— जहां अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि छ. सप्ताह से अधिक है, तो वहां वरिष्ठ को समायोजित करने के लिए कनिष्ठतम को प्रतिवर्तित किया जाएगा;

- (11) “पुष्टिकरण” से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी के विशेष आदेश द्वारा सफलतापूर्वक परिवीक्षा अवधि पूरी करने पर नियमित पद पर किसी सरकारी कर्मचारी की अधिष्ठायी नियुक्ति;

- (12) “संचित निधि” से अभिप्राय है, निधि जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सभी राजस्व, खजाना बिलों को जारी करते हुए सरकार द्वारा लिया गया ऋण, ऋण या अर्थोपाई अग्रिम और ऋणों के पुनः भुगतान के लिए उस सरकार द्वारा प्राप्त की गई राशि, जमा जिससे उस राज्य के खर्च पूरे किए जाते हैं, जब विनियोग विधान द्वारा प्राधिकृत हों;

टिप्पणी— हरियाणा सरकार द्वारा अन्य या अन्य के निमित्त प्राप्त की गई सभी लोक धन राशियां “राज्य सरकार की लोक निधि” में जमा करवाई जाएंगी।

- (13) “नियंत्रक अधिकारी” से अभिप्राय है, विभागाध्यक्ष या कोई अन्य विभागीय अधिकारी जिसको सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपगत खर्चों तथा/अथवा राजस्व संग्रहण के नियंत्रण की जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं;

टिप्पणी— प्रशासकीय सचिव किसी राजपत्रित अधिकारी को यात्रा भत्ते के प्रयोजन हेतु नियंत्रक अधिकारी घोषित कर सकता है जो उससे ठीक अधीनस्थ हो तथा उसके अपने कार्यालय में कार्यरत हो;

- (14) “उपशमन अवधि” से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित अवधि जिसके लिए किसी सरकारी कर्मचारी ने किसी संगठन में विदेश सेवा से उसके बापस आने के बाद तथा दोबारा प्रगमन से पूर्व उधारदाता विभाग में कार्य किया है;
- (15) “सामयिक कर्तव्य प्रभार” से अभिप्राय है, उस पद के नेमी कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित पद प्रभार;

टिप्पणी— नियुक्ति के सामयिक कर्तव्यों को करने के लिए नियुक्त अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित निर्बन्धन, यदि कोई हों, के अध्यधीन पद के पदधारी में सम्पूर्ण रूप से निहित प्रशासकीय या वित्तीय शक्ति प्रयोग कर सकता है, किन्तु वैधानिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा अर्थात् किसी अधिनियम, हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016, 2016 इत्यादि के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों;

- (16) “दिन” से अभिप्राय है, आधी रात्रि से शुरू होने वाला तथा को समाप्त होने वाला कलैण्डर दिन;
- (17) “आश्रित” से अभिप्राय है, कोई पारिवारिक सदस्य जिसकी सभी स्रोतों से कुल आय न्यूनतम पारिवारिक पेंशन जमा हरियाणा सरकार द्वारा, समय—समय पर, विहित उस पर महंगाई राहत की राशि से कम है;

टिप्पणी 1— माता—पिता सरकारी कर्मचारी पर आश्रित के रूप में समझे जाएंगे, यदि उनकी संयुक्त आय, समय—समय पर, विहित न्यूनतम पारिवारिक पेंशन जमा उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत से कम है। उसी प्रकार भाई—बहन (भाइयों—बहनों) सरकारी कर्मचारी पर आश्रित के रूप में समझे जाएंगे यदि उनकी आय न्यूनतम पारिवारिक पेंशन जमा महंगाई राहत से कम है;

टिप्पणी 2— एक मृतक कर्मचारी/पेंशनर के संबंध में किसी लाभार्थी को अनुज्ञेय पारिवारिक पेंशन दूसरी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता के अवधारण के प्रयोजन के लिए आय के रूप में नहीं गिनी जानी है, जो किसी दूसरे मृतक कर्मचारी/पेंशनर के संबंध में अनुज्ञेय है। तथापि, विचाराधीन लाभार्थी की कोई अन्य

आय/कमाई पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता विनिश्चित करने हेतु आय में गिनी जाएगी;

- (18) “प्रतिनियुक्ति भत्ता” से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार या विपर्ययेन से केन्द्रीय/अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी संगठन से प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा पर किसी सरकारी कर्मचारी को प्रदान किया गया भत्ता;
- (19) “भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति” से अभिप्राय है, या तो भारत में उस द्वारा धारित पद के संबंध में या किसी विशेष ड्यूटी के संबंध में भारत के बाहर किसी सीमित अवधि हेतु किसी सरकारी कर्मचारी को प्रतिनियुक्त करना, जिसके दौरान उसे भारत सरकार की संचित निधि से भुगतान किया जाता है;
- (20) “प्रतिनियुक्ति” से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग में या हरियाणा सरकार या विपर्ययेन से किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार से विशिष्ट निबंधनों तथा शर्तों सहित किसी सीमित अवधि हेतु किसी सरकारी कर्मचारी को प्रतिनियुक्त करना, जिसके दौरान वेतन, उधार लेने वाली सरकार की संचित निधि से भुगतान किया जाता है;
- (21) “अकार्य दिवस” से अभिप्राय है, स्थानान्तरण पर किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा यात्रा के दौरान व्यतीत की गई अवधि, जब कार्य ग्रहण करते समय नियमों के अधीन उसके वास्तविक रूप में समय अनुज्ञेय नहीं है। यह सेवा में ब्रेक के रूप में नहीं माना जाता है और किसी प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा;
- (22) “आहरण तथा संवितरक अधिकारी” से अभिप्राय है, कोई प्राधिकारी या अधिकारी जिसे वित्त विभाग के परामर्श से सम्बद्ध प्रशासकीय विभाग द्वारा ऐसे रूप में घोषित किया गया है और खजाने से धन-राशि निकालने तथा वितरण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है;
- (23) ड्यूटी जिसमें निम्नलिखित अवधि शामिल है:—
 - (क) सरकारी कार्य करने के लिए वास्तविक रूप में व्यतीत की गई अवधि;
 - (ख) ड्यूटी क्षेत्र के भीतर या बाहर लोक हित में दौरे पर व्यतीत की गई अवधि बशर्ते प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत की गई हो;
 - (ग) नियमों के अधीन अनुज्ञेय कार्य ग्रहण समय अवधि;
 - (घ) इन अवकाशों की अवधि के दौरान आने वाली राजपत्रित छुट्टी (छुट्टियों) सहित आकस्मिक अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश, संगरोध अवकाश की अवधि;

- (ङ) अवकाश के आरम्भ में और बाद में राजपत्रित छुट्टी (छुटियों) की अवधि;
- (च) परिवीक्षार्थी के रूप में सेवा अवधि;
- (छ) यात्रा अवधि सहित भारत या विदेश में प्रशिक्षण अवधि परन्तु यह लोकहित में हो;
- (ज) समय को ध्यान में रखे बिना सेवा के दौरान हुई मृत्यु का दिन, यदि अन्यथा ड्यूटी पर हो;
- (झ) अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत की गई हो;
- (ञ) परीक्षा के स्थल तक तथा से यात्रा करने के लिए युक्तियुक्त आवश्यक समय सहित बाध्यकारी या वैकल्पिक विभागीय परीक्षाओं में उपस्थित होने में अधिभोग की गई अवधि बशर्ते सरकारी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपस्थित होने के लिए अनुमत किया गया हो;

टिप्पणी— कार्यालयाध्यक्ष को बाध्यकारी के साथ—साथ वैकल्पिक विभागीय परीक्षा या टेस्ट के लिए उपस्थित होने हेतु सरकारी कर्मचारी को अनुमति देने की सम्पूर्ण शक्ति है;

- (ट) प्रभार सौंपने तथा लेने के लिए अवधि। नए नियुक्त किए गए अभियन्ता अधिकारियों द्वारा दिन जिसको वे ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करते हैं, से दिन जिसको वे भण्डारों इत्यादि की जांच तथा निरीक्षण वाले पदों का सम्पूर्ण प्रभार लेते हैं, तक व्यतीत की गई अवधि भी।

टिप्पणी— सीधी भर्ती वाले कर्मचारी को समायोजित करने के लिए नया पद सृजित करना आवश्यक नहीं है क्योंकि ड्यूटी के रूप में समझी जाने वाली अवधि इस संबंध में स्वयं द्वारा पर्याप्त स्वीकृति है।

- (ठ) दौरे/स्थानान्तरण पर मार्ग में आने वाले बाध्यकारी ठहराव के सभी मामलों में व्यतीत की गई अवधि जब यात्रा, बाढ़, सिविल दंगे, वर्षा, भारी बर्फबारी, चट्टान खिसकना इत्यादि के कारण सड़कों के बन्द होने संसूचनाओं के ठप्प हो जाने आदि के कारण अपेक्षित हो तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत की गई हो;

टिप्पणी— प्रशासकीय विभाग को ड्यूटी के रूप में बाध्यकारी ठहराव की अवधि स्वीकृत करने की सम्पूर्ण शक्ति है। विभागाध्यक्ष इस प्रयोजन के लिए तीस दिन तक सक्षम होंगा;

- (ङ) हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में उपबंधित शर्तों के अनुसार स्वीकृत

अवकाश की समाप्ति से पूर्व ड्यूटी पर भारत के भीतर या बाहर अवकाश से बुलाने पर यात्रा के दौरान व्यतीत की गई अवधि;

- (ङ) ड्यूटी पर भारत के बाहर प्रतिनियुक्त किए गए किसी सरकारी कर्मचारी की भारत से अनुपस्थिति की अवधि;

टिप्पणी— प्रशिक्षित अवधि किसी प्रयोजन के लिए ड्यूटी अवधि के रूप में नहीं मानी जाएगी।

(24) “परिलाभों” निम्नलिखित की संगणना के प्रयोजन हेतु—

- (क) “अवकाश वेतन अंशदान” हेतु—

- (i) {स्तर/वेतनमान}¹ में मूल वेतन; तथा
- (ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रयोजन के लिए परिलाभों के रूप में विशेष रूप से वर्गीकृत कोई अन्य राशि।

(ख) “पेंशन अंशदान” हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के अधीन हेतु—

- (i) {स्तर/वेतनमान}¹ में वास्तविक अन्तिम नियत/पुनः नियत किया गया मूल वेतन;
- (ii) उपरोक्त (i) पर महंगाई भत्ता;
- (iii) गैर—व्यवसाय भत्ता; तथा
- (iv) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रयोजन के लिए परिलाभों के रूप में विशेष रूप से वर्गीकृत कोई अन्य राशि।

(ग) पेंशन अंशदान के बदले में “समरूप अंशदान परिभाषित अंशदान पेंशन स्कीम के अधीन हेतु—

- (i) {स्तर/वेतनमान}¹ में वास्तविक अन्तिम नियत/पुनः नियत किया गया मूल वेतन;
- (ii) उपरोक्त (i) पर अनुज्ञेय महंगाई भत्ता; तथा
- (iii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रयोजन के लिए परिलाभों के रूप में विशेष रूप से वर्गीकृत कोई अन्य राशि।

(25) “संवर्ग बाह्य पद” से अभिप्राय है, पद जो पदोन्नति के नियमित अनुक्रम से बाहर है। यह पैतृक विभाग में या से बाहर हो सकता है;

¹

अधिसूचना संख्या : 2/12/2017-4 एफ.आर., दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।

(26) “सेवा में विस्तार” से अभिप्राय है, अधिवर्षिता की आयु पूरी करने के बाद या अन्यथा लोकहित में किसी सरकारी कर्मचारी का सेवा में रखा जाना;

(27) “परिवार” से अभिप्राय है—

(क) अवकाश नकदीकरण/सामान्य भविष्य निधि का अन्तिम भुगतान/किन्हीं अन्य देयों के प्रयोजन हेतु—

1(क) पुरुष सरकारी कर्मचारी की दशा में, न्यायिक रूप से पृथक पत्नी या पत्नियों सहित (जब कभी स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हो);

1(ख) महिला सरकारी कर्मचारी की दशा में, न्यायिक रूप से पृथक पति सहित; बशर्ते कि यदि वह अपने परिवार से अपने पति को निकालने के लिए अपनी इच्छा कार्यालयाध्यक्ष को लिखित में नोटिस द्वारा अभिव्यक्त करती है, तो पति उन मामलों, जिनसे ये नियम संबंधित हैं, में तुरन्त कर्मचारी के परिवार के सदस्य के रूप में तब तक नहीं समझा जाएगा, जब तक कर्मचारी उसके बाद कार्यालयाध्यक्ष को लिखित में अभिव्यक्त नोटिस द्वारा ऐसी इच्छा रद्द नहीं करती है;

1(ग) विधिक रूप से दत्तक बच्चे, विधवा/तलाकशुदा पुत्री (पुत्रियों) सहित पुत्र तथा पुत्रियां;

1(घ) पूर्वमृत पुत्र की विधवा (विधवाएं) बशर्ते पुनः शादी न की हो, अन्यथा पूर्वमृत पुत्र के बच्चे समभाग में;

2(क) उपरोक्त (1) के अभाव में 18 वर्ष की आयु के नीचे के भाई (भाइयों) आश्रित अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा बहन (बहनें);

2(ख) उपरोक्त (1) तथा 2(क) के अभाव में, वैयक्तिक मामलों में दत्तक/सौतेली माता सहित माता जहां स्वीय विधि दत्तक के लिए अनुमति देती है;

2(ग) उपरोक्त (1) तथा 2(क) तथा (ख) के अभाव में वैयक्तिक मामले में दत्तक/सौतेले पिता सहित पिता जहां स्वीय विधि दत्तक के लिए अनुमति देती है;

3 उपरोक्त (1) तथा (2) के अभाव में व्यस्क भाई तथा बहन (बहनें)।

टिप्पण 1.— इस नियम के प्रयोजन के लिए, “पत्नी” से अभिप्राय है, मृतक सरकारी कर्मचारी की विधिक रूप से विवाहित पत्नी।

टिप्पण 2.— पंचायत या सामाजिक संगठनों द्वारा तलाक, विधिक तलाक नहीं होगा।

टिप्पण 3.— अपने माता—पिता के साथ रहे रहे तथा उन पर पूर्ण रूप से आश्रित सरकारी कर्मचारी के हिन्दू विधि या स्वीय विधि के अधीन विधिक रूप से दत्तक बच्चे,

पुत्र/पुत्री में सम्मलित हैं परन्तु सौतेले बच्चे सम्मलित नहीं हैं।

- (ख) प्रयोजन (प्रयोजनों) जिनके लिए कोई विशेष प्रावधान इन नियमों या किन्हीं अन्य नियमों में नहीं किया गया है के लिए –
- साथ रह रही/रहा विधिक रूप से विवाहित पत्नी (पत्नियाँ) या पति, जैसे भी स्थिति हो, जहां कहीं स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है;
 - अपने माता–पिता के साथ रह रहे तथा पूर्ण रूप से आश्रित सरकारी कर्मचारी के हिन्दू विधि या स्वीय विधि के अधीन विधिक रूप से दत्तक, सौतेले बच्चों सहित धर्मज संतान (व्यस्क तथा अव्यस्क);
 - अपने माता–पिता के साथ रह रहे तथा पूर्ण रूप से आश्रित विधवा/तलाकशुदा पुत्री(याँ);
 - सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहे तथा पूर्ण रूप से आश्रित माता–पिता;
 - सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहे तथा पूर्ण रूप से आश्रित अव्यस्क भाई तथा बहनें;
- (28) “फीस” से अभिप्राय है, भारत की संचित निधि या राज्य (हरियाणा राज्य सहित) की संचित निधि से अन्यथा किसी स्रोत से सरकारी कर्मचारी को आवर्तक या अनावर्तक भुगतान, चाहे सरकारी कर्मचारी को सीधे रूप से या सरकार के मध्यस्थ के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाए, किन्तु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:-
- अनर्जित आय जैसे सम्पत्ति, लाभांशों तथा प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय; तथा
 - साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, वैज्ञानिक या शिल्प वैज्ञानिक प्रयासों से आय, यदि ऐसे प्रयास सरकारी कर्मचारी द्वारा उसकी सेवा के दौरान अर्जित ज्ञान द्वारा पुष्ट नहीं है।
- (29) “फीडर पद” से अभिप्राय है, निम्न पद जिससे सरकारी कर्मचारी श्रेणीबद्धता में उच्चतर पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया है;
- (30) “वित्त विभाग” से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य का वित्त विभाग;
- (31) “वित्त वर्ष” से अभिप्राय है, प्रथम अप्रैल से प्रारम्भ होने वाला तथा आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष;
- (32) “प्रथम नियुक्ति” से अभिप्राय है, किसी व्यक्ति की नियुक्ति जो ऐसी नियुक्ति के समय हरियाणा सरकार के अधीन कोई नियुक्ति धारण न कर रहा हो तथापि वह ऐसी नियुक्ति पूर्व में धारण कर चुका हो;

- (33) “नियत चिकित्सा भत्ता” से अभिप्राय है, किसी सरकारी कर्मचारी को अपने स्वयं के चिकित्सा उपचार तथा उस पर आश्रित पारिवारिक सदस्यों के उपचार के खर्चों को पूरा करने के लिए अनुज्ञेय मासिक भत्ता;
- (34) “विदेश सेवा” से अभिप्राय है, सेवा जब कोई सरकारी कर्मचारी अपना वेतन भारत या किसी राज्य की संचित निधि से अन्यथा किसी स्रोत से प्राप्त करता है। यह भारत के भीतर या बाहर हो सकती है;
- (35) “राजपत्रित सरकारी कर्मचारी” से अभिप्राय है, कोई सरकारी कर्मचारी जो राज्य सेवाओं या अखिल भारतीय सेवाओं के ग्रुप ‘क’ तथा ‘ख’ का सदस्य है या पद धारण करने वाला कोई अन्य सरकारी कर्मचारी जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी राजपत्रित पद के रूप में घोषित किया जाए;
- (36) इन नियमों या किन्हीं अन्य नियमों में जैसा अन्यथा उपबन्धित है, के सिवाए “सरकारी कर्मचारी” से अभिप्राय है, राज्य सेवा ग्रुप क, ख, ग अथवा घ का सदस्य—
 (i) जिसकी सेवा शर्ते भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन हरियाणा के राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित की गई हैं;
 (ii) जिसकी नियुक्ति हरियाणा राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में नियमित आधार पर की गई है; तथा
 (iii) जिसका वेतन हरियाणा राज्य की संचित निधि से निकाला जाता है सिवाए जब वह विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर सेवारत है।
 किन्तु इसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल नहीं होंगे:—
 (1) जो आकस्मिक या दैनिक दर या अंशकालिक नियोजन में हैं;
 (2) जिन्हें अन्य प्रभार (कंटिनजैन्सी) से भुगतान किया जाता है;
 (3) जो कार्य प्रभारित स्थापना में हैं; तथा
 (4) जो संविदा आधार पर नियुक्त हैं।
- (37) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
- (38) “विभागाध्यक्ष” से अभिप्राय है, इन नियमों के प्रयोजन के लिए विभागाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आदेश सहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से पदाभिहित कोई प्राधिकारी;

टिप्पणी— इन नियमों के अन्त में अनुबन्ध—1 पर विभागाध्यक्षों की सूची रखी है:

(39) “कार्यालयाध्यक्ष” से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यालयाध्यक्ष के रूप में घोषित कोई राजपत्रित सरकारी कर्मचारी;

टिप्पणि।— वित्त विभाग के परामर्श से प्रशासनिक विभाग कार्यालयाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई प्राधिकारी पदाभिहित कर सकता है। ऐसे आदेशों की प्रति वित्त विभाग तथा प्रधान महालेखाकार, हरियाणा को निरपवाद रूप से पृष्ठांकित की जानी चाहिए;

(40) सरकारी कर्मचारी का “मुख्यालय” है—

(क) यदि वह सरकार के सचिवालय कार्यालयों में लगा हुआ है, तो सरकार का तत्समय मुख्यालय; तथा

(ख) अन्य मामलों में, स्थान जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके मुख्यालय के रूप में घोषित किया गया है या ऐसी घोषणा की अनुपस्थिति में, स्थान जहां उसके कार्यालय के अभिलेख रखे जाते हैं;

टिप्पणि।— निम्नलिखित प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी के मुख्यालय को घोषित करने के लिए सक्षम हैः—

सरकारी कर्मचारी के मुख्यालय को घोषित करने की शक्ति	प्रशासकीय सचिव	सम्पूर्ण शक्तियाँ
	विभागाध्यक्ष	ग्रुप ख, ग तथा घ के सरकारी कर्मचारियों तथा जिला स्तर तक के ग्रुप के अधिकारियों की दशा में भी सम्पूर्ण शक्तियाँ।
	कार्यालयाध्यक्ष	अधीनस्थ कार्यालयों सहित उसके कार्यालय में कार्यरत ग्रुप ग तथा घ के सरकारी कर्मचारियों की दशा में सम्पूर्ण (शक्तियाँ)

(41) “छुट्टी” से अभिप्राय है—

(क) पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 25 द्वारा या के अधीन विहित या अधिसूचित कोई छुट्टी; तथा

(ख) किसी विशेष कार्यालय के संबंध में वह दिन, जिसको ऐसा कार्यालय किसी रोक या अर्हता के बिना सरकारी कार्य संचालन के संव्यवहार हेतु बंद किए जाने के लिए राजपत्र में या अन्यथा अधिसूचना द्वारा आदेश किए गए हैं।

टिप्पणि— इस शब्द में 'स्थानीय छुट्टी' शामिल नहीं है जो कार्यालयाध्यक्ष के विवेक पर प्रदान की जा सकती है;

- (42) "स्वनगर" से अभिप्राय है, सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में यथा प्रविष्ट स्थायी स्वनगर या गाँव;
- (43) "मानदेय" से अभिप्राय है, अनियमित या सविराम स्वरूप के विशेष कार्य के लिए पारिश्रमिक के रूप में भारत या किसी राज्य की संचित निधि से किसी सरकारी कर्मचारी को किया गया आवर्तक या अनावर्तक भुगतान;
- (44) "परस्पर ज्येष्ठता" से अभिप्राय है, किन्हीं नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, एक संवर्ग (संवर्गों) या सेवा (सेवाओं) से अधिक के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता, जो ज्येष्ठता के लिए गिनी गई लगातार सेवा अवधि द्वारा अवधारित की जाती है;
- (45) "पद ग्रहण अवधि" से अभिप्राय है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोक हित में नया पद या उसी पद को ग्रहण करने के लिए उसे समर्थ बनाने हेतु किसी सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञात की गई अवधि जिसमें आवास का परिवर्तन शामिल है;
- (46) "न्यायिक अधिकारी" से अभिप्राय है, हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) या हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा के सदस्य;
- (47) "अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र" से अभिप्राय है, सरकारी कर्मचारी के सेवा छोड़ने या स्थानांतरण के समय जारी किए गए अनुज्ञेय वेतन तथा भत्तों की हकदारी तथा कटोतियां, ऋणों तथा अग्रिमों इत्यादि की वसूली दर्शाते हुए विहित प्रपत्र में प्रमाण—पत्र;
- (48) "किसी प्रकार का देय अवकाश" से अभिप्राय है, किसी सरकारी कर्मचारी के अवकाश खाते में असाधारण अवकाश से अन्यथा देय अर्जित अवकाश तथा अर्ध वेतन अवकाश, यदि कोई हो;
- (49) "अवकाश वेतन अंशदान" से अभिप्राय है, किसी सरकारी कर्मचारी के विदेश सेवा पर रहने की अवधि के दौरान उस द्वारा अर्जित सभी प्रकार के अवकाशों के सम्बन्ध में विहित दर पर विदेशी नियोक्ता से वसूल की जानी वाली राशि जिसके एवज में तथा वापसी पर सरकार अर्जित अवकाश की ऐसी अवधि के लिए अवकाश वेतन का दायित्व स्वीकार करती है;
- (50) "धारणाधिकार" से अभिप्राय है, किसी नियमित पद पर पुष्टि के बाद सरकारी कर्मचारी द्वारा अर्जित पदाधिकार;

(51) “स्थानीय निधि”— से अभिप्राय है—

- (क) निकायों द्वारा प्रशासित राजस्व, जो विधि या विधि का बल रखने वाले नियमों द्वारा सरकार के नियंत्रणाधीन आते हैं, चाहे सामान्य कार्यवाहियों या विशिष्ट मामलों, जैसे उनके बजट स्वीकृत करने, विशेष पदों को सृजित करने या भरने के लिए स्वीकृति, या अवकाश, पेंशन या समरूप नियमों के अधिनियमन के संबंध में हों; तथा
- (ख) अन्य किसी निकाय के राजस्व जो विशेष रूप से ऐसे रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित जाएं।

(52) “स्थानीय छुट्टी” से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे रूप में घोषित ऐसी छुट्टी;

(53) “पेंशन अंशदान के बदले में समरूप अंशदान” से अभिप्राय है, परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम के अधीन आने वाले किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा दी गई विदेश सेवा की अवधि के संबंध में प्रयोजन के लिए परिलाभों की विहित दर पर संगणित विदेशी नियोक्ता द्वारा जमा की जाने वाली राशि;

(54) सरकारी सेवा में प्रवेश के प्रयोजन हेतु “चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण—पत्र” से अभिप्राय है, सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित विहित प्ररूप में स्वारूप उपयुक्तता प्रमाण—पत्र;

(55) “सैनिक आयुक्त अधिकारी” से अभिप्राय है, विभागीय अधिकारी से भिन्न सेना का कोई आयुक्त अधिकारी। किन्तु इसमें वारंट अधिकारी शामिल नहीं है;

(56) “सैनिक अधिकारी” से अभिप्राय है, सैनिक आयुक्त अधिकारी या वारंट अधिकारी की परिभाषा के भीतर आने वाला सेना का अधिकारी;

(57) “लिपिक वर्गीय कर्मचारी” से अभिप्राय है—

- (i) ग्रुप ग पदों, जिन की ड्यूटियां पूर्ण रूप से लिपिकीय हैं तथा सक्षम प्राधिकारी के साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे रूप में विशेष रूप से परिभाषित पद (पदों) का कोई अन्य प्रवर्ग; तथा
- (ii) ग्रुप ख पद, जिनकी ड्यूटियां प्रमुखतः लिपिक आचरण वाली हैं, की राज्य सेवा से सम्बन्धित कोई सरकारी कर्मचारी;

(58) “मास” से अभिप्राय है, कोई कलैण्डर मास (मासों) तथा दिनों के रूप में अभिव्यक्त, अवधि की गणना में, प्रत्येक में दिनों की संख्या पर ध्यान रखें बिना पहले सम्पूर्ण कलैण्डर मासों

की गणना की जाएगी तथा 30 दिनों की विषम संख्या को सम्पूर्ण मास के समान मानते हुए गिना जाएगा;

उदाहरण 1.— 25 अक्टूबर से 13 मई की अवधि, छ: मास तथा बीस दिन (25 से 31 अक्टूबर तक 7 दिन व 1 से 13 मई तक 13 दिन) के रूप में गिनी जाती हैं;

उदाहरण 2.— 16 नवम्बर से प्रारम्भ होने वाली तथा 21 फरवरी को समाप्त होने वाली अवधि, तीन मास छ: दिन के रूप में गिनी जाएगी।

- (59) “नामांकन” से अभिप्राय है, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद कोई देय भुगतान अर्थात् सामान्य भविष्य निधि का अन्तिम भुगतान, उपदान, अवकाश नकदी इत्यादि को प्राप्त करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों के अधिकार पर प्रदत्त की गई घोषणा;
- (60) “नामांकित” से अभिप्राय है, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद देय कोई भुगतान अर्थात् सामान्य भविष्य निधि का अन्तिम भुगतान उपदान, अवकाश नकदी इत्यादि को प्राप्त करने के लिए अधिकार प्रदत्त व्यक्ति (व्यक्तियों);
- (61) “स्थानापन्न नियुक्ति” से अभिप्राय है, अस्थायी उपाय के रूप में किसी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति किन्तु अधिष्ठाई हैसियत में नहीं, यह स्थायी या अस्थायी रिक्त पद पर हो सकती है;

टिप्पण 1.— परिवीक्षा पर किसी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति भी स्थानापन्न नियुक्ति समझी गई है।

टिप्पण 2.— निम्नलिखित प्राधिकारी रिक्त पद पर स्थानापन्न हैसियत में किसी सरकारी कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए सक्षम हैं:—

किसी रिक्त पद पर स्थानापन्न में किसी सरकारी कर्मचारी को नियुक्त करने की शक्ति	प्रशासकीय विभाग	सम्पूर्ण शक्तियां
	विभागाध्यक्ष	अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों की दशा में सम्पूर्ण शक्तियां तथा ग्रुप ख अधिकारियों की दशा में चार मास तक
	कार्यालयाध्यक्ष	सरकारी कर्मचारी जिनको वे नियुक्त कर सकते हैं की दशा में सम्पूर्ण शक्तियां

- (62) “स्थानापन्न वेतन” या “स्थानापन्न मूल वेतन” जैसी भी स्थिति हो, से अभिप्राय है, कोई सरकारी कर्मचारी जिसके लिए वह किसी पद पर स्थानापन्न नियुक्ति के समय पर उसके लागू नियमों के अधीन हकदार है;
- (63) “संगठन” से अभिप्राय है,
- (i) राज्य/केन्द्रीय सरकार के परिनियम/अधिनियम के अधीन सृजित संवैधानिक निकायें; तथा उपकर या केन्द्रीय/राज्य सरकार अनुदानों से पूर्णतः या सारतः वित्तपोषित। “सारतः” से अभिप्राय है, जिन स्वायत्त निकायों का 50 प्रतिशत से अधिक का खर्च उपकर या केन्द्रीय/राज्य सरकार अनुदानों के माध्यम से पूरा किया जाता है;
 - (ii) नगर निगम, विश्वविद्यालय बशर्ते वे केन्द्रीय/राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन आते हैं जैसे उनके बजट स्वीकृत करने, पदों को सृजित करने या भरने की स्वीकृति, वेतन, अवकाश, पेंशन इत्यादि के नियमों का अधिनियमन; तथा
 - (iii) केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन तथा प्रबन्धित सोसाइटियां/परिषदें, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम;
- टिप्पणी—** इसमें सरकारी सहायता प्राप्त या सम्बद्ध संस्थाएं शामिल नहीं हैं।
- (64) “विदेशी वेतन” से अभिप्राय है, भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति के समय किसी सरकारी कर्मचारी को प्रदान किया गया वेतन;
- (65) “पेंशन अंशदान” से अभिप्राय है, विदेशी सेवा के दौरान हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के अधीन आने वाले किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा पेंशन के लिए दी गई अर्हक सेवा के संबंध में प्रयोजन के लिए परिलाभों की विहित दर पर विदेशी नियोक्ता द्वारा जमा करवाई जाने वाली राशि;
- (66) “स्थायी सरकारी कर्मचारी” से अभिप्राय है, कोई कर्मचारी जिसे नियमित पद पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित नियम 28 के अधीन पुष्ट किया गया है;
- (67) “स्थायी पद” से अभिप्राय है, समय सीमा के बिना वृत्तिमूलक {स्तर/वेतनमान}¹ में स्वीकृत पद;
- (68) “समयपूर्व सेवानिवृत्ति” से अभिप्राय है, प्रयोजन के लिए विहित आयु के पूरा करने या

¹

अधिसूचना संख्या : 2/12/2017-4 एफ.आर., दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।

अर्हक सेवा पूरी करने के बाद, जैसी भी स्थिति हो, लोकहित में सेवा से किसी सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति;

- (69) “प्रधान महालेखाकार” से अभिप्राय है, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिनिधित्व करने वाला महालेखाकार का कार्यालय प्रधान, जो हरियाणा राज्य के लेखों को रखता है तथा भारत का नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की ओर से उन लेखों के संबंध में लेखापरीक्षा कृत्यों का निर्वहन करता है;
- (70) “परिवीक्षक” से अभिप्राय है, किसी सरकारी कर्मचारी को लागू सेवा नियमों में विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, को पास करने की शर्त सहित परिवीक्षा की सुस्पष्ट शर्तों के साथ अस्थायी या स्थायी पद में या पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया कोई सरकारी कर्मचारी। जबकि पहले से सेवा में दूसरा सरकारी कर्मचारी यदि उन्हीं शर्तों सहित सीधी भर्ती से या अन्यथा उसी पद पर नियुक्त किया गया है तो परिवीक्षा पर होगा;
- (71) “पूर्ण रूप से अस्थायी सेवा” से अभिप्राय है, किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा जो किसी रिक्त पद पर वृत्तिमूलक {स्तर/वेतन मान}¹ में नियुक्त किया गया है किन्तु नियमित आधार पर नहीं;
- (72) “सेवा छोड़ना” से अभिप्राय है, तथा इसमें शामिल है सेवा से सेवानिवृत्ति, पदच्युति, हटाया जाना, त्यागपत्र तथा छंटनी। इस में सेवा के दौरान गायब होना या मृत्यु तथा केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी निकाय या विभाग में स्थायी समावेशन भी शामिल है;
- (73) “पुनः नियोजन” से अभिप्राय है, किसी सरकारी कर्मचारी की उसकी सेवानिवृत्ति के बाद लोकहित में पुनः नियुक्ति;
- (74) “नियमित पद” से इन नियमों के प्रयोजन हेतु अभिप्राय है, स्वीकृत स्थायी तथा अस्थायी पद जिन पर व्यक्ति नियमित आधार पर नियुक्त किए जाते हैं;
- (75) ‘अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति’ से अभिप्राय है, सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित पद के लिए या उसके लिए, जैसी भी स्थिति हो, विहित आयु पूरी करने पर सेवा से सेवानिवृत्ति;
- (76) “छंटनी” से अभिप्राय है, किसी सरकारी कर्मचारी की पद की समाप्ति के कारण सेवा में समाप्ति;

¹

अधिसूचना संख्या : 2/12/2017-4 एफ.आर., दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए ।

- (77) “सेवा पुस्तिका” से अभिप्राय है, विहित प्ररूपों की एकल जिल्द जिसमें किसी सरकारी कर्मचारी का सेवा रिकार्ड उसके सेवा काल के दौरान घटित सभी पदीय घटनाओं की प्रविष्टि करने के रूप में रखी जाती है तथा कार्यालयाध्यक्ष या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा साक्षांकित की जाती है;
- (78) “सेवा” से अभिप्राय है, निम्नानुसार वर्गीकृत हरियाणा सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सिविल सेवा।—

1.	राज्य सिविल सेवा ग्रुप क;
2.	राज्य सिविल सेवा ग्रुप ख;
3.	राज्य सिविल सेवा ग्रुप ग;
4.	राज्य सिविल सेवा ग्रुप घ;

- (79) “सरकारी कर्मचारी का ड्यूटी क्षेत्र” से अभिप्राय है, स्थानीय क्षेत्र जिसके बाहर वह सक्षम प्राधिकारी के विशेष आदेशों के बिना यात्रा नहीं कर सकता।
- (i) प्रशासकीय सचिव की ड्यूटी का क्षेत्र हरियाणा, चण्डीगढ़ तथा दिल्ली है;
 - (ii) विभागाध्यक्ष की ड्यूटी का क्षेत्र हरियाणा, चण्डीगढ़ तथा दिल्ली है;
 - (iii) मण्डल आयुक्त की ड्यूटी का क्षेत्र उसका संबंधित मण्डल है;
 - (iv) सचिवालय में विशेष सचिव तथा उससे ऊपर की ड्यूटी का क्षेत्र हरियाणा, चण्डीगढ़ तथा दिल्ली है;
 - (v) शेष सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी का क्षेत्र जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश किए जाए।

टिप्पणी।— निम्नलिखित प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के क्षेत्र की सीमाओं को घोषित करने के लिए सक्षम हैं—

सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के क्षेत्र की सीमाओं को परिभाषित करने की शक्तियां	प्रशासकीय विभाग	सम्पूर्ण शक्तियां
	विभागाध्यक्ष	अपने अधीनस्थों की दशा में सम्पूर्ण शक्तियां
	कार्यालयाध्यक्ष	अपने अधीनस्थों की दशा में सम्पूर्ण शक्तियां

(80) "संवैधानिक निकाय" से अभिप्राय है, कोई निकाय जो—

- (i) राज्य/केन्द्रीय सरकार के किसी परिनियम/अधिनियम के अधीन सूजित किया गया है; तथा
 - (ii) उपकर या केन्द्रीय/राज्य सरकार के अनुदानों से पूर्णतः या सारतः वित्त पोषित;
- व्याख्या।—** इसमें राज्य के विश्वविद्यालय भी शामिल हैं किन्तु सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/सार्वजनिक उद्यम/कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कम्पनी/सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत सोसाइटी तथा निजी निकाय तथा प्रबन्धन शामिल नहीं हैं;

टिप्पण।— "सारतः" से अभिप्राय है जिन स्वायत्त निकायों को 50 प्रतिशत से अधिक का खर्च उपकर या केन्द्रीय/राज्य सरकार के अनुदानों के माध्यम से पूरा किया जाता है;

(81) "हड़ताल" से अभिप्राय है संगठन में कार्य कर रहे कर्मचारियों के किसी ग्रुप द्वारा कार्य करने से इन्कार करना या कार्य को बन्द करना या धीरे-धीरे करना तथा इसमें शामिल है—

- (i) अनुमति के बिना कार्य में सामूहिक अनुपस्थिति (जो अनुचित रीति में सामूहिक आकस्मिक अवकाश के रूप में वर्णित की जाती है);
- (ii) अतिकाल कार्य करने से इन्कार करना जहां ऐसा अतिकाल कार्य लोकहित में आवश्यक है;
- (iii) व्यवसाय या आचरण के लिए बल प्रयोग करना जो कार्य विराम या सारवान बाधा के परिणाम के कारण संभाव्य है। ऐसे व्यवसायों में शामिल होगा, 'गो-स्लो', 'सिट डाउन', 'कलम छोड़', 'स्टे-इन', 'टोकन', 'सहानुभूति' या किसी अन्य समरूप की हड़ताल चाहे कुछ भी कहा जाए; जैसे बंद या किसी सामान्य आन्दोलन में भाग लेने के लिए कार्य से अनुपस्थित रहना भी;

(82) "पश्चात्‌वर्ती नियुक्ति" से अभिप्राय है सीधी भर्ती द्वारा अनुमोदित ऐजन्सी के माध्यम से उसी या किसी अन्य विभाग में या हरियाणा सरकार के सभी विभागों के पात्र कर्मचारियों में से प्रतियोगिता या अन्यथा के माध्यम से एक पद से दूसरे पद पर किसी सरकारी कर्मचारी की नए सिरे से नियुक्ति किन्तु पदोन्नति द्वारा नहीं। यदि नए सिरे से नियुक्ति किसी पद पर उच्चतर {स्तर/वेतनमान}¹ में की जाती है, तो यह हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित जीविका प्रगति) नियम, 2008 के प्रयोजन के लिए भी पश्चात्‌वर्ती नियुक्ति होगी।

¹

अधिसूचना संख्या : 2/12/2017-4 एफ.आर., दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।

टिप्पणी— किसी विशेष या कुछ विभागों के सभी पात्र कर्मचारियों में से नए सिरे से नियुक्ति को हरियाणा सिविल सेवा सुनिश्चित जीविका प्रगति नियमों, 2008 के प्रयोजन के लिए पश्चात्वर्ती नियुक्ति नहीं मानी जाएगी;

- (83) “निर्वाह भत्ता” से अभिप्राय है, निलम्बन अवधि के दौरान नियोजन के रूप में अर्जित की गई आय, यदि कोई हो, के समायोजन के अध्यधीन सरकारी कर्मचारी को विहित दर पर अनुज्ञेय भत्ता;
- (84) “अधिष्ठाई नियुक्ति” से अभिप्राय है, किसी नियमित पद पर किसी सरकारी कर्मचारी का पुष्टीकरण;
- (85) “अधिसंख्य पद” से अभिप्राय है, किसी सरकारी कर्मचारी को भूतलक्षी प्रभाव से समायोजित करने के लिए सीमित अवधि हेतु सृजित कोई पद जब नियमित पद उपलब्ध न हो। ऐसे पद के सर्जन में शामिल वेतन तथा भत्तों के रूप में वित्तीय दायित्व शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता है। यह पद सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति, सेवा निवृत्ति के रूप में रिक्त होने पर या अन्यथा उस संवर्ग में किसी रिक्ति के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जाएगा;
- (86) “निलम्बन” से अभिप्राय है, किसी सरकारी कर्मचारी को सामान्य रूप से किसी कृत्य के प्रयोग करने से तत्समय के लिए विवर्जित करना, विशेष रूप से उसे लोक सेवा से वंचित करना;
- (87) “अस्थायी सरकारी कर्मचारी” से अभिप्राय इन नियमों के प्रयोजन के लिए है; नियमित आधार पर नियुक्त किया गया कोई सरकारी कर्मचारी किन्तु जो पुष्ट नहीं है;
- (88) “अस्थायी पद” से अभिप्राय है, सीमित अवधि के लिए स्वीकृत वृत्तिमूलक {स्तर/वेतनमान}¹ वाला पद;
- (89) “अस्थायी स्थानान्तरण” से अभिप्राय है, विशेष रूप से आदेश में वर्णित, बाहर तथा आन्तरिक यात्रा के दिन (दिनों) को मिलाकर 180 दिन से अनधिक सीमित अवधि के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी सरकारी कर्मचारी का स्थानान्तरण। इसमें उसी विभाग में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी ड्यूटी या प्रतिनियुक्ति भी शामिल है;
- (90) “पदावधि” से अभिप्राय है, स्थायी या अस्थायी पद, जो सरकारी कर्मचारी सीमित अवधि से अधिक के लिए धारण नहीं कर सकता;
- (91) “लोक हित में स्थानान्तरण” से अभिप्राय है, प्रशासकीय आधारों पर स्थानान्तरण। इसमें उस

¹

अधिसूचना संख्या : 2 / 12 / 2017-4 एफ.आर., दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए ।

सरकारी कर्मचारी का स्थानान्तरण शामिल नहीं है, जिसका स्थानान्तरण—

- (i) उसके अपने या उसके परिवार या रिश्तेदार के किसी सदस्य के निवेदन पर किया गया है; या
- (ii) प्रशासकीय आधार से अन्यथा पर किसी विशिष्ट व्यक्ति जैसे विधायक/संसद सदस्य/मंत्री इत्यादि की सिफारिश पर किया गया है।

टिप्पणी— इसमें उसी या किसी अन्य विभाग में विभिन्न स्थान पर किसी स्थायी सरकारी कर्मचारी की पश्चात्‌वर्ती नियुक्ति शामिल है बशर्ते आवेदन उचित प्रणाली से प्रस्तुत किया गया था;

(92) “स्थानान्तरण” से अभिप्राय है, किसी सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान या अन्यथा उसी पद पर या —

- (i) एक विभाग से दूसरे विभाग में उसी स्थान या किसी दूसरे स्थान पर किसी अन्य पद पर स्थानान्तरण/तैनाती;
- (ii) उसी विभाग में या किसी दूसरे विभाग में किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण/तैनाती।

(93) “स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति” से अभिप्राय है, सरकारी कर्मचारी के अपने स्वयं के निवेदन पर सेवानिवृत्ति—

- (i) विहित आयु के पूरा करने पर या उसके बाद किन्तु अधिवर्षिता की आयु से पूर्व; या
- (ii) इस प्रयोजन के लिए विहित न्यूनतम अर्हक सेवा के पूरा करने के बाद;

(94) “जानबूझकर अनुपस्थिति” से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी की उचित अनुमति के बिना ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि। कलम छोड़ हड़ताल सहित किसी प्रकार से सरकारी कर्मचारी द्वारा कर्तव्यों को करने से जानबूझकर इच्छार करना ड्यूटी से जानबूझकर अनुपस्थिति के रूप में समझा जायेगा;

टिप्पणी— अवधि जिसके दौरान कोई सरकारी कर्मचारी किसी बंद, धरना, हड़ताल या इसी प्रकार की गतिविधियों में भाग लेता है, तो जानबूझकर अनुपस्थिति के रूप में समझा जाएगा;

(95) “कार्य दिवस” से अभिप्राय है, दिन जो अधिसूचित राजपत्रित छुट्टियों की सूची में नहीं है या कोई अन्य दिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विभाग (विभागों) या कार्यालय (कार्यालयों), जैसे भी स्थिति हो, के लिए छुट्टी के रूप में घोषित नहीं किया गया।

अध्याय—III

सेवा की सामान्य शर्तें

9. सरकारी सेवा में प्रथम प्रवेश हेतु चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण—पत्र।—

इन नियमों में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए, कोई भी व्यक्ति, पद जिस पर वह नियुक्त किया गया है, के लिए अपेक्षित मानक चिकित्सा के अनुसार जो उससे नीचे का न हो, सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त किए गए विहित प्ररूप में स्वार्थ्य चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण—पत्र के बिना सरकारी सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।

टिप्पण 1।— उम्मीदवार का चिकित्सीय परीक्षण करने के लिए मानक विभिन्न विभागों में भिन्न—भिन्न पदों/प्रवर्गों के लिए यथा अधिकथित चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा अपनाए जाएंगे।

टिप्पण 2।— पश्चात्वर्ती नियुक्ति की दशा में, चिकित्सा उपयुक्तता परीक्षण हेतु देखिये नियम 15.

10. घोषणा तथा चिकित्सा परीक्षण के प्ररूप।—

इन नियमों के अन्त में, अनुबन्ध—2 के रूप में दिए गए विहित प्ररूप के भाग—I में उम्मीदवार के कथन तथा घोषणा को सम्यक् रूप से भर कर तथा सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की उपस्थिति में उस द्वारा हस्ताक्षरित चिकित्सा परीक्षण के समय पर प्राप्त किया जाएगा। सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी उम्मीदवार का चिकित्सीय परीक्षण करेगा तथा अनुबन्ध—2 के रूप में दिए गए विहित प्ररूप के भाग—II में स्वार्थ्य चिकित्सा प्रमाण—पत्र जारी करेगा। सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी अपनी उपस्थिति में चिकित्सा परीक्षण के विहित प्ररूप पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर तथा फोटोग्राफ प्राप्त करेगा तथा चिकित्सा परीक्षण के समय उसे साक्षात्कृत करेगा।

11. चिकित्सा परीक्षण के बिना वेतन तथा भत्ते प्राप्त करना।—

नियुक्ति प्राधिकारी या विभागाध्यक्ष, जो भी उच्चतर हो, अभिलिखित कारणों से असाधारण परिस्थितियों में तथा लोक हित में निम्नलिखित व्यक्ति के संबंध में दो मास के भीतर चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण—पत्र के प्रस्तुत करने के अध्यधीन दो मास की अवधि के लिए

वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है—

- (क) छ: मास से अधिक की अवधि के लिए नये सिरे से भर्ती किए गए; या
- (ख) अराजपत्रित पद से राजपत्रित पद पर पदोन्नत होने पर तथा जिसका इन नियमों या किन्हीं अन्य नियमों के अधीन नए सिरे से सक्षम प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षण करवाया जाना अपेक्षित है तथा यदि वह बाद में चिकित्सीय अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के निष्कर्ष को उसको संसूचित की तिथि से एक मास की अवधि की समाप्ति के बाद समाप्त या फीडर पद पर प्रतिवर्तित कर दी जाएगी, जैसी भी स्थिति हो, यदि द्वितीय चिकित्सा परीक्षण के लिए कोई भी अपील इस अवधि के दौरान उस द्वारा नहीं की जाती है। यदि कोई अपील द्वितीय चिकित्सा परीक्षण के लिए की जाती है तथा दोबारा अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तुरन्त समाप्त या फीडर पद पर प्रतिवर्तित, जैसी भी स्थिति हो, की जा सकती है। यह स्पष्ट रूप से नियुक्ति के प्रारम्भिक पत्र या पदोन्नति आदेश, जैसी भी स्थिति हो, में कथित की जाएगी।

12. प्रथम वेतन बिल पर आहरण तथा संवितरण अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षण प्रमाण—पत्र।—

इस प्रभाव का प्रमाण—पत्र कि—

- (i) चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण—पत्र सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी के संबंध में सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से विहित प्ररूप में प्राप्त किया गया है;
- (ii) इन नियमों के नियम 11 में अधिकथित उपबन्ध के अनुसार दो मास की अवधि के भीतर उसके प्रस्तुत करने के अध्यधीन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण—पत्र के बिना वह नियुक्त किया गया है;

सरकारी कर्मचारी की नई नियुक्ति के प्रथम वेतन बिल में आहरण तथा संवितरण अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।

13. चिकित्सा परीक्षण के लिए फीस।—

समय—समय पर विहित चिकित्सा परीक्षण फीस उम्मीदवार से प्रभारित की जाएगी तथा उसे सरकारी खजाने में जमा करवाया जाएगा। वर्तमान में फीस की दर निम्नानुसार है:—

क्रम संख्या	पद की नियुक्ति पर	दर रूपये में	प्रवर्ग जिस से उम्मीदवार संबंधित है
1.	2.	3.	4.
1	ग्रुप 'क' तथा 'ख'	200/-	सभी प्रवर्ग
2	ग्रुप 'ग'	100/- 50/-	सामान्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति
3	ग्रुप 'डी'	20/- 10/-	सामान्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति

टिप्पणी— चिकित्सा परीक्षण के लिए हरियाणा सरकार के किसी विभाग में किसी ग्रुप के पद पर सरकारी सेवा में पूर्व सैनिकों तथा मृतक और सेवारत सैनिकों के आश्रित (आश्रितियों) से उनके प्रथम प्रवेश पर कोई भी फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

14. चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण—पत्र से छूट.—

(1) सक्षम प्राधिकारी, वैयक्तिक मामलों में चिकित्सा प्रमाण—पत्र के प्रस्तुतीकरण से छूट दे सकता है तथा साधारण आदेश द्वारा नियम 9 के लागूकरण से सरकारी कर्मचारियों के किसी विनिर्दिष्ट वर्ग को छूट दे सकता है। चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण—पत्र के प्रस्तुतीकरण से छूट देने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार है—

प्रशासकीय विभाग	एकल मामलों में सम्पूर्ण शक्तियाँ
विभागाध्यक्ष	अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के संबंध में सम्पूर्ण शक्तियाँ।

टिप्पणी— किसी व्यक्ति को एक बार सरकारी सेवा में प्रवेश करने के लिए चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है यदि वह वास्तव में परीक्षित किया गया है तथा अनुपयुक्त घोषित किया गया है, तो यह सक्षम प्राधिकारी के लिए स्वेच्छाधिकार नहीं है कि वह प्रमाण—पत्र की उपेक्षा के लिए अपने विवेक का प्रयोग करे।

- (2) सक्षम प्राधिकारी के साधारण या विशेष आदेश द्वारा तथा अन्यथा निर्देशों को छोड़ कर, सरकारी कर्मचारियों के निम्नलिखित वर्गों को चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने से छूट हैः—
- (i) छ: मास से अनधिक अवधि के लिए किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया कोई उम्मीदवार। तथापि, यदि वह बाद में उस कार्यालय में रखा जाता है या अवरोध अवधि के बिना, किसी अन्य कार्यालय में नियुक्त किया जाता है तथा सरकार के अधीन लगातार कुल अवधि छ: मास से अधिक की सम्भावना है, तो उसे उस कार्यालय में उसके रखने की स्वीकृति वाले आदेशों या नये कार्यालय में कार्य ग्रहण की तिथि, जैसी भी स्थिति हो, से एक सप्ताह के भीतर ऐसा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा;
 - (ii) नियम 15 के उपबन्ध के अध्यधीन पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर;
 - (iii) पंजी क-1 (तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार) तथा पंजी क-2 (लिपिकीय सरकारी कर्मचारी) से हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में भर्ती किये गये किसी सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा परीक्षण के लिए अपेक्षित नहीं किया जाएगा यदि वह सरकारी सेवा में नियुक्ति पर चिकित्सा परीक्षित किया गया था तथा उपयुक्त घोषित किया गया था;
 - (iv) सेवानिवृत्ति के तुरन्त बाद पुनः नियोजित कोई सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी।

15. अवरोध अवधि सहित या के बिना पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण—पत्र.—

जब तक किसी मामले में अन्यथा उपबन्धित नहीं है, अवरोध अवधि सहित या अवरोध अवधि के बिना, हरियाणा सरकार के अधीन एक विभाग से दूसरे विभाग में या उसी विभाग में या हरियाणा सरकार के अधीन किसी एक विभाग से किसी संगठन में या विपर्ययेन से सीधी भर्ती, स्थानान्तरण या अन्यथा द्वारा (त्यागपत्र के बाद भी यदि उचित प्रणाली से आवेदन किया है) उसी या अन्य ग्रुप के एक पद से दूसरे पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर, नये सिरे से चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण—पत्र की अपेक्षा नहीं की जाएगी बशर्ते कि—

- (क) पदधारी पूर्व में सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा परीक्षित किया गया था तथा

पश्चात्‌वर्ती नियुक्ति के पद हेतु, जो अपेक्षित चिकित्सा मानकों से नीचे के न हों, के अनुसार उपयुक्त घोषित किया गया था; तथा

(ख) अवरोध अवधि यदि कोई हो, एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए न हो।

टिप्पण 1.— यदि अवरोध अवधि एक वर्ष से अधिक है, तो उम्मीदवार को अपना नया चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

टिप्पण 2.— सेवा के विनियमन या नयी नियुक्ति की दशा में, उसी पद पर पहले से दैनिक मजदूरी, पार्ट टाइम, संविदा आधार पर या अन्यथा लगे व्यक्ति से नये चिकित्सा प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

16. गर्भावस्था की स्थिति में महिला उम्मीदवार की उपयुक्तता।—

यदि कोई महिला उम्मीदवार जो अन्यथा नियुक्ति से पूर्व चिकित्सा परीक्षण के दौरान गर्भवती के रूप में उपयुक्त पाई जाती है, तो उसे पद, जो कोई विस्तृत प्रशिक्षण विहित नहीं करता है, पर सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु अस्थायी रूप से अनुपयुक्तता के रूप में घोषित नहीं की जाएगी। तथापि, उसे अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा, यदि वह जोखिम स्वरूप की ड्यूटी वाले पद पर नियुक्त की गई है, उदाहरणार्थ पुलिस विभाग इत्यादि, जहां उसको सेवा शर्त के रूप में प्रशिक्षण अवधि पूरी करनी है, वहां उसे गर्भवती होने के कारण अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।

17. स्थानांतरण द्वारा पश्चात्‌वर्ती नियुक्ति से पूर्व उपयुक्तता में त्रुटि।—

जब कोई सरकारी कर्मचारी, जिसमें कोई त्रुटि सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा नोटिस की गई है, किन्तु किसी विशेष पद तथा/या विभाग, जिसमें वह कार्य रहा है, के लिए अयोग्यता के रूप में विचारी नहीं गई है, तो तत्पश्चात् केवल दूसरे पद पर या विभाग, जिसकी ड्यूटी विभिन्न स्वरूप की है, में स्थानांतरण द्वारा नियुक्त किया गया है, स्थानांतरण तब तक स्थायी रूप में नहीं समझा जाएगा जब तक नये कार्यालय या विभाग के अध्यक्ष के अनुरोध पर सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी प्रमाणित नहीं करता है कि पूर्व नोटिस त्रुटि लुप्त हो गई या कि यह सरकारी कर्मचारी को सौंपी गई नई ड्यूटियों के लिए अयोग्यता नहीं बनती है।

18. प्रथम या पश्चात्‌वर्ती नियुक्ति पर चिकित्सा उपयुक्तता परीक्षण के विरुद्ध अपील।—

बोर्ड के निर्णय से व्यक्ति व्यक्ति स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक में गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा पुनः परीक्षण हेतु महानिदेशक, स्वारथ्य सेवाएं, हरियाणा से अनुरोध कर

सकता है। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा पुन परीक्षण हेतु बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र की प्रति सहित स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक को अनुरोध भेजेगा। स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक की रिपोर्ट अन्तिम होगी तथा आगे कोई भी पुनः परीक्षण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

19. कर्तव्यों के दक्ष निर्वहन हेतु चिकित्सा उपयुक्तता।—

जब कभी, यह विश्वास करने का कारण हो कि सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों को संतोषपूर्वक करने के लिए शारीरिक रूप से उपयुक्त नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी को सरकारी कर्मचारी से अपने पद के कर्तव्यों के दक्ष निर्वहन हेतु उसकी शारीरिक उपयुक्तता के लिए किसी चिकित्सा बोर्ड के समक्ष पेश होने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी।

टिप्पण 1।— यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते सहित चिकित्सा परीक्षण के सम्पूर्ण खर्च की सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी/वहन किया जाएगा। विहित फीस भी वापस की जाएगी यदि सरकारी कर्मचारी और आगे सेवा करने के लिए उपयुक्त पाया जाता है।

टिप्पण 2।— यदि सरकारी कर्मचारी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अपनी ड्यूटी करने हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उसका मामला निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1), की धारा 47 के अधीन विचारा जाएगा।

20. सेवा में बनाए रखने के लिए चिकित्सा परीक्षण के प्रतिकूल निष्कर्षों के विरुद्ध अपील।—

यदि कोई सरकारी कर्मचारी चिकित्सा बोर्ड द्वारा सरकारी सेवा में बनाए रखने के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया है, तो रद्दकरण हेतु आधार विस्तृत निबंधनों में उसको संसूचित किए जाएंगे। सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी को, तथापि, चिकित्सा बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा से अपील करने का अधिकार होगा :

अपील ऐसी संसूचना के तीस दिन के भीतर दायर की जाएगी यदि नियुक्ति प्राधिकारी या विभागाध्यक्ष, जो भी उच्चतर हो, चिकित्सा परीक्षण करने वाले प्राधिकारी के निर्णय में न्यायनिर्णय की गलती की सम्भावना पर सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी द्वारा उसके समक्ष रखे गए साक्ष्य से संतुष्ट हो जाता है।

21. अपील पर चिकित्सा परीक्षण हेतु फीस।—

- (i) उम्मीदवारों के चिकित्सा परीक्षण के विरुद्ध अपील हेतु फीस, जो सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किए गए हैं, राजपत्रित अधिकारियों के लिए एक

हजार रुपये तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए पाँच सौ रुपये दर पर प्रभारित की जाएगी।

- (ii) अपील के लिए विहित फीस दोबारा जमा करवाते हुए केवल तीक्षणता दृश्य के कारण रद्दकरण के सन्देहास्पद मामलों में द्वितीय अपील अनुज्ञेय है।
- (iii) सफल अपीलार्थी को अपील की फीस वापस की जाएगी तथा उसे बोर्ड के समक्ष अपनी उपस्थिति हेतु अपनी हकदारी अनुसार यात्रा खर्च भी अनुज्ञात किए जाएंगे।

22. सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु आयु—

- (क) कोई व्यक्ति, जिसकी आयु बयालीस वर्ष से अधिक है, सामान्यतः सरकार के अधीन तब तक सेवा में प्रविष्ट नहीं किया जाएगा जब तक इन या किन्हीं अन्य नियमों में अन्यथा उपबन्धित नहीं किया गया हो। सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु सीमा ग्रुप घ पद की दशा में सोलह वर्ष तथा अन्य ग्रुपों के पदों हेतु सतरह वर्ष होगी।
- (ख) बयालीस वर्ष की ऊपरी आयु सीमा निम्नलिखित एक या अधिक से संबंधित व्यक्ति की दशा में पांच वर्ष तक बढ़ाई जाएगी—
 - (i) अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां;
 - (ii) पिछड़े वर्ग;
 - (iii) सेना कार्मिकों की पत्नियां जो सेना सेवा के दौरान अशक्त हो गए हैं;
 - (iv) विधवा या विधिक रूप से तलाकशुदा महिलाएं;
 - (v) अन्य प्रवर्गों के उम्मीदवारों हेतु आयु के प्रयोजन के लिए यथा विहित तिथि से दो वर्ष से अधिक के लिए पृथक रूप से रहने वाली न्यायिक रूप में पृथक महिलाएं।
- (ग) किसी सेवा या पद पर नियुक्त हेतु विहित ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष जोड़ते हुए उसकी सेना सेवा की सीमा तक, पूर्व सैनिकों के पक्ष में छूट दी जाएगी यदि—
 - (i) उसने अपनी निर्मुक्ति से पूर्व कम से कम छः मास की अवधि के लिए लगातार सेना सेवा की है; तथा
 - (ii) वह कदाचार या अयोग्यता के कारण पदच्युति या सेवामुक्ति के रूप से अन्यथा निर्मुक्त किया गया था।

(घ) असाधारण रूप से योग्य व्यक्ति जैसे बहरे, गूँगे, अन्धे तथा विज्ञान रूप में विकलांगों को पद, जिस पर वे उपयुक्त रूप से नियोजित किए जा सकते हैं, पर सीधी भर्ती हेतु विहित ऊपरी सीमा से अधिक दस वर्ष की आयु की छूट दी जाएगी।

23. आयु सीमा निर्बन्धन अधित्यजन.—

सक्षम प्राधिकारी, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग की दशा में, इन नियमों में विनिर्दिष्ट आयु सीमा के निर्बन्धन को अधित्यजित कर सकता है, यदि उसकी राय में, यह विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत न्यायसंगत है।

टिप्पणी— प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी—

- (i) सम्बद्ध विभाग में किसी पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की दशा में प्रशासनिक विभाग है;
- (ii) हरियाणा राज भवन में युप 'घ' पदों पर भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की दशा में राज्यपाल का सचिव है; तथा
- (iii) हरियाणा विधान सभा सचिवालय में युप 'ग' तथा युप 'घ' के पदों पर भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की दशा में अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा है।

24. टीकाकरण तथा पुनः टीकाकरण.—

प्रत्येक सरकारी कर्मचारी स्वयं टीका लगवाएगा तथा किसी समय जब सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस प्रकार निर्देश दिए जाएं पुनः टीका लगवाएगा।

25. पूर्ण कालिक सरकार के निपटान पर.—

जब तक किसी मामले में अन्यथा स्पष्टतः उपबन्धित नहीं है, सरकारी कर्मचारी पूर्णकालिक सरकार के निपटान पर है जो उसे वेतन देती है तथा उसे उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किसी रीति में दावा या अंतिरिक्त पारिश्रमिक के बिना नियोजित कर सकती है चाहे उसकी अपेक्षित सेवाएं ऐसी होंगी जैसे सामान्य रूप से संघ या राज्य राजस्व से या स्थानीय निधि के राजस्व से पारिश्रमिक दिया जाता है।

टिप्पणी— सरकारी कर्मचारी से तैनाती के स्थान पर अपने मुख्यालय पर रहने के लिए अपेक्षा की जाएगी तथा प्रभारी अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा।

26. जानबूझकर अनुपस्थिति सेवा में ब्रेक है।—

किसी नियम के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जानबूझ कर अनुपस्थिति की अवधि कर्मचारी की सेवा में रुकावट या ब्रेक का कारण समझी जाएगी जब तक अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित नहीं की जाती।

27. परिवीक्षा अवधि।—

किसी पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्ति, यदि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये हैं, तो दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे जो तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, तथा यदि अन्यथा नियुक्त किए गए हैं, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

टिप्पणी।— परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने पर, आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

28. पुष्टि पर धारणाधिकार।—

(1) नियमित आधार पर नियुक्त किया गया सरकारी कर्मचारी, परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके सेवा काल में केवल एक बार पुष्टि किया जायेगा। वह अपनी प्रथम नियुक्ति के उस नियमित पद पर धारणाधिकार अर्जित करेगा तथा पूर्व में किसी अन्य पद पर अर्जित कोई धारणाधिकार धारण नहीं करेगा।

(2) (क) दो सरकारी कर्मचारी एक ही समय पर उसी नियमित पद पर (अधिष्ठाई रूप से नियुक्त) पुष्ट नहीं किये जा सकते।

(ख) कोई सरकारी कर्मचारी एक ही समय पर दो नियमित पदों पर या नियमित पद पर जिस पर कोई दूसरा सरकारी कर्मचारी धारणाधिकार धारण करता है (अधिष्ठाई रूप से नियुक्त) पुष्ट नहीं किया जा सकता।

टिप्पणी 1।— पुष्टि संवर्ग में स्थायी रिक्ति की उपलब्धता से अलग कर दी गई है।

टिप्पणी 2।— अस्थायी सरकारी कर्मचारी जिसने इन नियमों के अधिसूचित होने की तिथि तक अपनी प्रथम नियुक्ति के नियमित पद पर परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे पद पर पुष्ट किया जाएगा।

टिप्पणी 3।— पदोन्तत पद पर कार्य कर रहा अस्थायी सरकारी कर्मचारी पदोन्तत पद या

फीडर पद जिसकी उसने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, पर भी पुष्ट किया जाएगा।

- (3) स्थायी सरकारी कर्मचारी के अपने मूल संवर्ग/विभाग में वापस आने पर, यदि कोई नियमित पद, जिस पर वह धारणाधिकार धारण करता है, रिक्त नहीं है, तो उसे समायोजित करने के लिए उस संवर्ग में कनिष्ठतम् सरकारी कर्मचारी को—
 - (i) फीडर पद, जिससे वह पदोन्नत किया गया था, पर प्रतिवर्तित किया जाएगा;
 - (ii) यदि उस पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया था तो सेवा से हटा दिया जाएगा; या
 - (iii) यदि स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किया गया था तो उसके मूल संवर्ग/विभाग में वापस भेजा जाएगा,

यदि, तथापि, वह स्वयं कनिष्ठतम् है, तो उसे फीडर पद, जिससे वह पदोन्नत किया गया था, पर प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।

29. पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर पुष्टि.—

- (1) किसी अस्थाई सरकारी कर्मचारी की उसी या किसी अन्य विभाग में पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर, उसे पश्चात्वर्ती नियुक्ति के पद की परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद पुष्टि के लिए विचारा जाएगा।
- (2) किसी स्थाई सरकारी कर्मचारी की उसी या किसी अन्य विभाग में सीधी भर्ती द्वारा या अन्यथा किसी दूसरे पद पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर, उस पद पर पुष्टि हेतु पात्रता के समय या तो नए पद पर उसकी पुष्टि हेतु या नोटिस के जारी होने की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित करने हेतु उसे विकल्प चुनने का प्रयोग करना होगा, जिसमें असफल रहने पर यह समझा जाएगा कि उसने पश्चात्वर्ती नियुक्ति के पद पर पुष्टि किए जाने के लिए चुना है। विकल्प की प्राप्ति या विहित अवधि की समाप्ति के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा तदानुसार आदेश जारी किए जाएंगे। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अन्तिम होगा।

टिप्पण 1.— किसी सरकार के अधीन किसी संगठन में किसी स्थायी सरकारी कर्मचारी की पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर, धारणाधिकार नए पद की परिवीक्षा अवधि की तिथि तक रखा जाएगा।

टिप्पण 2.— कोई सरकारी कर्मचारी जो अन्य सरकार से सीधी भर्ती द्वारा या अन्यथा नियुक्त किया गया है, तो पुष्टि के प्रयोजन के लिए नए सिरे से विचारा जाएगा।

30. धारणाधिकार रखना।—

किसी स्थायी सरकारी कर्मचारी का किसी नियमित पद पर धारणाधिकार रखा जाएगा —

- (क) उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान;
- (ख) किसी दूसरे पद पर नियुक्ति पर परिवीक्षा अवधि के दौरान;
- (ग) विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण के दौरान;
- (घ) किसी अवधि काल पद पर कार्य करने के दौरान;
- (ङ) अवकाश के दौरान; तथा
- (च) निलंबन अवधि के दौरान।

31. उच्चतर से निम्नतर पद पर स्थानान्तरण।—

- (क) किसी सरकारी कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक पद से निम्नतर वेतन ढांचे के किसी दूसरे पद पर स्थानापन्न या अधिष्ठाई हैसियत में स्थानान्तरित किया जा सकता है—
 - (i) अक्षमता या दुर्ब्यवहार के कारण;
 - (ii) उसके लिखित अनुरोध पर; या
 - (iii) नियमित पद के समापन के कारण।
- (ख) उपरोक्त खण्ड (क) में दी गई कोई भी बात किसी सरकारी कर्मचारी के उच्चतर पद, जिस पर वह धारणाधिकार धारण कर रहा था, पर पुनः स्थानान्तरण को रोकने के लिए लागू नहीं होगी।

टिप्पण।— उपरोक्त खण्ड (क) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में वेतन हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016 में उपबन्ध के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

32. भविष्य निधि या किसी अन्य निधि में अंशदान।—

सरकारी कर्मचारी से भविष्य निधि, परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम, बीमा निधि, तथा / या ऐसे नियमों के अनुसार किसी अन्य समरूप निधि में अंशदान करने की अपेक्षा की जाएगी जैसे सक्षम प्राधिकारी आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

33. वेतन तथा भत्तों की संगणना करने की तिथि।—

इन नियमों में विशिष्ट रूप से दी गई किन्हीं परिस्थितियों के अध्यधीन, यदि कोई सरकारी कर्मचारी तिथि, जिसको वह उस पद के कार्यों का प्रभार धारण करता है या छोड़ता है, से पद का वेतन तथा भत्तों की हकदारी बनी रहेगी या समाप्त हो जाएगी, यदि वह इस उस तिथि को कार्य दोपहर से पूर्व ग्रहण करता है या छोड़ता है; किन्तु यदि वह उस दिन को कार्यभार दोपहर के बाद धारण करता है या छोड़ता है, तो वेतन तथा भत्तों की हकदारी अगले दिन से प्रारम्भ होगी या समाप्त होगी।

टिप्पण।— सेवा के दौरान मृत्यु की दशा में, मृत्यु के दिन को सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर समझा जाता है यदि वह अन्यथा अवकाश पर नहीं हो, उस दिन के वेतन तथा भत्ते तदानुसार अनुज्ञय होंगे।

34. पद प्रभार।—

अधोलिखित नियम 36 में यथा उपबंधित के सिवाए, किसी पद का प्रभार मुख्यालय पर लिया जाएगा; प्रभार छोड़ने वाले तथा प्रभार लेने वाले दोनों सरकारी कर्मचारी उपस्थित होने चाहिए।

टिप्पण 1।— प्रत्येक भारमुक्त सरकारी कर्मचारी शीघ्र सम्बव समय पर जब वह प्रभार लेने की स्थिति में हो, भारमुक्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को सूचित करने के लिए जिम्मेवार है, तथा उस तिथि को प्रभार देने के लिए तैयार रहने हेतु भारमुक्त होने वाला सरकारी कर्मचारी बाध्य होगा।

टिप्पण 2।— जब प्रभार लेने में एक दिन से ज्यादा लगता है, तो प्रभार रिपोर्ट में अन्तिम तिथि दर्ज की जानी चाहिए तथा स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

टिप्पण 3।— कार्यालय का प्रधान प्रभार छोड़ने/लेने के लिए दो दिन का समय अनुज्ञात करने हेतु सक्षम होगा, यदि वह आवश्यक समझता है तथा यदि ज्यादा अवधि अपेक्षित है तो विभागाध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी होगा।

35. प्रभार सौंपने/लेने हेतु अनुकूलतम नियतन।—

उन मामलों में, जिनमें प्रभार विभिन्न स्थानों पर सौंपा जाना है, भारमोचन तथा भारमुक्त सरकारी कर्मचारी प्रभार सौंपने तथा लेने के कार्य को पूरा करने के साथ-साथ निरीक्षण करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों द्वारा अपेक्षित हैं, प्रभार सौंपने तथा लेने के लिए ली गई अवधि दोनों भारमोचन तथा भारमुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्यूटी के रूप में

समझी जाएगी। कार्यालयाध्यक्ष प्रभार सौंपने/लेने के लिए दो दिन अनुज्ञात करने हेतु सक्षम होगा; यदि वह आवश्यक समझता है तथा यदि ज्यादा अवधि अपेक्षित है, तो विभागाध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी होगा।

टिप्पणी— वित्त विभाग के परामर्श से प्रशासकीय विभाग सौंपी जाने/ली जाने वाली मदों की सूची के साथ प्रभार सौंपने/लेने के लिए उनके संबंधित विभाग हेतु उपयुक्त अवधि नियत करेंगे।

36. पद का प्रभार लेने में अपवाद.—

ग्रुप ख, ग तथा घ तथा जिला स्तर तक ग्रुप क की दशा में विभागाध्यक्ष तथा प्रशासकीय विभाग या दोनों को निम्नलिखित शर्तों को छूट देने की सम्पूर्ण शक्तियां हैं—

- (i) मुख्यालय पर प्रभार लेने हेतु; तथा / या
- (ii) प्रभार, जो स्थायी अग्रिम से अन्यथा प्रतिभूतियां या धनराशि सौंपनी या लेनी है; के ग्रहण करने की दशा में सिवाए मुख्यालय पर दोनों की उपस्थिति;

टिप्पणी 1.— मुख्यालय से भिन्न कहीं भी पद के स्थानान्तरण तथा प्रभार वाले मामलों में, कारण का वास्तविक स्वरूप आदेशों में अभिव्यक्त किया जाएगा।

टिप्पणी 2.— इस शर्त के साथ कि चले जाने वाला सरकारी कर्मचारी उसके प्रभार में धन राशि हेतु जिम्मेवार है, तो सक्षम प्राधिकारी घोषित कर सकता है कि उपरोक्त उप खण्ड (ii) किसी विशेष मामले में लागू नहीं है।

टिप्पणी 3.— स्थायी अग्रिम का सौंपना धन राशि का अन्तरण नहीं है, किन्तु लगातार छुट्टी पर चल रहा सरकारी कर्मचारी उसके उत्तराधिकारी द्वारा प्रभार के औपचारिक ग्रहण करने तक धन राशि के लिए जिम्मेवार होगा।

37. सेवा शर्त के रूप में सेवानिवृत्ति.—

कोई सरकारी कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा। वह लोकहित में समय से पूर्व भी सेवानिवृत्त किया जा सकता है या विहित आयु के पूरा करने पर या विहित अर्हक सेवा पूरी करने पर सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है। आगे, उसकी आयु या सेवा काल को ध्यान में रखे बिना दण्ड के उपाय के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त भी किया जा सकता है।

अध्याय—IV

सेवाओं का वर्गीकरण पद का सर्जन, आचरण और अनुशासन और दण्ड तथा अपील

38. सामान्य.—

- (क) अखिल भारतीय सेवाओं के अतिरिक्त जिनके नियम बनाना भारत के राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन है, हरियाणा सरकार के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन लोक सेवाएं निम्नानुसार वर्गीकृत की जाएंगी—
1. राज्य सेवाएं, ग्रुप क;
 2. राज्य सेवाएं, ग्रुप ख;
 3. राज्य सेवाएं, ग्रुप ग;
 4. राज्य सेवाएं ग्रुप घ;
- (ख) किसी व्यक्ति की दशा में जिसको ये नियम लागू होते हैं तथा जो अनुबन्ध-3 में दी गई किन्हीं सेवाओं में पहले से शामिल नहीं है, प्रशासकीय विभाग, सेवाएं जिससे वह संबंधित होगा, विनिश्चित करेगा;

39. पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर अधिकार.—

किसी सरकारी कर्मचारी की एक पद से किसी दूसरे पद पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति किसी अधिकार या विशेषाधिकार, जिसके लिए वह उसकी पूर्व सेवा के सदस्य के रूप में हकदार था, से उसकी सहमति के बिना, उसे वंचित नहीं करेगा बशर्ते वह पश्चात्वर्ती नियुक्ति के पद पर पुष्ट नहीं किया गया है या हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के अधीन सेवा से हटाया/पदच्युत नहीं किया गया है।

40. भर्ती संबंधी नियम बनाना.—

सक्षम प्राधिकारी—

- (क) विभिन्न सेवाओं में भर्ती के ढंग को विनियमित करने वाले नियम बना सकता है;
- (ख) ऐसी सेवाओं की संख्या (पदों की संख्या तथा स्वरूप दोनों सहित) को विनियमित

करने वाले नियम बना सकता है; तथा

- (ग) विभिन्न सेवाओं में प्रथम नियुक्ति करने के लिए विनियमित करने वाले नियम बना सकता है।

टिप्पणी— विभिन्न सेवाओं के लिए इस नियम में वर्णित विषयों से संबंधित नियम सम्बद्ध विभाग द्वारा अलग रूप से जारी किए जाएंगे।

41. पद के सर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी—

इन नियमों में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए, प्रशासकीय विभाग को, वित्त विभाग की सहमति से, स्थायी/अस्थायी पद सर्जन करने या समाप्त करने की पूरी शक्ति है। तथापि, अखिल भारतीय सेवाओं की दशा में, भारत सरकार की स्वीकृति अखिल भारतीय सेवाओं के संवर्ग में दिये गये पद को निलंबित रखने के लिए तथा विभिन्न हैसियत में किसी अस्थायी पद को उसके स्थान पर सर्जन करने के लिए आवश्यक है।

टिप्पणी 1.— पार्ट टार्फ आधार पर कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करना, जिसे हरियाणा में लागू पंजाब वित्त नियम के प्रावधानों के अनुसार प्रभार से भुगतान किया जाता है, पद के सर्जन के लिए नहीं विचारा जाएगा।

टिप्पणी 2.— प्रशासकीय विभाग योजना तथा वित्त विभाग की सहमति से राज्य पंचवर्षीय योजना में यथा उपबंधित योजना स्कीमों के संबंध में पदों के सर्जन हेतु सक्षम होगा बशर्ते कि ये पद—

(i) विद्यमान पदों के वेतन ढांचे के समरूप हैं; तथा

(ii) उन कार्यभार संबंधी मानकों के अनुसार हैं, यदि पहले से विदित हैं।

टिप्पणी 3.— हरियाणा में माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश तथा जिला न्यायाधीशों द्वारा पद सूजित करने की शक्ति निम्नानुसार है—

(क) उच्च न्यायालय तथा उसके अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अपेक्षित नये स्थायी लिपिकीय पदों का सर्जन करना।	उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश
--	-----------------------------------

<p>(ख) उच्च न्यायालय तथा उसके अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अपेक्षित आदेशिका तामिल करने वाली स्थापना में नये स्थायी पद सर्जन करना:—</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) सिविल नाजर (ii) नायब नाजर / मदद नायब नाजर (iii) बैलिफ (iv) आदेशिका तामीलकर्ता 	उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश
<p>(ग) उच्च न्यायालय तथा उसके अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अपेक्षित ग्रुप घ स्थापना में नये स्थायी पद सर्जन करना।</p>	उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश
<p>(घ) उच्च न्यायालय तथा उसके अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अपेक्षित अस्थायी लिपिकीय तथा ग्रुप 'घ' पद सर्जन करना।</p>	उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश
<p>(ङ) प्रत्येक जिला न्यायालय के लिए संदेशवाहक का पद सर्जन करना जब विचारी जाने वाली स्टेशन डाक की मात्रा इसके लिए आवश्यक प्रतीत हो।</p>	उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश
<p>(च) अस्थायी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों हेतु नीचे दिए गए अस्थायी पद सर्जन करना:—</p> <ul style="list-style-type: none"> एक रीडर एक निर्णय लेखक (वरिष्ठ ग्रेड) एक आशुलिपिक एक अनुवादक एक अलमद एक कापी लिपिक एक प्रवेशक दो सेवादार 	जिला एवं सत्र न्यायाधीश

<p>(छ) निम्नलिखित अपर अधीनस्थ न्यायाधीशों के लिए अपेक्षित अस्थायी पद सर्जन करना:—</p> <p>एक रीडर</p> <p>एक निर्णय लेखक (कनिष्ठ ग्रेड)</p> <p>एक अलमद</p> <p>एक नायब नाजर</p> <p>एक सेवादार</p> <p>एक अतिरिक्त सेवादार</p>	<p>जिला एवं सत्र न्यायाधीश</p>
<p>(ज) सरकारी सोसाइटियों की ओर न्यायालयों में किए गए आवेदनों के संबंध में निष्पादन हेतु बेलिफो के अस्थायी पद सर्जन करना</p>	<p>जिला एवं सत्र न्यायाधीश</p>
<p>(झ) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों तथा न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों के लिए अपेक्षित निम्नलिखित अस्थायी पद सर्जन करना:—</p> <p>रीडर</p> <p>निर्णय लेखक (कनिष्ठ ग्रेड)</p> <p>अलमद</p> <p>आशु टंकक</p> <p>सेवादार</p> <p>अतिरिक्त सेवादार</p>	<p>जिला एवं सत्र न्यायाधीश</p>

42. लघु अवधि रिक्तियों का भरा जाना।—

- (क) लघु अवधि रिक्तियां, जिनकी अवधि पर्याप्त मार्जिन से दो मास से अधिक है, तो पदों पर नियुक्ति करने वाले सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सामान्य रीति से भरी जा सकती हैं।
- (ख) स्थानापन्न पदोन्नति की दशा में—
- (i) दो मास से कम अवधि की रिक्तियां, या

- (ii) दो मास या कम की अवधि की रिक्तियों की लगातार चेन, जब दो मास से अधिक की अवधि साथ-साथ ली गई है;

बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में ग्रुप क तथा ख पदों की दशा में सम्बद्ध प्रशासकीय सचिव तथा ग्रुप ग तथा घ पदों की दशा में विभागाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी परन्तु हरियाणा विधान सभा की दशा में ऐसी नियुक्ति, सचिव को छोड़ कर, अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

टिप्पणी— इन नियमों के प्रयोजन के लिए “लघु अवधि रिक्ति” से अभिप्राय है, 180 दिन से कम की अवधि के उसी प्रकार के पद की रिक्तियों की चेन सहित कोई रिक्ति।

43. राज्य सेवाओं की घोषणा—

- (क) ऐसी सेवाओं से बनने वाली राज्य सेवाएं, ग्रुप क तथा ग्रुप ख, जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा ग्रुप क या ख सेवाओं में शामिल किए जाने के लिए अधिसूचना द्वारा राजपत्र में समय-समय पर घोषित की जाएं।

टिप्पणी— राज्य सेवाओं, ग्रुप 'क' तथा 'ख' के रूप में घोषित की गई सेवाओं की सूची इन नियमों के अन्त में अनुबन्ध-3 पर संलग्न की गई है।

- (ख) ऐसे सरकारी कर्मचारियों, जिनको ये नियम लागू हैं, किन्तु राज्य सेवाओं के ग्रुप 'क' तथा 'ख' शामिल नहीं है, सहित राज्य सेवाओं के ग्रुप 'ग' तथा 'घ'।

44. सरकारी कर्मचारी आचरण नियम बनाना—

राज्य सेवाओं (अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों से अन्यथा) के सदस्यों के आचरण को विनियमित वाले नियम बनाने के लिए हरियाणा सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) सक्षम प्राधिकारी है।

टिप्पणी— सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के अधीन अधिसूचित नियम हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 में दिए गए हैं।

45. दण्ड तथा अपील नियम बनाना—

हरियाणा सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) शास्त्रियों, जो राज्य सेवाओं के सदस्यों को

अधिरोपित की जा सकती हैं, को विनिर्दिष्ट करने वाले नियम तथा ऐसी शास्त्रियों के अधिरोपन के विरुद्ध अपील करने के लिए प्रक्रिया बनाने हेतु सक्षम प्राधिकारी है।

टिप्पणि— सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस नियम के अधीन अधिसूचित नियम हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में दिए गए हैं।

अध्याय—V

सेवा अभिलेख

46. सेवा पुरितका के विहित प्ररूप।—

किसी सरकारी कर्मचारी के सेवा अभिलेख इन नियमों के अनुबन्ध—4 के अनुसार निम्नलिखित प्ररूपों में रखे जाएंगे—

1. जीवन वृत्त प्ररूप
2. प्रमाण—पत्रों, नामांकनों तथा पारिवारिक सदस्यों के विवरण के प्ररूप
3. (क) पूर्व अर्हक सेवा का प्ररूप
(ख) विदेश सेवा का प्ररूप
4. सेवा विषय के पूर्ववृत्त का प्ररूप
5. सेवा सत्यापन के अभिलेख का प्ररूप
6. पारिवारिक सदस्यों के विवरण का प्ररूप
7. अवकाश यात्रा रियायत की प्रविष्टि हेतु प्ररूप
8. सरकारी कर्मचारी द्वारा लिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का प्ररूप
9. आन्तरिक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों का प्ररूप
10. हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में विहित अवकाश लेखा (अनुबन्ध—5) के निम्नलिखित प्ररूप

1	अर्जित अवकाश लेखा प्ररूप
2	अर्ध वेतन अवकाश लेखा प्ररूप
3	प्रसूति अवकाश तथा बालक दत्तक ग्रहण अवकाश या पैतृत्व अवकाश लेखा प्ररूप
4	शिशु देखभाल अवकाश लेखा प्ररूप
5	असाधारण अवकाश या किसी अन्य अवकाश की किस्म का लेखा प्ररूप

47. सेवा पुस्तिका का रख—रखाव.—

- (1) सेवा पुस्तिका कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किसी सरकारी कर्मचारी के लिए उसकी प्रथम नियुक्ति की तिथि से बनाई जाएगी, जिसमें वह नियोजित किया गया है तथा विभाग द्वारा अपनी लागत पर उपलब्ध करवाई जाएगी। सेवा पुस्तिका के रख—रखाव हेतु अनुदेश इन नियमों के अन्त में अनुबन्ध—4 में दिये गए हैं। यह कार्यालयाध्यक्ष की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जानी चाहिए जिसमें वह कार्य कर रहा है।
- (2) जब किसी सरकारी कर्मचारी का स्थानान्तरण एक कार्यालय से दूसरे में या एक विभाग से दूसरे में किया जाता है, तो कार्यालयाध्यक्ष जिससे वह स्थानान्तरित किया गया है, स्थानान्तरण की तिथि तक सेवा पुस्तिका में अवकाश लेखा तथा अन्य प्रविष्टियां अद्यतन करेगा तथा उसे कार्यालयाध्यक्ष जिसमें सरकारी कर्मचारी स्थानांतरित किया गया है, को भेजेगा। स्थानांतरित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका आगे उस कार्यालय द्वारा सुरक्षित रखी जाएगी।

48. सेवा पुस्तिका की फोटो प्रति की रसीद.—

सरकारी कर्मचारी वर्ष में एक बार प्रति पृष्ठ पांच रूपए की फीस के भुगतान पर अपनी सेवा पुस्तिका की सम्यक् रूप से साक्षांकित फोटो प्रति अपने वैयक्तिक अभिलेख हेतु रख सकता है। वह सरकारी सेवा छोड़ने पर दो सौ रुपये की फीस के भुगतान पर सम्यक् रूप से साक्षांकित अपनी सेवा पुस्तिका की फोटो प्रति रखने के लिए हकदार होगा।

49. सेवा पुस्तिका में प्रत्येक विषय की प्रविष्टियां.—

सरकारी कर्मचारी की सेवा के प्रत्येक विषय को सेवा पुस्तिका में अभिलिखित किया जाएगा और प्रत्येक प्रविष्टि उसके कार्यालयाध्यक्ष या यदि वह स्वयं कार्यालयाध्यक्ष है, तो उसके ठीक वरिष्ठ द्वारा पूर्ण हस्ताक्षर तथा रबड़ मोहर सहित साक्षांकित की जाएगी। कार्यालयाध्यक्ष या प्राधिकृत अधिकारी अवश्य देखें कि सभी प्रविष्टियां सम्यक् रूप से दर्ज तथा सांक्षयांकित की गई हैं, तथा सेवा पुस्तिका में कोई भी कांट—छांट या अधिलेखन नहीं किया ज्यादा लिखा नहीं गया है, सभी दुरुस्तियां साफ—सुधरे रूप में की गई हैं तथा उचित रूप से साक्षांकित की गई हैं।

टिप्पणी— नियोजन से निलम्बन तथा सेवा में प्रत्येक अन्य रोक की प्रत्येक अवधि इनकी अवधि के पूर्ण विवरण को ध्यान में रखा जाएगा तथा कार्यालयाध्यक्ष या अन्य साक्षांकन अधिकारी द्वारा पृष्ठ के आर—पार लिखित प्रविष्टि साक्षांकित की जाएगी।

50. प्रविष्टियों के साक्षांकन के लिए जिम्मेवारी।—

- (क) कार्यालयाध्यक्ष पूर्ण हस्ताक्षर तथा अपनी रबड़ मोहर सहित अपने अधीनस्थों के अवकाश लेखे सहित सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियों के साक्षांकन के लिए जिम्मेवार होगा। वह अपने अधीन सेवारत किसी राजपत्रित सरकारी कर्मचारी को उन्हें साक्षांकन करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है बशर्ते कि—
- (i) कार्यालयाध्यक्ष सेवा पुस्तिकाओं की ऐसी प्रविष्टियों के साक्षांकन, उचित रख—रखाव तथा अभिरक्षा के लिए अपनी जिम्मेवारी से भारमुक्त नहीं होगा।
 - (ii) कार्यालयाध्यक्ष प्रत्येक वर्ष कम से कम दस प्रतिशत सेवा पुस्तिकाओं की संवीक्षा भी करेगा तथा ऐसा करने के प्रमाण में उन्हें आद्याक्षरित भी करेगा।
- (ख) राजपत्रित अधिकारी जिन्हें सेवा पुस्तिकाओं तथा अवकाश लेखों में प्रविष्टियों को साक्षांकित करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं उनकी अपनी सेवा पुस्तिकाओं तथा अवकाश लेखों में प्रविष्टियों के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। उनकी सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां कार्यालयाध्यक्ष द्वारा साक्षांकित की जाएंगी। आगे, कार्यालयाध्यक्ष की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियां ठीक वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी तथा साक्षांकित की जाएंगी।

टिप्पणी।— प्रविष्टियों को साक्षांकित करने की शक्ति अराजपत्रित अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जाएगी।

51. लाल स्याही से प्रविष्टियां।—

निम्नलिखित प्रविष्टियां सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से की जाएंगी—

1. निलम्बन की अवधि।
2. चिकित्सा प्रमाण—पत्र सहित या के बिना असाधारण अवकाश की अवधि
3. जानबूझकर अनुपस्थिति की अवधि
4. सेवा में रोक की कोई अवधि
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई दण्ड
6. अमले की अयोग्यता या पुनः संरचना के कारण निम्नतर पद पर प्रत्यावर्तन
7. सेवा में पुष्टि की तिथि
8. सेवा से त्यागपत्र

9. सेवा से समाप्ति
 10. सेवा से सेवानिवृत्ति
 11. सेवा के दौरान गायब या मृत्यु की तिथि।
- 52. सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी स्वयं की सेवा पुस्तिका का निरीक्षण।—**

प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह देखने का कर्तव्य है कि उसकी सेवा पुस्तिका इन नियमों में यथा विहित उचित रूप से अनुरक्षित की गई है इसलिए कि पेंशन हेतु उसके सत्यापन में कोई बाधा नहीं आ सकती। कार्यालयाध्यक्ष सरकारी कर्मचारी को अपनी सेवा पुस्तिका की जांच करने की अनुमति देगा जब कभी इच्छुक हो। कार्यालयाध्यक्ष सेवा पुस्तिका का निरीक्षण करने पर उसके प्रमाण के रूप में उसमें उसके हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। सरकारी कर्मचारी अन्य बातों के साथ—साथ अपने हस्ताक्षर करने से पूर्व सुनिश्चित करेगा कि उसकी सेवाएं सम्यक् रूप से सत्यापित तथा सही रूप से प्रमाणित की गई हैं।

- 53. विदेश सेवा/प्रतिनियुक्ति की दशा में सेवा पुस्तिका का अन्तरण।—**
- (1) विदेश सेवा/प्रतिनियुक्ति पर किसी सरकारी कर्मचारी के अन्तरण पर, कार्यालयाध्यक्ष विदेश सेवा/प्रतिनियुक्ति की आवश्यक प्रविष्टियां अभिलिखित करने के बाद उसकी सेवा पुस्तिका सम्बद्ध कार्यालय को भेजेगा, जिसमें वह विदेश सेवा/प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। विदेश सेवा/प्रतिनियुक्ति में सरकारी कर्मचारी की प्रत्येक सरकारी घटना को उसकी सेवा पुस्तिका में अभिलिखित किया जाएगा तथा उस कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा साक्षात्कृत किया जाएगा।
 - (2) विदेश सेवा/प्रतिनियुक्ति से सरकारी कर्मचारी की वापसी पर, विभागाध्यक्ष या प्राधिकृत अधिकारी विदेश सेवा/प्रतिनियुक्ति के दौरान सेवा पुस्तिका में अभिलिखित सभी प्रविष्टियों के सहीपन हेतु जांच करेगा तथा विदेश सेवा/प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि तथा विहित दरों पर, विदेशी नियोक्ता/विभाग से अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान की वसूली सम्बन्धी सेवा पुस्तिका में प्रमाण—पत्र भी अभिलिखित करेगा।

- 54. सेवापुस्तिका गुम होना।—**
- (1) यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका खो गई है तथा सभी परिश्रमी प्रयास करने के बाद अनुमार्गणीय नहीं है की दशा में विभागाध्यक्ष को तुरन्त रिपोर्ट की जाएगी। विभागाध्यक्ष ऐसे सरकारी कर्मचारी की कार्यालय अभिलेख, जहां भी उपलब्ध हो, से सेवा पुस्तिका के पुनर्लेखन के लिए आदेश करेगा।

- (2) इन नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने वैयक्तिक अभिलेख हेतु प्राप्त की गई सेवा पुस्तिका, यदि कोई हो, की साक्षांकित फोटो प्रति सेवा पुस्तिका के पुनर्लेखन के लिए प्रामाणिक रूप में विचारी जायेगी।

55. सेवा पुस्तिका की आन्तरिक लेखापरीक्षा।—

सभी सरकारी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका की प्रविष्टियां वर्ष में कम से कम एक बार सम्बद्ध विभाग के आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा की जाएगी किन्तु प्रधान महालेखाकार हरियाणा द्वारा की जाने वाली वार्षिक लेखापरीक्षा से पूर्व। वेतन नियतन से संबंधित प्रविष्टियों की संवीक्षा पूर्ण रूप से की जाएगी।

56. सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियों हेतु अनुदेश।—

जीवन-वृत्त सम्बन्धी प्ररूप भाग—I में प्रविष्टियां।—

- (1) सरकारी कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति के समय पर उसके जीवन-वृत्त सम्बन्धी प्रविष्टियां प्ररूप भाग—I में की जाएंगी तथा वे कार्यालयाध्यक्ष या इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा साक्षांकित की जाएंगी। इस भाग में परिवर्धन तथा परिवर्तन भी उसी प्रकार कार्यालयाध्यक्ष या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा साक्षांकित किया जाएगा।
- (2) सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर या बाएं/दाएं हाथ के अंगूठे का निशान कार्यालयाध्यक्ष या प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में प्राप्त किया जाएगा।

57. प्रमाण-पत्र, नामांकन तथा पारिवारिक विवरण संबंधी प्ररूप भाग-II में प्रविष्टियां।—

- (1) प्ररूप भाग-II के प्रथम आठ प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की प्रविष्टियां सरकारी कर्मचारी की प्रारम्भिक नियुक्ति के समय तथा बाकी चार की समुचित स्तरों पर इस प्ररूप में अभिलिखित की जाएंगी। विशेषतया गोपनीय शपथ सम्बन्धी मद 4 प्रमाणित करने से पूर्व, कार्यालयाध्यक्ष सुनिश्चित करेगा कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 तथा हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 की प्रत्येक की प्रति सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी को उनकी विषय-वस्तु को औपचारिक रूप में नोट करने हेतु उपलब्ध करवा दी गई है।
- (2) ये सभी प्रमाण-पत्र/दस्तावेज सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे तथा सेवा पुस्तिका

की पृथक फाइल शीर्षक जिल्द-II में रखे जाएंगे तथा सेवा पुस्तिका में संलग्न नहीं किए जाएंगे।

- (3) नामांकनों की तथा नोटिसों जैसे सामान्य भविष्य निधि, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान तथा/या परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम के अनुज्ञेय लाभांशों, अवकाश नकदी तथा किन्हीं अन्य देय लाभ हेतु नामांकनों में परिवर्तनों सम्बन्धित प्रविष्टियां इस प्ररूप में की जाएंगी।
- (4) वेतनमानों के पुनरीक्षण, पदोन्नति, सुनिश्चित जीविका प्रगति प्रदान करने के समय पर प्रयोग किए गए विकल्प की प्रविष्टियां भी इस प्ररूप में की जाएंगी।

58. पूर्व अर्हक सेवा संबंधी प्ररूप भाग-III (क) में प्रविष्टियां—

प्ररूप भाग-III (क) में प्रविष्टियां केवल तभी भरी जाएंगी जहां पिछली सेवा, यदि कोई हो, की सामान्तर साक्ष्य के आधार पर प्रविष्ट की जानी है, के सम्बन्ध में कोई भी सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं है। प्रयोजन जिसके लिए पूर्व सेवा “अर्हक” के रूप में स्वीकार की गई है अर्थात् अवकाश वेतन, पेंशन इत्यादि भी विनिर्दिष्ट की जाएंगी। ये प्रविष्टियां कार्यालयाध्यक्ष या इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा साक्षात्कृत की जाएंगी।

59. विदेश सेवा संबंधी प्ररूप भाग-III (ख) में प्रविष्टि—

प्ररूप भाग-III (ख) के खाना 1, 3 तथा 4 विदेश सेवा में ड्यूटी हेतु रिपोर्ट करने वाले सरकारी कर्मचारी के बारे में विदेशी नियोक्ता से सूचना की प्राप्ति के बाद भरे जाएंगे। खाना 2 विदेश सेवा से प्रत्यावर्तन के बाद भरा जाएगा। खाना 4 में प्रविष्टि संक्षिप्त में जो भी उचित हो भरी जायेगी।

60. सेवा के पूर्ववृत्त संबंधी प्ररूप भाग-IV में प्रविष्टियां—

- (1) प्ररूप भाग-IV में प्रविष्टियां प्रारम्भिक नियुक्ति के समय पर तथा उसके बाद पद, कार्यालय, स्थान, वेतन ढांचा या नियुक्ति के स्वरूप में परिवर्तन वाले विषयों की उपस्थिति पर की जाएंगी। ऐसे विषयों में नियुक्ति, पदोन्नति, प्रत्यावर्तन, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण (विदेश सेवा पर स्थानान्तरण सहित) वेतनवृद्धि, अवकाश तथा निलम्बन शामिल होगा।
- (2) निलम्बन की अवधि, असाधारण अवकाश की अवधि, चिकित्सा सहित या के बिना, जानबूझकर अनुपस्थिति की अवधि, सेवा में रोक की कोई अवधि, सक्षम प्राधिकारी

द्वारा दिया गया कोई दण्ड, सेवा में पुष्टि की तिथि, सेवा से त्यागपत्र, सेवा से समाप्ति, सेवा से सेवानिवृत्ति तथा सेवा के दौरान गायब होने या मृत्यु की तिथि सम्बन्धी प्रविष्टियां लाल स्थाही से की जाएंगी।

- (3) द्वितीय तथा पश्चात्‌वर्ती प्रविष्टियों के संबंध में खाना 4–6 को भरे जाने की आवश्यकता केवल तभी होगी यदि वेतन, वेतन ढांचा, कार्यालय या स्थान में कोई परिवर्तन है।
- (4) खाना 6, पृथक् रूप से वेतन के विभिन्न घटकों को दर्शायेगा उदाहरणतया “वृत्तिमूलक/ सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर में वेतन 85,100 रुपये + महंगाई वेतन, यदि कोई हो, + विशेष वेतन 200 रुपये + वैयक्तिक वेतन 200 रुपये }¹
- (5) पदोन्नति/प्रत्यावर्तन/सुनिश्चित जीविका प्रगति प्रदान करने/स्थानान्तरण इत्यादि जो खाना 2 से 6 को प्रभावित करती है, से संबंधी प्रविष्टियां खाना 7 से सम्बन्धित हैं।
- (6) खाना 11 में की गई किसी प्रविष्टि को साक्षांकित करने से पूर्व, साक्षांकित अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि प्रविष्टियों तथा साक्षांकित अधिकारी के हस्ताक्षरों/रबड़ मोहर के बीच के अन्तराल अव्याखित नहीं हैं।
- (7) खाना 2 से 6 को प्रभावित न करने वाला कोई विषय, खाना 11 में संक्षिप्त रूप से नोट किया जायेगा।

61. सेवा के सत्यापन संबंधी प्ररूप भाग-V में प्रविष्टियां।-

प्ररूप भाग-V में प्रविष्टियां वेतन बिल से सम्यक् सत्यापन के बाद प्रासांगिक अवधि हेतु की जाएंगी। कार्यालयाध्यक्ष का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि उसके कार्यालय में कार्यरत सरकारी कर्मचारी के स्थानान्तरण की दशा में, सुसंगत खानों के नीचे सभी विवरण सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी के नए कार्यालय को सेवा पुस्तिका प्रेषित करने के पूर्व सम्यक् रूप से पूरे हैं। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि सेवा पुस्तिका की जिल्द-II के सभी प्रमाण-पत्र/दस्तावेजों को सम्यक् देखभाल सहित सौंपा/प्रेषित किया गया है।

62. प्ररूपों के भाग-VI व VII में प्रविष्टियां।-

- (1) सरकारी सेवा में प्रवेश के समय प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अपने पारिवारिक सदस्यों

¹

अधिसूचना संख्या : 2/12/2017-4 एफ.आर., दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।

के विवरण सूचित करेगा तथा इस संबंध में प्रविष्टियां कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्ररूप भाग—VI में की जाएंगी। जब कभी परिवार में कोई परिवर्तन होता है, तो यह उस द्वारा सूचित किया जाएगा तथा आवश्यक प्रविष्टियां उसकी सेवा पुस्तिका में भी की जाएंगी।

- (2) जब कभी स्वनगर या भारत में कहीं अवकाश यात्रा रियायत स्वीकृत की गई है तथा वास्तव में सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई है, तो इस संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्ररूप—VI में की जाएंगी।

63 प्ररूपों के भाग—VIII व IX में प्रविष्टियां—

- (1) प्ररूप—VIII में आवश्यक प्रविष्टियां, जब कभी ऋण/अग्रिम स्वीकृत किया जाता है तथा सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है तथा उसके बाद प्रत्येक वित्त वर्ष के आधार पर, की जाएंगी। ब्याज तथा शास्ति ब्याज, यदि कोई हो, की राशि की गणना करते समय सम्यक ध्यान देना चाहिए।
- (2) जब कभी सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका आन्तरिक लेखापरीक्षा पक्षकार द्वारा जांची जाती है, तो आवश्यक प्रविष्टि टिप्पणियों सहित प्ररूप—IX में उन द्वारा की जाएंगी।

अध्याय—VI

पदग्रहण काल

64. लोकहित में स्थानान्तरण पर पद ग्रहण काल.—

इन नियमों में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए, पदग्रहण काल किसी सरकारी कर्मचारी को लोक हित में उसके स्थानान्तरण पर प्रदान किया जायेगा।

टिप्पणि— जब सरकारी कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके पद के समापन से पूर्व किसी समय दूसरे पद का प्रस्ताव रखा जाता है, तो वह पदग्रहण काल के लिए भी हकदार होगा।

65. अस्थायी स्थानान्तरण पर पदग्रहण काल.—

अस्थायी स्थानान्तरण की दशा में, दौरे पर यात्रा की दशा में यथा अनुज्ञेय वास्तविक यात्रा अवधि के समान पद ग्रहण काल अनुज्ञात किया जाएगा।

66. प्रशिक्षण से पूर्व तथा के बाद यात्रा अवधि.—

प्रशिक्षण के स्थान तथा स्थान (स्थानों), जिस पर सरकारी कर्मचारी प्रशिक्षण की अवधि से ठीक पूर्व तथा उसके बाद पदस्थ है, के बीच की यात्रा के लिए अपेक्षित युक्तियुक्त समय प्रशिक्षण अवधि के भाग रूप में समझा जाएगा। यह ‘प्रशिक्षण’ पदों को धारण करने वाले परिवीक्षकों पर लागू नहीं है जो उन्हें स्थानान्तरण पर उनके साथ समझे जा सकते हैं। ऐसे परिवीक्षक पद—ग्रहण काल के लिए हकदार हैं जब स्थानान्तरित किए जाएं।

67. अन्य सरकार के सरकारी कर्मचारी को पदग्रहण काल.—

किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार का कोई अस्थायी या स्थायी सरकारी कर्मचारी पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर हरियाणा सरकार के किसी विभाग में नया पद ग्रहण करने के लिए पद—ग्रहण काल, पदग्रहण काल वेतन या यात्रा भत्तों का हकदार नहीं होगा। तथापि, यात्रा अवधि तक सीमित पदग्रहण काल अनुज्ञात किया जा सकता है बशर्ते पश्चात्वर्ती नियुक्ति हेतु आवेदन उचित प्रणाली द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

68. पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर पदग्रहण काल.—

स्थायी सरकारी कर्मचारी को हरियाणा सरकार के एक विभाग से दूसरे में पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर पदग्रहण काल, पदग्रहण काल वेतन तथा यात्रा भत्ता सामान्यतः उसको

अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते उसने पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर पद के लिए उचित प्रणाली द्वारा आवेदन किया था।

69. उसी कार्यालय में स्थानान्तरण पर कोई भी पदग्रहण काल नहीं।—

कोई भी पदग्रहण काल अनुज्ञेय नहीं होगा जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने विभाग के उसी कार्यालय में एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरित किया जाता है।

70. पद ग्रहण काल जब स्थानान्तरण में निवास का परिवर्तन शामिल नहीं है।—

एक दिन से ज्यादा सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञात नहीं है यदि उसके स्थानान्तरण में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय पर एक स्थान से दूसरे स्थान में निवास का परिवर्तन शामिल नहीं है। इस नियम के प्रयोजन के लिए छुट्टी को दिन के रूप में गिना जाता है।

71. अवकाश के दौरान स्थानान्तरण की दशा में पद ग्रहण काल।—

इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय किसी सरकारी कर्मचारी का पदग्रहण काल उसके पुराने स्थान से, जहां से वह अवकाश पर था अवकाश व्यतीत अवधि के दौरान किसी स्थान पर स्थानान्तरण आदेशों की प्राप्ति को ध्यान में रखे बिना नई नियुक्ति के स्थान से दूरी को लेते हुए संगणित किया जाएगा। यदि वह ऐसे अवकाश जमा अनुज्ञेय पदग्रहण काल की समाप्ति से पूर्व नए पद के पदभार को ग्रहण करता है, तो शेष अवधि न भोगे गए अवकाश के रूप में समझी जाएगी तथा पहले से स्वीकृत अवकाश का अनुरूप भाग रद्द किया जाएगा।

72. अवकाश के दौरान स्थानान्तरण पर पदग्रहण काल।—

- (1) लम्बी छुट्टी के दौरान स्थानान्तरण पर किसी सरकारी कर्मचारी को लम्बी छुट्टी के अन्त में पदग्रहण काल लेने की अनुमति दी जा सकती है।
- (2) पदग्रहण काल, आकस्मिक अवकाश को छोड़ कर लम्बी छुट्टी तथा/या किसी प्रकार के नियमित अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है।

73. पदग्रहण काल के दौरान अवकाश।—

यदि कोई सरकारी कर्मचारी एक पद से दूसरे पर यात्रा के दौरान अवकाश लेता है, तो यह अवधि, जब से उसने अपने पुराने पद का प्रभार सौंपा था समाप्त हो गई है, उसके अवकाश में शामिल की जाएगी। अवकाश की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी को सामान्य पद ग्रहण काल अनुज्ञात किया जा सकता है।

74. स्थानान्तरणाधीन के समय आगे स्थानान्तरण की दशा में पदग्रहण काल।—

यदि पहले से स्थानान्तरणाधीन तथा भारमुक्त कोई सरकारी कर्मचारी लोक हित में आगे दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है तथा आदेश—

- (i) मूल स्थान पर दिए जाते हैं, तो कोई भी अतिरिक्त पदग्रहण काल इन नियमों के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय के सिवाए अनुज्ञेय नहीं होगा;
- (ii) नए स्थान पर दिए जाते हैं, तो पदग्रहण काल का नया दौर स्थानान्तरण के आदेश के प्राप्ति के दिन के आगामी दिन से अनुज्ञेय होगा।

75. दूसरी सरकार से स्थानान्तरण पर पदग्रहण काल।—

जब हरियाणा सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कर्मचारी का दूसरी सरकार के नियंत्रण में स्थानान्तरण किया जाता है, तो अपना पद भार ग्रहण करने के लिए तथा वहां से प्रत्यावर्तन पर उसका यात्रा पद—ग्रहण—काल उस सरकार, जिसको वह अग्रसर कर रहा है, के नियमों द्वारा शासित होगा।

76. पदग्रहण काल के बदले में विशेष आकस्मिक अवकाश।—

स्थानान्तरण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में किसी सरकारी कर्मचारी को पद ग्रहण काल प्राप्त किए बिना तुरन्त नई नियुक्ति का कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देश दे सकता है। उसे प्राप्त न किए गए पदग्रहण काल के बदले में चालू या अगले कलैण्डर वर्ष के दौरान विशेष आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जा सकता है।

77. पदग्रहण काल की संगणना।—

लोक हित में एक स्थान से दूसरे पर स्थानान्तरण पर, जिसमें निवास का परिवर्तन शामिल है, पदग्रहण काल वास्तव में की गई यात्रा के ढंग को ध्यान में रखे बिना निम्नानुसार अनुज्ञेय होगा—

क्रम संख्या	पुराने स्थान तथा नए स्थान के बीच की दूरी	तैयार दिनों, सभी छुट्टियों, शनिवार तथा रविवार को मिला कर अनुज्ञेय पदग्रहण काल
1	2	3
1	20 किलोमीटर तक	03 दिन
2	21 से 300 किलोमीटर तक	08 दिन
3	301 से 500 किलोमीटर तक	09 दिन
4	500 किलोमीटर से ऊपर	10 दिन

टिप्पण 1.— पदग्रहण काल पुराने पद का कार्यभार छोड़ने की तिथि से प्रारम्भ होगा यदि कार्यभार दोपहर से पूर्व छोड़ा जाता है या अगली तिथि से यदि कार्यभार दोपहर के बाद छोड़ा जाता है।

टिप्पण 2.— स्थानान्तरण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में इस नियम के अधीन अनुज्ञेय पद ग्रहण काल की अवधि कम कर सकता है।

टिप्पण 3.— जब पदग्रहण काल के पश्चात् छुट्टी(यां) है तो सामान्य पदग्रहण काल ऐसी छुट्टी (छुट्टियों) को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया समझा जाएगा।

टिप्पण 4.— यदि किसी सरकारी कर्मचारी को अपने मुख्यालय से भिन्न कहीं भी पद का कार्यभार लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है, तो पद ग्रहण काल ऐसे स्थान जिस पर वह वास्तव में कार्यभार लेता है से संगणित किया जाएगा।

78. पदग्रहण काल के दौरान वेतन तथा भत्ता।—

(1) उसी विभाग में स्थानान्तरण की स्थिति में—

इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय पदग्रहण काल की अवधि के दौरान उसी विभाग में एक स्थान से दूसरे पर स्थानान्तरण पर, सरकारी कर्मचारी निम्नानुसार वेतन तथा भत्तों के लिए हकदार होगा:—

- (क) वेतन जो पुराने पद का कार्य प्रभार छोड़ने से पूर्व ले रहा था, के समान वेतन या नए पद पर अनुज्ञेय, जो भी कम हो;
- (ख) पुराने या नए स्थान का प्रतिपूर्ति भत्ता (भत्तो), जो भी कम हो।

(2) प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर स्थानान्तरण की दशा में,—

लोक हित में एक स्थान से दूसरे पर प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा पर स्थानान्तरण की दशा में, पदग्रहण काल के दौरान पद ग्रहण काल, वेतन तथा भत्तों के लिए देखिए इन नियमों का अध्याय-X.

79. अवकाश की निरन्तरता में पद ग्रहण काल के दौरान वेतन।—

जहां इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय पद ग्रहण काल किसी प्रकार के अवकाश की निरन्तरता में प्राप्त किया गया है, पद ग्रहण काल के दौरान मूल वेतन अवकाश वेतन के

समान अनुज्ञेय होगा, यदि वह अर्जित अवकाश पर होता। प्रतिपूर्ति भत्ते पुराने या नए स्थान की दर के समान जो भी कम हों, अनुज्ञेय होंगे।

80. अपने स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण की दशा में किसी प्रकार का देय अवकाश प्रदान करना।—

स्थानान्तरण पर कोई सरकारी कर्मचारी पद ग्रहण काल तथा पद ग्रहण काल वेतन के लिए हकदार नहीं होगा जब तक उसका लोक हित में स्थानान्तरण नहीं किया गया है। तथापि, यदि वह किसी प्रकार के देय अवकाश के लिए आवेदन करता है, तो सक्षम प्राधिकारी उसे इन नियमों के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय पद ग्रहण काल की सीमित अवधि तक प्रदान कर सकता है। यदि वह पुराने स्थान पर कार्यभार सौंपने के बाद अपनी ड्यूटी नए स्थान पर ग्रहण कर लेता है तथा नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व ऐसी अवधि के लिए अवकाश के लिए आवेदन नहीं करता है तो इसे अकार्य दिवस के रूप में समझा जाएगा।

टिप्पणि।— जब कोई सरकारी कर्मचारी स्थानान्तरण पर अपना कार्यभार छोड़ देता है और भारमुक्त की तिथि तथा कार्यग्रहण करने की तिथि के बीच में छुट्टी (छुट्टियाँ) हैं/हैं और उसने नए स्थान पर छुट्टी (छुट्टियाँ) के बाद दोपहर पूर्व कार्यभार ग्रहण कर लिया है तो यह समझा जाएगा कि उसने छुट्टी (छुट्टियाँ) का लाभ उठा लिया है और उसकी छुट्टी (छुट्टियाँ) का वेतन उस विभाग द्वारा वहन किया जाएगा जहां सरकारी कर्मचारी स्थानान्तरण के बाद कार्यभार ग्रहण करता है।

81. पद ग्रहण काल के उपरान्त अनुपस्थित रहना।—

कोई सरकारी कर्मचारी जो इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय पदग्रहण काल के भीतर अपना पद ग्रहण नहीं करता है, तो पदग्रहण काल की समाप्ति पर किसी वेतन या अवकाश वेतन के लिए हकदार नहीं होगा। पदग्रहण काल की समाप्ति के बाद, अनुपस्थिति की अवधि जानबूझकर अनुपस्थिति के रूप में समझी जाएगी तथा इन नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की ओर आकर्षित करते हुए कदाचार मानी जाएगी।

82. पदग्रहण काल का विस्तार।—

- (1) सक्षम प्राधिकारी किसी दशा में इन नियमों के अधीन पदग्रहण काल बढ़ा सकता है बशर्ते नियम के सामान्य भाव का पालन किया जाता है।
- (2) तीस दिन की अधिकतमता के अध्यधीन, विभागाध्यक्ष अपने नियंत्रणाधीन (अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों से भिन्न) सरकारी कर्मचारियों की दशा में निम्नलिखित

परिस्थितियों में आवश्यक सीमा तक इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय पदग्रहण काल बढ़ा सकता है—.

- (क) जब सरकारी कर्मचारी यात्रा के सामान्य ढंग को प्रयोग करने में असमर्थ हो गया है या उसकी ओर से सम्यक् परिश्रम के होते हुए भी नियमों द्वारा अन्यथा अनुज्ञात यात्रा पर अधिक समय व्यतीत किया है; या
- (ख) जब ऐसा विस्तार सार्वजनिक सुविधा के लिए या ऐसे सार्वजनिक खर्चों की बचत के लिए आवश्यक समझा जाए जैसे अनावश्यक या पूर्णरूप से औपचारिक स्थानान्तरण की दशा में होता है;
- (ग) जब किसी विशेष मामले में नियम कड़ाई से लागू किए गए हैं उदाहरणार्थ जब सरकारी कर्मचारी का उसकी ओर से कोई दोष नहीं है अर्थात् स्टीमर का न मिलना, यात्रा में बीमार पड़ जाना, सड़क/रेलवे ट्रैक के जाम/चट्टान खिसने के कारण हुई देरी।

टिप्पणि— विभागाध्यक्ष तीस दिन तक पदग्रहण काल बढ़ाने के लिए सक्षम है तथा प्रशासकीय विभाग को उसे तीस दिन से आगे बढ़ाने की सम्पूर्ण शक्तियां हैं।

अध्याय—VII

पदच्युति, हटाया जाना तथा निलम्बन

83. प्रथम छः मास की अवधि के दौरान जीवन—निर्वाह भत्ता।—

निलम्बनाधीन कोई सरकारी कर्मचारी अवकाश वेतन के समान राशि का जीवन—निर्वाह भत्ते के लिए हकदार है जो वह ले रहा होता यदि वह अर्ध वेतन के अवकाश पर होता।

टिप्पणि।— जीवन निर्वाह भत्ता से किसी आधार पर तब तक इनकार नहीं किया जाएगा जब तक निलम्बनाधीन सरकारी कर्मचारी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं करता है कि वह निलम्बनाधीन अवधि के दौरान किसी अन्य नियोजन, व्यापार, व्यवसाय या धंधे में नहीं लगा है।

84. प्रत्येक छः मास के बाद जीवन—निर्वाह भत्ते की समीक्षा।—

जहां निलम्बनाधीन अवधि छः मास से अधिक है, वहां प्राधिकारी, जिसने निलम्बन का आदेश किया है या किया गया समझा है प्रत्येक छः मास के बाद निम्नानुसार अवधि के लिए जीवन—निर्वाह की राशि घटाने बढ़ाने के लिए सक्षम होगा।—

- (i) जीवन—निर्वाह भत्ते की राशि प्रथम छः मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय जीवन—निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अनधिक उपयुक्त राशि द्वारा बढ़ाई जा सकती है, यदि उक्त प्राधिकारी की राय में, निलम्बनाधीन अवधि, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, बढ़ाई गई है, जिनके लिए सरकारी कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य नहीं है; या
- (ii) जीवन निर्वाह भत्ते की प्रथम छः मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय जीवन—निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अनधिक उपयुक्त राशि द्वारा घटाया जा सकता है, यदि उक्त प्राधिकारी की राय में, निलम्बनाधीन अवधि, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, बढ़ाई गई है, जिनके लिए सरकारी कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य है।

टिप्पणि 1।— जीवन—निर्वाह भत्ते का प्रारम्भिक अनुदान अर्ध वेतन अवकाश पर अवकाश वेतन के समान राशि पर भुगतानयोग्य होगा। इस नियम के खण्ड (i) या (ii) के अधीन जीवन—निर्वाह भत्ते में किसी परिवर्तन की दशा में बढ़ाना या घटाना प्रारम्भिक रूप से नियत जीवन—निर्वाह की राशि पर संगणित किया जाएगा तथा किसी अधिकतम सीमा के अध्यधीन नहीं होगा।

टिप्पण 2— यह निलम्बन के छः मास की समाप्ति से पूर्व पर्याप्त समय में इस नियम के अधीन बाध्यकर है कि सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक मासले, जिसमें निलम्बन की अवधि छः मास से अधिक होने की संभावना है, की समीक्षा करेगा तथा यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दर परिवर्तित नहीं की जानी है। इस आशय के विशिष्ट आदेश परिस्थितियों को अभिलेख पर रखते हुए पारित किए जाने हैं, जिनके अधीन निर्णय लिया जाना था। ऐसी समीक्षा कम से कम प्रत्येक छः मास में की जाएगी तथा विशिष्ट आदेश जीवन निर्वाह भत्ते बढ़ाने या घटाने या परिवर्तित न करने के लिए पारित किए जाने हैं।

85. निलम्बन के दौरान भत्ते—

निलम्बन अवधि के दौरान, निम्नलिखित प्रतिपूर्ति भत्ते जीवन—निर्वाह भत्ते पर अनुज्ञेय होंगे, अर्थात्—

- (क) अनुज्ञात जीवन—निर्वाह भत्ते की राशि पर समय—समय पर विहित दर के अनुसार महंगाई भत्ता;
- (ख) जीवन—निर्वाह भत्ते की राशि को उसके मुख्यालय हेतु विद्यमान तथा विहित दर पर निलम्बन से पूर्व लिए गए परिलाभों पर आवास किराया भत्ता, इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि निलम्बन के प्रथम छः मास के बाद बढ़ाया या घटाया गया है;
- (ग) पहाड़ी प्रतिपूर्ति भत्ता, यदि मुख्यालय पर अनुज्ञेय हो;
- (घ) नियत चिकित्सा भत्ता, यदि विकल्प दिया हो;
- (ङ) अर्ध वेतन अवकाश के दौरान अनुज्ञेय राशि के समान कोई अन्य प्रतिपूर्ति भत्ता या राहत।

86. जीवन—निर्वाह भत्ते के भुगतान से पूर्व प्रमाण—पत्र—

इस अध्याय के नियमों के अधीन कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक सरकारी कर्मचारी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तथा प्राधिकारी, जिसने निलम्बन का आदेश किया है या किया गया समझा है, की संतुष्टि नहीं हो जाती है कि वह किसी अन्य नियोजन, व्यापार, व्यवसाय या धन्धे में नहीं लगा है:

परन्तु सेवा से पदच्युत किए गए, हटाए गए या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए किसी सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसे ऐसी पदच्युति या हटाया जाना या अनिवार्य

रूप से सेवानिवृत्ति की तिथि से निलम्बनाधीन किया गया समझा गया है या लगातार निलम्बनाधीन चल रहा है तथा जो किसी अवधि (अवधियां), जिसके दौरान वह निलम्बनाधीन किया गया समझा गया है या लगातार निलम्बनाधीन चल रहा है, के लिए ऐसा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह जीवन—निर्वाह भत्ते तथा ऐसी राशि व अन्य भत्तों के लिए हकदार होगा जो ऐसी अवधि या अवधियों, जैसी भी स्थिति हो, के दौरान उसकी आय तथा जीवन—निर्वाह भत्ते व अन्य भत्तों जो अन्यथा उसको अनुज्ञेय होने की राशि से कम पड़ते हैं। जहां निलम्बन की अवधि के दौरान अनुज्ञेय जीवन—निर्वाह भत्ता तथा अन्य भत्ते किसी अन्य नियोजन व्यापार, व्यवसाय या धन्धे के रूप में अर्जित राशि के समान है या उन से कम हैं तो उसे कुछ भी भुगतान नहीं किया जाएगा।

87. निलम्बन के बाद बहाली पर वेतन तथा भत्ते.—

जब निलम्बनाधीन कोई सरकारी कर्मचारी बहाल किया जाता है या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति पर बहाल किया जाता तो बहाली के आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी विचार करेगा कि—

- (क) निलम्बन तथा/या पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति से उसकी बहाली या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक, जैसे भी स्थिति हो, के कारण ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि हेतु सरकारी कर्मचारी को भुगतान किए जाने वाले वेतन तथा भत्तों संबंधी विशिष्ट आदेश करेगा; तथा
- (ख) क्या उक्त अवधि ड्यूटी पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में समझी जाएगी या नहीं;

परन्तु ऐसे वेतन तथा भत्तों का ऐसा अनुपात इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय जीवन—निर्वाह तथा अन्य भत्तों से कम नहीं होगा।

टिप्पणी— यदि निर्देश देने वाले कोई भी आदेश पारित नहीं किए जाते हैं कि अनुपस्थिति की अवधि किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ड्यूटी के रूप में मानी जाएगी, अनुपस्थिति की अवधि गैर—ड्यूटी के रूप में मानी जाएगी। ऐसी दशा में, पूर्व सेवा (अर्थात् पदच्युति, हटाए जाने, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या निलम्बन से पूर्व दी गई सेवा) अमान्य नहीं होगी।

88. यदि पदच्युति, हटाया जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति को अपास्त किया जाता है।—

- (1) समझे गए निलम्बन या जारी निलम्बन की अवधि के लिए जीवन-निर्वाह भत्ता जहां निलम्बनाधीन के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी पर अधिरोपित सेवा से पदच्युति, हटाया जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति—
 - (i) अपील या समीक्षा पर अपास्त की जाती है तथा किन्हीं अन्य निर्देशों सहित आगे जांच करने या कार्रवाई करने के लिए मामला प्रेषित किया जाता है; या
 - (ii) विधि न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप या के द्वारा रद्द घोषित की गई है या अमान्य की गई है तथा दण्ड प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों के विचारण पर, आरोपों, जिन पर पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति मूल रूप में अधिरोपित की गई थी, पर उसके विरुद्ध आगे जांच करने के लिए विनिश्चित करता है, तो उसके निलम्बन के आदेश, पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तिथि को या से लगातार लागू हुए समझे जाएंगे तथा अगले आदेशों तक लागू रहेंगे तथा वह इन नियमों के अधीन यथा अनुज्ञेय जीवन निर्वाह भत्ते के लिए हकदार होगा।
- (2) पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बाद बहाली पर अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन तथा भत्ता—

जहां निलम्बनाधीन के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी पर अधिरोपित सेवा से पदच्युति, हटाया जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति—

- (i) अपील या समीक्षा पर अपास्त की गई है; या
- (ii) विधि के न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप या के द्वारा रद्द घोषित की गई है या अमान्य की गई है—

तथा बहाल किया गया है या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति पर बहाल होता तो बहाली के आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी विचार करेगा; तथा—

- (क) उपरोक्त अवधि के लिए सरकारी कर्मचारी को भुगतान किये जाने वाला वेतन तथा भत्ते तथा ड्यूटी से अनुपस्थिति के कारणों संबंधी विशिष्ट आदेश करेगा; तथा

(ख) क्या उक्त अवधि ड्यूटी पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में समझी जाएगी या नहीं;

टिप्पण 1.— जहां किसी सरकारी कर्मचारी को लोक निधियों के गबन तथा अभिलेखों की जालसाजी की चूक के लिए अभियोजित किया जाता है तथा उक्त अभियोजन दोष मुक्ति पर पहुँचता है, तो उसे सामान्य प्रक्रिया में पिछली मजदूरी इत्यादि सहित सभी अनुवर्ती लाभों को प्रदान करने सहित बहाली के लिए हकदार नहीं माना जा सकता यदि आरोपित आचरण अभियोजन का आधार है, यद्यपि, इसका पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमोचन हो सकता है। ऐसे मामले में, जब तक अभिन्न आचरण आरोप का विषय नहीं था तथा विचारण पर दोष मुक्ति सकारात्मक निष्कर्ष पर अभिलिखित की गई थी कि अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया या दोषमुक्ति सन्देह लाभ पर नहीं दी गई है, यह कदाचार का पता लगाने के लिए तथा उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के विचाराधीन रहेगा। अन्यथा सक्षम प्राधिकारी नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों को अपनाने के बाद, बहाली पर गैर-ड्यूटी के रूप में निलम्बन अवधि को मानने सहित उचित आदेश पारित कर सकता है तथा जब ऐसे कर्मचारी की लम्बित विचारण की निलम्बन अवधि गैर-ड्यूटी के रूप में इस प्रकार मानी गई है, वह अनुवर्ती लाभांशों के लिए हकदार नहीं होगा अर्थात् पेंशनरी लाभांशों इत्यादि की संगणना के प्रयोजन के लिए निलम्बन की तिथि से दोषमुक्ति की तिथि तक ड्यूटी के रूप में माने जाने के लिए हकदार नहीं।

टिप्पण 2.— सेवा से हटाए जाने, पदच्युति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बाद बहाली पर, बहाली की तिथि ऐसी तिथि होगी जिसको वह अपने पद का प्रभार ग्रहण करता है।

टिप्पण 3.— यदि निर्देश देने वाला कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाता है कि अनुपस्थिति की अवधि किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ड्यूटी के रूप में मानी जाएगी, तो अनुपस्थिति की अवधि गैर-ड्यूटी के रूप मानी जाएगी। ऐसी दशा में, पूर्व सेवा (अर्थात् पदच्युति, हटाए जाने, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या निलम्बन से पूर्व की गई सेवा) अमान्य नहीं होगी।

89. पूर्ण रूप से दोषमुक्ति की दशा में वेतन तथा भत्ते।—

जहां सक्षम प्राधिकारी की राय है कि सरकारी कर्मचारी को पूर्ण रूप से दोष मुक्त किया गया है या निलम्बन की दशा में, यह पूर्ण रूप से अन्यायपूर्ण थी, तो सरकारी कर्मचारी को पूरा वेतन तथा भत्ते दिए जाएंगे जिसके लिए वह हकदार होता, यदि वह सेवा से पदच्युत,

हटाया, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त या निलम्बित, जैसी भी स्थिति हो, नहीं किया जाता। भत्तों का भुगतान सभी अन्य शर्तों के अध्यधीन होगा जिनके अधीन ऐसे भत्ते अनुज्ञेय हैं। ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि सभी प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में भी मानी जाएगी।

टिप्पण 1.- चूंकि यह नियम सम्पूर्ण है, उन मामलों, जहां वेतन तथा भत्ते इस अध्याय में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बहाली पर विनियमित किए गए हैं, के संबंध में पदच्युति/हटाया जाने/अनिवार्य सेवानिवृत्ति निलम्बन की तिथि से बहाली की तिथि तक की अवधि के लिए वेतन तथा भत्तों के बकायों के भुगतान के समय पर परिसीमा विधि को अवलंब लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

टिप्पण 2.- जहां निलम्बनाधीन कोई सरकारी कर्मचारी विधि न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है तथा उसकी बहाली के आदेश दोष मुक्ति की तिथि के कुछ समय बाद पारित किए गए हैं, तो दोषमुक्ति की तिथि से ड्यूटी पुनः ग्रहण करने की तिथि तक पूरा वेतन तथा भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

90. यदि पूर्णरूप से दोषमुक्त नहीं है, तो वेतन तथा भत्ते।-

जहां सक्षम प्राधिकारी की राय है कि सरकारी कर्मचारी पूर्ण रूप से दोष मुक्त नहीं किया गया है, तो उसे वेतन तथा भत्तों का ऐसा अनुपात दिया जाएगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विहित करे। भत्तों का भुगतान सभी अन्य शर्तों, जिनके अधीन ऐसे भत्ते अनुज्ञेय हैं, के अध्यधीन होगा। ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि ड्यूटी पर व्यतीत की गई ड्यूटी के रूप में नहीं मानी जाएगी जब तक सक्षम प्राधिकारी विशिष्ट रूप से निर्देश नहीं करता कि यह किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ड्यूटी के रूप में मानी जाएगी;

टिप्पण 1.- यदि किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ड्यूटी के रूप में अनुपस्थिति की अवधि मानने के लिए कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है, तो अनुपस्थिति की अवधि 'गैर-ड्यूटी' के रूप में मानी जाएगी। ऐसी दशा में, पूर्व सेवा (अर्थात् पदच्युति, हटाया जाने, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या निलम्बन से पूर्व दी गई सेवा) अमान्य नहीं होगी।

टिप्पण 2.- नियम 89 के नीचे टिप्पण 2 में प्रावधान को छोड़ कर, सभी अन्य मामलों में निलम्बन के बाद पुनः बहाली पर, पुनः बहाली की तिथि ऐसी तिथि होगी जिसको सरकारी कर्मचारी अपने पद का प्रभार ग्रहण करता है। पुनः बहाली के आदेश की

तिथि से प्रभार ग्रहण करने की तिथि तक मध्यवर्ती अवधि के लिए भी सरकारी कर्मचारी निलम्बनाधीन रूप में माना जाएगा।

91. किसी प्रकार के देय अवकाश के रूप में निलम्बन अवधि का संपरिवर्तन।—

जहां निलम्बन अवधि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ड्यूटी के रूप में नहीं मानी जाती है, तो उसे किसी प्रकार के देय अवकाश में संपरिवर्तित किया जा सकता है, यदि सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी ऐसा आवेदन करे।

टिप्पण 1।— निलम्बन की अवधि सरकारी कर्मचारी की सहमति के बिना किसी प्रकार के देय अवकाश में संपरिवर्तित नहीं की जाएगी;

टिप्पण 2।— निलम्बनाधीन व्यतीत की गई अवधि, यदि किसी प्रकार के देय अवकाश में संपरिवर्तित की गई है, तो पहले से प्राप्त किया गया जीवन-निर्वाह भत्ता अवकाश वेतन के स्वीकार्य के अनुसार समायोजित किया जाएगा। यदि ऐसी अवकाश अवधि असाधारण अवकाश को मिलाकर बनी है, तो असाधारण अवकाश की अवधि के लिए सरकारी कर्मचारी को पहले से भुगतान किए गए जीवन-निर्वाह भत्तों की वसूली की जाएगी।

टिप्पण 3।— किसी प्रकार के देय अवकाश के रूप में निलम्बन की अवधि के संपरिवर्तन संबंधी सक्षम प्राधिकारी का आदेश सम्पूर्ण है तथा असाधारण अवकाश सहित सरकारी कर्मचारी के खाते में किसी सीमा तक किसी प्रकार का अवकाश प्रदान करने के लिए उच्चतर प्राधिकारी से किसी भी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। असाधारण अवकाश की अवधि, चिकित्सा उपचाराधीन व्यतीत की गई निलम्बन अवधि, यदि कोई हो, को छोड़ कर किसी प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के रूप में नहीं मानी जाएगी।

92. वेतन तथा भत्तों के बकायों के भुगतान से पूर्व प्रमाण-पत्र।—

जहां किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी अन्य नियोजन, व्यापार, व्यवसाय या धंधे के माध्यम से पदच्युति/हटाए जाने/अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि तथा बहाली की तिथि के बीच कोई राशि अर्जित की गई है; तथा ऐसे नियोजन के दौरान अर्जित किए गए परिलाभ इस अध्याय के नियमों के अधीन अनुज्ञेय परिलाभ से अधिक हैं, अर्जित किए गए लाभ घटा दिए जाएंगे। तथापि, जहां इस नियम के अधीन अनुज्ञेय परिलाभ, नियोजन के दौरान अर्जित किए गए परिलाभ के समान या से कम हैं, तो सरकारी कर्मचारी को कुछ भी भुगतान नहीं किया जाएगा।

93. अधिसंख्य पद का सृजन।—

सेवा से पदच्युत/हटाए गए/अनिवार्य सेवानिवृत्त किसी सरकारी कर्मचारी को अपील पर या अन्यथा बहाली पर, उसे किसी रिक्त पद पर, जो उसी या उच्चतर वेतन ढांचे में, जिससे वह पहले संबंधित था, समायोजित किया जाएगा। यदि ऐसा कोई भी पद रिक्त नहीं है, तो उसे किसी अधिसंख्य पद पर समायोजित किया जाएगा, जो वित्त विभाग की सहमति से प्रशासकीय विभाग द्वारा उस वेतन ढांचे में इस शर्त के साथ सृजित किया जाएगा कि ऐसा पद प्रथम रिक्ति के होने पर समाप्त कर दिया जाएगा।

94. चिकित्सा उपचाराधीन व्यतीत की गई निलम्बन अवधि।—

निलम्बनाधीन किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा चिकित्सा उपचाराधीन व्यतीत की गई अवधि निलम्बनाधीन व्यतीत की गई के रूप में मानी जाएगी तथा नियमों के अधीन यथा अनुज्ञेय जीवन—निर्वाह भत्ता उस अवधि के लिए दिया जाएगा। बहाली पर, यदि निलम्बन की अवधि देय अवकाश में संपरिवर्तित की जाती है, तो चिकित्सा उपचाराधीन व्यतीत की गई अवधि चिकित्सा प्रमाण—पत्र पर परिवर्तित अवकाश या किसी अन्य प्रकार के देय अवकाश, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में मानी जाएगी।

95. निलम्बन के दौरान अवकाश तथा रिक्ति को भरना।—

(1) किसी सरकारी कर्मचारी को किसी प्रकार का कोई भी अवकाश अनुज्ञेय नहीं है जो निलम्बनाधीन है।

टिप्पणी।— हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 का नियम 25 भी देखिए।

(2) किसी सरकारी कर्मचारी के निलम्बन से उत्पन्न हुई रिक्ति प्रतिस्थानी (रिजर्विस्ट) कर्मचारी द्वारा भरी जाएगी, यदि उस समय उपलब्ध है। अन्यथा किसी बाहरी को नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु प्रतिस्थानी (रिजर्विस्ट) के उपलब्ध होते ही उसे बदला जाएगा। जहां लीब रिज़र्व का प्रावधान विद्यमान नहीं है वहां पद स्थानापन्न नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा। तथापि, कोई अतिरिक्त पद सृजित करना आवश्यक नहीं है।

96. गिरफ्तार या निरोध की दशा में निलम्बन।—

किसी सरकारी कर्मचारी को, जिसके विरुद्ध कार्यवाहियां या तो ऋण हेतु या आपराधिक आरोप पर उसकी गिरफ्तारी के लिए की गई हैं या जिसे निवारक निरोध के लिए प्रावधान करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया गया है, किन्हीं अवधियों, जिनके दौरान वह

हिरासत में निरुद्ध किया गया है या कारावास भोग रहा है, के लिए निलम्बनाधीन समझा जाएगा तथा ऐसी अवधि के लिए किसी वेतन तथा भत्ते (किसी जीवन निर्वाह भत्ते से अन्यथा जो इन नियमों में अधिकथित सिद्धान्तों के अनुसार प्रदान किए जा सकते हैं) लेने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक उसके विरुद्ध की गई कार्यवाहियों का अन्तिम समापन नहीं हो जाता या जब तक वह निरोध से मुक्त नहीं होता तथा ड्यूटी पुनः ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता, जैसी भी स्थिति हो। केवल कर्मचारी की दोषमुक्ति (यदि उसके विरुद्ध की गई कार्यवाहियां ऋण हेतु उसकी गिरफतारी के लिए थी) या यह साबित हो जाता है कि परिस्थितियों से उत्पन्न कर्मचारी के दायित्व उसके नियंत्रण से बाहर थे या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरोध किया जाना अन्यायपूर्ण था की दशा में दी जाने वाली सम्पूर्ण राशि का भुगतान ऐसी अवधियों के लिए उसके भत्तों के समायोजन के बाद मामले की परिस्थितियों के अनुसार किया जाएगा।

97. आपराधिक आरोपों की दशा में लम्बित निलम्बन।—

- (1) किसी सरकारी कर्मचारी को, जिसके विरुद्ध कोई आपराधिक आरोप लम्बित है, सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर, उन अवधियों के दौरान इस आशय का विशिष्ट आदेश जारी करके निलम्बनाधीन रखा जाएगा जब—
 - (क) वह वास्तविक रूप में हिरासत या कारा—रुद्ध में निरुद्ध नहीं किया गया है;
 - (ख) निरुद्ध किया गया है किन्तु जमानत पर छोड़ा गया है; या
 - (ग) अग्रिम जमानत के कारण निरुद्ध नहीं किया गया है,

यदि उसके विरुद्ध लगाया गया आरोप सरकारी कर्मचारी के रूप में उसकी हैसियत से संबंधित है या ऐसे रूप में उसकी ड्यूटी के निर्वहन में उसे असहज करने के लिए सम्भाव्य है या नैतिक अधमता वाला है। तथापि, ज्योंही कोई आपराधिक आरोप किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध नैतिक अधमता वाले मामले में किसी न्यायालय द्वारा लगाए जाते हैं तो निलम्बन स्वतः समझा जाएगा।

- (2) किसी सरकारी कर्मचारी, जिसके विरुद्ध ऋण हेतु कार्यवाही लम्बित है को उस अवधि के दौरान इस आशय का विशिष्ट आदेश जारी करके निलम्बनाधीन रखा जाएगा जब उसे वास्तविक रूप में हिरासत या कारा—रुद्ध (अर्थात् जमानत पर मुक्ति के दौरान) निरोध नहीं किया गया है, यदि उसके विरुद्ध की गई कार्यवाही सरकारी कर्मचारी के रूप में उसकी हैसियत से संबंधित है या ऐसे रूप में उसकी ड्यूटी के निर्वहन में उसे असहज करने के लिए सम्भाव्य है।

- (3) उपरोक्त उप-नियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट मामलों में वेतन तथा भत्तों के संबंध में नियम 96 के अधोलिखित उपबन्ध लागू होंगे।

98. जीवन-निर्वाह भत्ते से कटौतियां।-

निलम्बनाधीन किसी सरकारी कर्मचारी के जीवन-निर्वाह भत्ते से निम्नानुसार मासिक कटौतियां की जाएँगी:-

I. अनिवार्य कटौतियां :	
(i)	आय कर;
(ii)	निलम्बन से पूर्व उस द्वारा लिए जा रहे मूल वेतन पर, सरकारी आवास के अधिभोग से संबंधित अनुज्ञाप्ति फीस, जल प्रभार, बिजली प्रभार तथा अन्य प्रभार;
(iii)	सरकार से लिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की ऐसी दर पर वसूली जैसा सक्षम प्राधिकारी नियत करने के लिए ठीक समझे;
(iv)	ग्रुप बीमा योजना;
II. ऐच्छिक कटौतियां :	
(i)	सामान्य भविष्य निधि में अंशदान तथा उससे लिए गए अग्रिमों की कोई वापसी;
(ii)	किसी अन्य प्रकार की वसूली;
III. न की जाने वाली कटौतियां :	
(i)	परिभाषित अंशदायी पेंशन रक्कीम के अंशदान;
(ii)	सामान्य भविष्य निधि में अंशदान जब तक वह विकल्प नहीं देता;
(iii)	सरकार को हुई हानि की वसूली;
(iv)	अधिक भुगतान (भुगतानों) की वसूली;
(v)	विधि न्यायालय से कुर्की आदेश

99. हटाए जाने या पदच्युति पर वेतन तथा भत्तों की समाप्ति।-

किसी सरकारी कर्मचारी को, जो सेवा से पदच्युत या हटाया गया है, के वेतन तथा भत्ते ऐसी पदच्युति या हटाए जाने की तिथि से समाप्त हो जायेंगे।

अध्याय—VIII**भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति****100. भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर निबंधन तथा शर्ते।—**

किसी सरकारी कर्मचारी की भारत के बाहर कोई भी प्रतिनियुक्ति प्रशासकीय विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना स्वीकृत नहीं होगी। भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति के निबंधन तथा शर्ते भारत सरकार के कर्मचारी को समय—समय पर लागू नियमों द्वारा शासित होंगी।

अध्याय-IX

भारत के बाहर प्रशिक्षण

101. विदेश में प्रशिक्षण हेतु निबंधनों तथा शर्तों का विनियमन।—

जब सरकारी कर्मचारी विभिन्न प्रशिक्षण स्कीमों के अधीन विदेश में प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा प्रवर्तित किए गए हैं, तो प्रशिक्षण अवधि हेतु शर्तें इस अध्याय के नियमों के अनुसार विनियमित की जाएंगी।

102. विदेश में प्रशिक्षण के दौरान वेतन तथा भत्ते।—

- (1) **वेतन।—** सरकारी कर्मचारी की भारत में उसके पद से अनुपस्थिति की सम्पूर्ण अवधि पूरे वेतन पर ड्यूटी के रूप में समझी जाएगी जो वह ले रहा होता यदि वह भारत में ड्यूटी पर रहता।
- (2) **महंगाई भत्ता।—** सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी को प्रशिक्षण की सम्पूर्ण अवधि के दौरान महंगाई भत्ता ऐसी दर पर लेने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जिस पर वह ले रहा होता यदि वह विदेश में प्रशिक्षण पर न गया होता।
- (3) **प्रतिपूर्ति भत्ते।—** प्रतिपूर्ति भत्ते भी ऐसी दर पर अनुज्ञेय होंगे जिस पर वह ले रहा था यदि वह विदेश में प्रशिक्षण पर न गया होता।
- (4) **आवास किराया भत्ता या अनुज्ञाप्ति फीस की वसूली।—** आवास किराया भत्ता, उसके प्रशिक्षण की सम्पूर्ण अवधि के दौरान, उसी दर पर अनुज्ञेय होगा जैसा वह भारत में हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी भत्ता) नियम, 2016 में अधिकथित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन यदि वह विदेश में प्रशिक्षण पर न होता। यदि सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी को प्रशिक्षण अवधि के दौरान सरकारी आवास रखने के लिए अनुज्ञात किया गया है, तो उसकी अनुज्ञाप्ति फीस उसी दर पर प्रभारित की जानी जारी रहेगी जिस पर यह सामान्यतः प्रभारित की जा रही होती यदि सरकारी कर्मचारी प्रशिक्षण पर न गया होता।

103. विदेश में प्रशिक्षण की अवधि।—

विदेश में भेजे गए सरकारी कर्मचारी की प्रशिक्षण की अवधि पूर्णतया आवश्यकता से लम्बी नहीं होगी। सामान्यतः, एक बार प्रशिक्षण की अधिकतम अवधि अठारह मास से ज्यादा की नहीं होगी।

टिप्पणी— किसी सरकारी कर्मचारी को विदेश में पूर्व प्रशिक्षण के समापन के बाद न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा पूरी करने से पूर्व विदेश में प्रशिक्षण के लिए दोबारा प्रवर्तित नहीं किया जाएगा।

104. किसी स्कीम के अधीन विदेश में प्रशिक्षण हेतु शर्तें—

किसी स्कीम के अधीन सरकारी कर्मचारी को प्रशिक्षण के लिए प्रस्ताव बनाते समय, प्रायोजित विभाग प्रवर्तित किए जाने वाले उम्मीदवार द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना सुनिश्चित करेगा:—

- (क) प्रशिक्षण के समापन के बाद उसकी कम से कम पांच वर्ष की सेवा शेष हो;
- (ख) उसने न्यूनतम पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। तथापि, सीमा उन मामलों में कम की जा सकती है जहां प्रशिक्षण के यथार्थ स्वरूप में ऐसे निर्बन्धन न्यायसंगत नहीं हैं, अर्थात् मामले जहां व्यक्ति इस शर्त पर भर्ती किया गया है कि उसे नियमित ड्यूटी पर पदस्थ करने से पूर्व उसे प्रशिक्षण पर जाना होगा।
- (ग) वह विषय या क्षेत्र, जिसमें उसे प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, की पर्याप्त पृष्ठभूमि रखता हो;
- (घ) किसी अन्य सरकार या हरियाणा सरकार के किसी विभाग या संगठन से गृहित किसी सरकारी कर्मचारी की दशा में, उधारदाता प्राधिकारी प्रशिक्षण, यदि अपेक्षित हो, के समापन के बाद पांच वर्ष से कम की अवधि के लिए हरियाणा सरकार के प्रायोजित करने वाले विभाग में उसे उपलब्ध करवाने के लिए सहमत होगा।
- (ङ) जहां किसी स्कीम में व्यक्ति को प्रशिक्षण हेतु अनुमोदित करने से पूर्व पूरी की जाने वाली किन्हीं विशिष्ट शर्तों का उल्लेख है तो उन्हें उपरोक्त निर्दिष्ट सामान्य शर्तों से प्राथमिकता में अपनाएगा;
- (च) विदेश में विभिन्न प्रशिक्षणों हेतु किसी अधिकारी को नामांकित करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नामांकित अधिकारी ने वचन दिया है कि वह प्रशिक्षण से लौटने पर प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यों को करने का इच्छुक होगा तथा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

टिप्पणी— किसी भी मामले में सरकारी कर्मचारी स्वयं को छात्रवृत्तियों के लिए विदेशी सरकारों या संगठनों के साथ सीधी पहुंच नहीं बनाएगा या बातचीत नहीं करेगा।

105. विदेश में प्रशिक्षण हेतु बंध पत्र—

- (1) विदेश में प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किए गए किसी सरकारी कर्मचारी से इन निबंधनों से संलग्न अनुबन्ध—6 तथा 7 में प्ररूप नं—1 तथा नं—2 में बंध पत्रों तथा प्रशिक्षण के विस्तार के मामले में अनुबन्ध—8 तथा 9 में प्ररूप नं—3 तथा नं—4 में अनुपूरक बंधपत्रों को निष्पादित करने की अपेक्षा की जाएगी। बंधपत्र प्रशिक्षण की अवधि (अवधियाँ) का ध्यान रखे बिना तथा तथ्य का भी ध्यान रखे बिना प्रशिक्षण के सभी मामलों में निष्पादित किए जाएंगे चाहे सरकारी कर्मचारी को इन नियमों या किन्हीं अन्य निबंधनों में प्रावधान के अनुसार प्रशिक्षण अनुज्ञात किया गया है।
- (2) बंध—पत्र में विनिर्दिष्ट की जाने वाली वापसी की एक मुश्त राशि में सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी को भुगतान की गई सभी राशियाँ या उसके लेखे में खर्च किए गए अर्थात् वेतन तथा भत्ते, अवकाश वेतन, यात्रा तथा अन्य खर्च, अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा की लागत तथा सम्बद्ध विदेशी सरकारी एजेन्सी द्वारा चुकायी गई विदेश में प्रशिक्षण की लागत शामिल होगी।

106. विस्तार के लिए बंधपत्र—

प्रशिक्षु से इस आशय का वचन प्राप्त किया जाएगा कि वह अपनी ओर से पहुंचने पर या प्रशिक्षण देश में उसके ठहरने के दौरान विदेश में उसके प्रशिक्षण हेतु उत्तरदायी प्राधिकारियों से उसके प्रशिक्षण में विस्तार या परिवर्तन का मामला नहीं उठायेगा। वह, तथापि विदेश में अपने प्रशिक्षण के विस्तार या परिवर्तन हेतु अपने प्रायोजकों को सिफारिश कर सकता है जो, सम्बद्ध प्राधिकारियों से परामर्श करने के बाद, इसके बारे में निर्णय करेंगे। ऐसा कोई भी विस्तार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक प्रशिक्षु इन नियमों में प्रावधानों के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी एक मुश्त धन राशि हेतु अनुबन्ध—8 तथा 9 में प्ररूप नं—3 तथा नं—4, जैसी भी स्थिति हो, में दूसरा बंधपत्र निष्पादित नहीं करता है।

107. निबंधनों तथा शर्तों की स्वीकृति.–

उपरोक्त वर्णित प्रशिक्षण हेतु वैयक्तिक मामलों में निबंधनों एवं शर्तों सम्बंधी वास्तविक स्वीकृति केवल वित्त विभाग के परामर्श से जारी की जाएगी।

अध्याय-X

विदेश सेवा तथा प्रतिनियुक्ति

108. विदेश सेवा में स्थानान्तरण।—

(1) किसी सरकारी कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी या विभागाध्यक्ष, जो भी उच्चतर हो, द्वारा लोक हित में चण्डीगढ़ प्रशासन तथा भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड सहित हरियाणा सरकार के नियंत्रणाधीन किसी संगठन/विभाग में विदेश सेवा/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित किया जा सकता है:

परन्तु कोई भी सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा की अवधि के दौरान तथा अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।

(2) कोई भी सरकारी कर्मचारी उसकी इच्छा के विरुद्ध भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी संगठन/विभाग में या भारत के बाहर विदेश सेवा में या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।

(3) उपरोक्त उप-नियम (1) या (2) के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी का स्थानान्तरण इन नियमों में अधिकथित शर्तों तथा किन्हीं निर्बन्धनों जो यह साधारण या विशेष आदेशों द्वारा अधिरोपित करना ठीक समझे के अध्यधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

टिप्पण 1।— किसी भी सरकारी कर्मचारी को विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर तब तक स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा जब तक उधारयाची नियोक्ता उसे ऐसे विशेष सुविधायों से कम प्रदान न करने के लिए वचन नहीं देता है जो वह भोग रहा होता, यदि वह हरियाणा सरकार की सेवा में रहता।

टिप्पण 2।— अस्थायी या स्थायी सरकारी कर्मचारी का उसके मूल विभाग में धारणाधिकार अविकल रहेगा जैसा वह विदेश सेवा में या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित न होने पर होता।

टिप्पण 3।— चण्डीगढ़ प्रशासन, भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड या हरियाणा सरकार के किसी अन्य विभाग में स्थानान्तरित सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर होगा। तथापि, वह किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए हकदार नहीं होगा तथा प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम के अधीन समरूप अंशदान को छोड़ कर

अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान के भुगतान के लिए उधारदाता विभाग पर कोई भी दायित्व नहीं होगा।

109. अवकाश के दौरान विदेश सेवा में स्थानान्तरण.—

जब अवकाश के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी को लोकहित में विदेश सेवा में स्थानान्तरित या प्रतिनियुक्त किया गया है, तो वह अवकाश पर नहीं रहेगा तथा ऐसे स्थानांतरण की तिथि से अवकाश वेतन भी नहीं लेगा।

110. विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें.—

जब कभी किसी सरकारी कर्मचारी को विदेश सेवा में स्थानान्तरित या प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो उसके निबंधन तथा शर्तें इन नियमों में प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत की जाएंगी। निम्नलिखित मामले में मानक निबंधन तथा शर्तों का नमूना (नमूने)—

- (i) हरियाणा सरकार के अधीन किसी संगठन में विदेश सेवा;
- (ii) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी संगठन में विदेश सेवा;
- (iii) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग में प्रतिनियुक्ति;
- (iv) चण्डीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्ति; तथा
- (v) भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड में प्रतिनियुक्ति,

इन नियमों के अन्त में क्रमशः अनुबन्ध 10, 11, 12, 13 तथा 14 पर हैं।

111. विदेश सेवा प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण पर पदग्रहण काल, पदग्रहण काल वेतन तथा स्थानान्तरण यात्रा भत्ता.—

(1) किसी सरकार के अधीन किसी संगठन में विदेश सेवा में स्थानांतरण पर तथा लोकहित में वहां से प्रतिवर्तित होने पर, पदग्रहण काल, पदग्रहण काल की अवधि के लिए वेतन तथा दोनों तरफ के स्थानान्तरण यात्रा भत्तों की हकदारी हरियाणा सिविल सेवा नियमों या विदेशी नियोक्ता के नियमों में प्रावधानों के अनुसार विनियमित की जाएगी जो सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी के लिए ज्यादा लाभकारी हो। दोनों तरफ का दायित्व विदेशी नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

(2) किसी सरकार के अधीन किसी विभाग में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण की दशा में, या लोकहित में वहां से प्रतिवर्तित होने पर, पदग्रहण काल, पदग्रहण काल की अवधि के लिए वेतन तथा स्थानान्तरण यात्रा भत्ते की हकदारी उस विभाग/सरकार के तथा द्वारा नियमों के अधीन विनियमित की जाएगी जिसकी ओर सरकारी कर्मचारी जा रहा है।

112. हरियाणा सरकार के अधीन किसी संगठन में विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर वेतन का नियतन।—

हरियाणा सरकार के अधीन किसी संगठन/विभाग में विदेश सेवा/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण की दशा में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाए—

- (i) समान {स्तर/वेतनमान}¹ के पद पर, सरकारी कर्मचारी उसके मूल विभाग में उस द्वारा पहले से लिया जा रहा अपना वेतन लेना जारी रखेगा;
- (ii) मूल संवर्ग/विभाग में उस द्वारा धारित पद से उच्चतर {स्तर/वेतनमान}¹ का पद है तो, उच्चतर वेतन ढांचे में उसका वेतन हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016 में प्रावधान के अनुसार नियत किया जाएगा; तथा
- (iii) उच्चतर {स्तर/वेतनमान}¹ का वही पद है, तो उच्चतर {स्तर/वेतनमान}¹ अनुज्ञेय होगा।

113. चण्डीगढ़ प्रशासन या भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर वेतन का नियतन।—

- (1) चण्डीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर, सरकारी कर्मचारी द्वारा पहले से लिया जा रहा वेतन या वेतन, जो अनुज्ञेय होता यदि वह प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाता, अनुज्ञेय होगा।
- (2) भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर, कर्मचारी निम्नलिखित में से लेने का चयन कर सकता है—
 - (क) या तो भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड के नियमों में प्रावधान के अनुसार प्रतिनियुक्ति पद का वेतन तथा भत्ते;
 - (ख) या मूल विभाग में उसको लागू नियमों के प्रावधानों के अनुसार वेतन तथा भत्ते।

114. किसी अन्य सरकार के अधीन विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर वेतन नियतन के लिए विकल्प।—

इन नियमों में, अन्यथा उपबंधित के सिवाए, भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग/संगठन में उच्चतर वेतन ढांचे के पद के लिए प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा की दशा में, सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित में से लेने के लिए चयन कर सकता है—

¹

अधिसूचना संख्या : 2/12/2017-4 एफ.आर., दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।

- (क) या तो एक वेतनवृद्धि के लाभ के साथ प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा के उच्चतर वेतन ढांचे में वेतन; या
- (ख) मूल संवर्ग में उसका मूल वेतन जमा उस पर प्रतिनियुक्ति भत्ता;

उधारयाची प्राधिकारी बाह्य संवर्ग पद ग्रहण करने की तिथि से एक मास के भीतर कर्मचारी का विकल्प प्राप्त करेगा। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अन्तिम होगा।

टिप्पणी— उपरोक्त प्रावधान चण्डीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की दशा में लागू नहीं होंगे।

115. वेतन नियतन या प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए विकल्प का पुनः प्रयोग करना।—

- (1) वेतन नियतन के प्रयोजन के लिए एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा, तथापि, कर्मचारी निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन अपने विकल्प का पुनः प्रयोग कर सकता है जो उसकी प्राप्ति की तिथि से निम्नलिखित रूप में प्रभावी होगा—
- (क) जब वह प्रोफार्मा पदोन्नति प्राप्त करता है या उसे मूल संवर्ग में सुनिश्चित जीविका प्रगति {स्तर/वेतनमान}¹ दिया जाता है;
- (ख) जब उसे मूल संवर्ग में निम्नतर {स्तर/वेतनमान}¹ के पद पर प्रतिवर्तित किया जाता है;
- (ग) जब मूल पद का {स्तर/वेतनमान}¹ जिसके आधार पर उसके परिलाभ कर्मचारी द्वारा प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर धारित प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा या बाह्य संवर्ग पद के दौरान विनियमित किए जाते हैं या तो भविष्यलक्षी या भूतलक्षी तिथि से पुनरीक्षित किए जाते हैं।
- (2) प्रोफार्मा पदोन्नति या सुनिश्चित जीविका प्रगति {स्तर/वेतनमान}¹ प्रदान करने या मूल संवर्ग में {स्तर/वेतनमान}¹ के रूपान्तरण या बढ़ौतरी की दशा में, वेतन मूल संवर्ग में वेतन के पुनरीक्षित हकदारी के सन्दर्भ में पुनरीक्षित/विद्यमान विकल्प के आधार पर पुनः नियतन किया जाएगा। तथापि, यदि प्रारम्भिक विकल्प प्रतिनियुक्ति पद के वेतन ढांचे के लिए था तथा पहले से प्रयोग किए गए विकल्प में कोई भी

¹

अधिसूचना संख्या : 2/12/2017-4 एफ.आर., दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।

परिवर्तन विचारित नहीं किया गया है, तो प्रतिनियुक्ति पद पर पहले से लिया जा रहा वेतन संरक्षित किया जाएगा।

- (3) यदि किसी कर्मचारी का उसके संवर्ग पद में वेतन नीचे की ओर पुनः नियत किया जाता है तो बाह्य संवर्ग पद पर वेतन पुनः नियत वेतन के आधार पर तथा पुनरीक्षित या विद्यमान विकल्प, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार पुनः नियत किए जाने के लिए भी दायी है।

टिप्पणी— महंगाई भत्ते, आवास किराया भत्ते या किसी अन्य भत्ते की दरों में पुनरीक्षण, आदाता या उधारयाची विभाग में, विकल्प का पुनः प्रयोग करने का अवसर नहीं होगा।

116. ठीक नीचे नियम के लाभ—

इन नियमों में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाए, विदेश सेवा में स्थानांतरित कोई सरकारी कर्मचारी उसी संवर्ग में रहेगा जिसमें वह अपने स्थानान्तरण से ठीक पूर्व अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में शामिल था, तथा उसके मूल विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा “ठीक नीचे नियम” के अधीन पदोन्नति तथा सुनिश्चित जीविका प्रगति {स्तर/वेतनमान}¹ के लाभ के लिए विचारा जा सकता है, जो उसको अनुज्ञेय होता यदि वह विदेश सेवा में स्थानांतरित नहीं किया गया होता।

टिप्पणी— यह नियम लेखा कार्मिकों तथा उन सरकारी कर्मचारियों को लागू नहीं है जो हरियाणा सरकार के नियंत्रणाधीन संगठनों में संवर्ग पद (पदों) पर नियुक्त किए गए हैं। वे विदेश सेवा के दौरान “ठीक नीचे नियम” के अधीन लाभ की बजाय अपनी बारी पर सामान्य पदोन्नति व सुनिश्चित जीविका प्रगति {स्तर/वेतनमान}¹ लाभ के लिए हकदार होंगे।

117. प्रतिनियुक्ति भत्ते की दर तथा स्वीकृति—

हरियाणा सरकार के अधीन किसी संगठन में विदेश सेवा में स्थानान्तरण पर, कोई भी प्रतिनियुक्ति भत्ता विदेश सेवा/प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान अनुज्ञेय नहीं होगा। तथापि, वह विहित दर (दरों) पर हरियाणा सरकार से अन्यथा सरकार के अधीन किसी संगठन/विभाग में विदेश सेवा/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या विपर्ययेन की स्थिति में

¹

अधिसूचना संख्या : 2/12/2017-4 एफ.आर., दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।

अनुज्ञेय होगा। प्रतिनियुक्ति भत्ते की दर (दरों) निम्नानुसार होंगी—

क्रम संख्या	घटना	प्रतिनियुक्ति भत्ते की दर
1	2	3
1	केन्द्रीय सरकार/अन्य राज्य सरकार या विपर्ययेन प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर उसी स्थान पर स्थानान्तरण	अधिकतम रूपये 2000/- प्रति मास के अध्यधीन मूल वेतन का पांच प्रतिशत या विदेश नियोक्ता/सरकार, की दर, जो भी उच्चतर हो
2	केन्द्रीय सरकार/अन्य राज्य सरकार या विपर्ययेन प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर अन्य स्थान पर स्थानान्तरण	अधिकतम रूपये 4000/- प्रति मास के अध्यधीन मूल वेतन का दस प्रतिशत या विदेशी नियोक्ता/सरकार की दर, जो भी उच्चतर हो।
3	हरियाणा सरकार के अधीन या विपर्ययेन किसी संगठन में विदेश सेवा	कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं
4	चण्डीगढ़ प्रशासन या भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड या विपर्ययन प्रतिनियुक्ति	कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं

टिप्पण 1.— महंगाई भत्ता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्ति भत्ता वेतन के रूप में समझा जाएगा तथा यह अवकाश के दौरान भी अनुज्ञेय होगा।

टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा की अवधि के दौरान, वृत्तिमूलक स्तर-19 के नीचे या उसके समकक्ष किसी वेतन स्तर में वेतन ले रहे सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन जमा प्रतिनियुक्ति भत्ता 2,19,600/- रुपये से अधिक नहीं होगा। जहां प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा पर धारित पद का स्तर 20 है, तो मूल वेतन, जमा समय-समय पर प्रतिनियुक्ति भत्ता 2,24,100/- रुपये से अधिक नहीं होगा।¹

टिप्पण 3.— पुराने मुख्यालय के उसी शहर समूह के भीतर आने वाले किन्हीं स्थानों से स्थानान्तरण की दशा में, यह उसी स्थान के भीतर स्थानान्तरण के रूप में समझा जाएगा।

¹

अधिसूचना संख्या : 2 / 12 / 2017-4 एफ.आर., दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।

118. महंगाई भत्ते का दायित्व।—

किसी सरकार के अधीन किसी संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी मूल विभाग में प्रचलित दरों पर महंगाई भत्ते के लिए हकदार होगा।

119. प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा के दौरान प्रतिपूर्ति भत्तों की स्वीकार्यता।—

इन नियमों में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए, हरियाणा सरकार या किसी अन्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी संगठन/विभाग में विदेश सेवा/प्रतिनियुक्ति के दौरान प्रतिपूर्ति भत्ते (महंगाई भत्ता छोड़ कर) जैसे आवास किराया भत्ता, परिवहन/वाहन भत्ता, यात्रा भत्ता, बालक शिक्षा भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं मूल विभाग या आदाता संगठन/विभाग में प्रचलित प्रावधान के अनुसार विनियमित की जाएंगी, जो सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी के लिए ज्यादा लाभकारी हों।

टिप्पण।— आदाता विभाग/संगठन में समरूप हैसियत के नियमित कर्मचारियों को अनुज्ञेय भत्ते प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय होंगे, तथापि, वे मूल विभाग/संगठन में अनुज्ञेय नहीं थे।

120. किराया निःशुल्क आवास, कोई अन्य सुविधा या विशेष भत्ते की स्वीकार्यता।—

- (1) हरियाणा सरकार के अधीन किसी संगठन में विदेश सेवा के दौरान न तो कोई निःशुल्क आवास और न ही निःशुल्क वाहन और न ही कोई वाहन भत्ता उधारयाची विभाग के खर्चों पर उपलब्ध करवाया जाएगा। ये सुविधाएं विदेशी नियोक्ता द्वारा उपलब्ध करवाई जा सकती है; यदि ये सामान्यतः पद, जिस पर वह प्रतिनियुक्त किया गया है, की सेवा शर्त के रूप में है।
- (2) किसी अन्य सरकार के अधीन किसी संगठन या विभाग में विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति के दौरान किराया निःशुल्क आवास, निःशुल्क वाहन, परिवहन भत्ता की सुविधा, या कोई अन्य सुविधा आदाता संगठन या विभाग, जैसे भी स्थिति हो, में प्रावधान के अनुसार विनियमित की जाएंगी।

121. सरकारी आवास का रखना/नया आवंटन।—

- (1) विदेश सेवा की दशा में, किसी सरकार के अधीन किसी संगठन में उसी स्थान पर विदेश सेवा में स्थानान्तरित कोई सरकारी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटित सरकारी आवास रखने के लिए हकदार होगा परन्तु—
 - (क) अनुज्ञप्ति फीस विदेशी नियोक्ता द्वारा उससे प्रभारित की जाएगी; तथा

- (ख) समय—समय पर विहित बाजार किराया तथा सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी से वसूली गई अनुज्ञाप्ति फीस के बीच की अन्तर राशि विदेशी नियोक्ता द्वारा वहन की जाएगी तथा लेखे, जहां अनुज्ञाप्ति विदेश सेवा में स्थानान्तरण पूर्व जमा करवाई जा रही थी, में जमा करवाई जाएगी।
- (2) किसी सरकार में प्रतिनियुक्ति की दशा में, किसी सरकार के अधीन किसी विभाग में उसी स्थान पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित कोई सरकारी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आबंटित सरकारी आवास रखने के लिए हकदार होगा परन्तु अनुज्ञाप्ति फीस उधारयाची विभाग द्वारा उससे प्रभारित की जाएगी तथा लेखे, जहां वह प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण से पूर्व जमा करवाई जा रही थी, में जमा करवाई जाएगी।

टिप्पण 1.— सरकारी आवास में 'निःशुल्क आवास' शामिल नहीं है।

टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा के दौरान कोई सरकारी कर्मचारी अपने विदेशी नियोक्ता के माध्यम से सरकारी आवास के नए आबंटन के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए भी हकदार होगा।

122. प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा के दौरान अवकाश यात्रा रियायत की स्वीकार्यता।—

इन नियमों या किन्हीं अन्य नियमों में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए, अवकाश यात्रा रियायत उधारदाता विभाग की पूर्व स्वीकृति के अध्यधीन उधारदाता विभाग के संबंधित नियमों में प्रावधान के अनुसार अनुज्ञेय होगी। तथापि, अवकाश यात्रा रियायत का दायित्व उधारयाची नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा बशर्ते सरकारी कर्मचारी ने संबंधित ब्लाक की अवधि के दौरान दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए उधारयाची संगठन में सेवा की हो।

123. भारत में विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति के दौरान अवकाश नियमों का लागूकरण।—

- (1) भारत में किसी सरकार के अधीन किसी संगठन या विभाग में विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति के दौरान कोई सरकारी कर्मचारी हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में प्रावधान के अनुसार अवकाश प्राप्त करने के लिए हकदार होगा।
- (2) जब तक किसी मामले में अन्यथा उपबंधित न हो, विदेश सेवा/प्रतिनियुक्ति पर किसी सरकारी कर्मचारी को अवकाश मूल विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया जायेगा।

टिप्पणी— कोई सरकारी कर्मचारी जो भारत में विदेश सेवा में है नियमों की अनुपालना हेतु व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी है। अवकाश, जिसके लिए वह इन नियमों के अधीन हकदार है को स्वीकृत कराते हुए नियमों की अनुपालना हेतु व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी है, वह स्वयं नियमों के विरुद्ध लिए गए अवकाश वेतन की वापसी के लिए दायी है। वापसी के लिए उसके इन्कार करने की दशा में, सरकार के अधीन उसकी पूर्व सेवा, अवकाश और/या पेशन के प्रयोजन के लिए अमान्य कर दी जाएगी।

124. विदेश सेवा के दौरान अवकाश की अवधि के दौरान प्रतिपूर्ति भत्तों का दायित्व।—

जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाए, अवकाश वेतन अंशदान हेतु विहित दर केवल वेतन के आधार पर संगणित की गई है, इसलिए, अर्जित अवकाश तथा अर्धवेतन अवकाश की अवधि के दौरान अनुज्ञेय महंगाई भत्ते सहित प्रतिपूर्ति भत्ते किसी सरकार के अधीन किसी संगठन में विदेश सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी द्वारा लिये गये किसी प्रकार के अवकाश की अवधि हेतु विदेश नियोक्ता द्वारा वहन किए जाएंगे। अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश तथा प्रतिवर्तित अवकाश की अवधि के दौरान मूल वेतन का दायित्व मूल विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

125. विशेष अशक्तता अवकाश के अवकाश वेतन हेतु दायित्व।—

विदेशी नियोक्ता, भारत में कहीं भी विदेश सेवा के लिए स्थानान्तरित सरकारी कर्मचारियों की दशा में, विदेश सेवा में तथा उस के माध्यम से उपगत अशक्तता के कारण प्रदान किए गए अशक्तता अवकाश के संबंध में अवकाश वेतन हेतु दायित्व स्वीकार करेगा, चाहे ऐसी अशक्तता विदेशी सेवा के समापन के बाद स्वयं प्रकट हो। विदेशी नियोक्ता अवकाश वेतन वहन करने के लिए दायी है, यदि यह चिकित्सीय रूप से प्रमाणित होता है कि अशक्तता, विदेश सेवा से वापसी तथा अशक्तता के प्रकटीकरण के बीच बीत चुकी अवधि को ध्यान में रखे बिना, विदेश सेवा में या उस के माध्यम से उपगत की गई है।

टिप्पणी— ऐसे अवकाश हेतु अवकाश वेतन प्रभार विदेशी नियोक्ता से वसूले जाएंगे।

126. प्रसूति अवकाश, बालक दत्तक ग्रहण अवकाश तथा बालक देखभाल अवकाश के लिए अवकाश वेतन।—

नियमों की किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति के दौरान किसी महिला सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया गया प्रसूति अवकाश, बालक दत्तक ग्रहण

अवकाश तथा बालक देखभाल अवकाश के लिए अवकाश वेतन विदेशी नियोक्ता/विभाग, जहां वह ऐसे अवकाश पर जाने से पूर्व कार्य कर रही थी, द्वारा वहन किया जाएगा।

127. अवकाश वेतन अंशदान का दायित्व.–

(1) प्रतिनियुक्ति की दशा में–

- (क) केन्द्रीय/किसी राज्य सरकार तथा हरियाणा सरकार के बीच कोई भी अवकाश वेतन अंशदान आदाता विभाग/सरकार द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित नहीं होगा;
- (ख) इन नियमों में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, हरियाणा सरकार से केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार (सरकारों) या विपर्ययेन प्रतिनियुक्ति पर, सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए गए किसी प्रकार के अवकाश की अवधि हेतु अवकाश वेतन वहन करने का दायित्व पूर्ण रूप से उधारयाची विभाग पर होगा, जहां से अधिकारी अवकाश पर जाता है, तथा उधारदाता विभाग को कोई भी अवकाश वेतन अंशदान भुगतानयोग्य नहीं होगा।

(2) विदेश सेवा की दशा में–

हरियाणा सरकार या किसी अन्य सरकार के अधीन किसी संगठन में विदेश सेवा में स्थानान्तरण पर, अवकाश वेतन अंशदान (विदेश सेवा के दौरान प्राप्त किए गए अवकाश की अवधि के सिवाए) का भुगतान विदेशी नियोक्ता द्वारा हरियाणा की संचित निधि में किया जाएगा।

टिप्पण 1.– जब किसी सरकारी कर्मचारी का विदेश सेवा में स्थानान्तरण उसके अनुरोध पर किया जाता है, तो अवकाश वेतन अंशदान उस द्वारा जमा करवाया जाएगा यदि विदेश नियोक्ता उसे वहन के लिए तैयार नहीं है।

टिप्पण 2.– प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा की अवधि में, पदग्रहण तथा मूल विभाग में प्रत्यावर्तन के समय पर अनुज्ञेय पदग्रहण काल भी शामिल है।

128. अवकाश वेतन अंशदानों के लिए दर.–

अवकाश वेतन अंशदानों की दर विदेश सेवा की अवधि के दौरान लिए जा रहे परिलाभों की ग्यारह प्रतिशत की दर से होगी।

टिप्पण.– अवकाश वेतन अंशदान के लिए परिलाभ हेतु इन नियमों के नियम 8 (24) को देखिए।

129. भारत के बाहर विदेश सेवा के दौरान अवकाश की स्वीकार्यता.—

- (1) किसी वैयक्तिक मामले में, भारत से बाहर विदेश सेवा के लिए स्थानान्तरण स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी विदेशी नियोक्ता के परामर्श से पूर्व शर्तें अवधारित करेगा जिन के अनुसार नियोक्ता द्वारा अवकाश प्रदान किया जाएगा। ऐसे अवकाश के संबंध में अवकाश वेतन का भुगतान विदेशी नियोक्ता द्वारा किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी का अवकाश लेखा न तो घटाया जाएगा और न ही जमा किया जाएगा जिस अवधि के दौरान वह भारत के बाहर विदेश सेवा पर रहा।
- (2) विशेष परिस्थितियों में, भारत के बाहर विदेश सेवा में स्थानान्तरण स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी विदेशी नियोक्ता के साथ व्यवस्था करेगा जिसके अधीन किसी सरकारी कर्मचारी के रूप में उसको लागू नियमों के अनुसार अवकाश प्रदान किया जा सकता है, बशर्ते विदेशी नियोक्ता इन नियमों के अधीन विहित दर पर अवकाश अंशदान भुगतान करता है।

130. पेंशन अंशदान/समरूप अंशदान का दायित्व.—

- (1) प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण की दशा में, हरियाणा सरकार से केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार (सरकारों) या विपर्ययेन में प्रतिनियुक्ति पर, हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के अधीन आने वाले सरकारी कर्मचारी के संबंध में अर्हक सेवा की अवधि हेतु पेंशन का दायित्व उस विभाग द्वारा वहन किया जाएगा जिससे वह सेवानिवृत्ति के समय स्थायी रूप से संबंधित है। सेवानिवृत्ति के समय न तो कोई पेंशन अंशदान और न ही कोई आनुपातिक अंशदान आदाता विभाग से वसूला जाएगा। तथापि, परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम के अधीन समरूप अंशदान का दायित्व स्कीम के अधीन आने वाले सरकारी कर्मचारी के संबंध में प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए उधारयाची विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
- (2) विदेश सेवा की दशा में, किसी सरकार के अधीन किसी संगठन में विदेश सेवा में स्थानान्तरण पर, विदेश सेवा की अवधि हेतु या तो हरियाणा की संचित निधि में, पेंशन अंशदान या लेखा रखरखाव प्रभार सहित परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम के अधीन समरूप अंशदान के नियोक्ता हिस्सा का, जैसी भी स्थिति हो, विदेशी नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित होगा।

टिप्पण 1.— जब किसी सरकारी कर्मचारी का स्थानान्तरण विदेश सेवा में उसके अनुरोध पर किया जाता है, तो पेंशन अंशदान या समरूप अंशदान उस द्वारा जमा करवाया

जाएगा, जहां विदेशी नियोक्ता उसे वहन करने को तैयार नहीं है।

टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा की अवधि में, पद ग्रहण के समय तथा मूल विभाग में प्रत्यावर्तन, पर अनुज्ञेय पदग्रहण काल भी शामिल है।

131. पेंशन अंशदानों के लिए दर।—

विदेश सेवा की अवधि के लिए हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के अधीन आने वाले सरकारी कर्मचारियों के संबंध में पेंशन अंशदान परिलाभों की निम्नलिखित दर अनुसार होगा—

क्रम संख्या	विदेश सेवा में जाने की तिथि तक सेवा की कुल अवधि	पेंशन अंशदान की दर
1	2	3
1	10 वर्ष तक	परिलाभ के 10 प्रतिशत की दर से
2	10 वर्ष से अधिक तथा 20 वर्ष तक	परिलाभ के 15 प्रतिशत की दर से
3	20 वर्ष से अधिक	परिलाभ के 20 प्रतिशत की दर से

टिप्पण।— पेंशन अंशदान के लिए परिलाभों के लिए देखिए इन नियमों के नियम 8(24)।

132. अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान के भुगतान के लिए प्रक्रिया।—

- (1) विदेश सेवा की अवधि के लिए हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के अधीन आने वाले किसी सरकारी कर्मचारी के संबंध में देय अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान का, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर त्रैमासिक भुगतान किया जाएगा, तथा यदि भुगतान विहित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो विलम्बित अवधि के अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान की राशि का ध्यान रखे बिना विदेशी नियोक्ता द्वारा विलम्बित अंशदान पर प्रतिदिन दस रुपये की दर से ब्याज सरकार को भुगतान किया जाएगा।
- (2) प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा की अवधि के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम के अधीन आने वाले सरकारी कर्मचारी के संबंध में समरूप अंशदान मासिक तौर पर भुगतान किया जाएगा।

टिप्पणी— अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान का पृथक रूप से भुगतान किया जाएगा जैसे कि ये लेखों के विभिन्न शीर्षों में जमायोग्य हैं। विदेश सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी द्वारा लिए गए अवकाश की अवधि के लिए कोई अंशदान भुगतानयोग्य नहीं होगा। किसी कारण से सरकार से वसूलीयोग्य देय, यदि कोई हो, इन अंशदानों के विरुद्ध समायोजित नहीं होंगे।¹

133. अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदानों को रोकने के लिए कोई भी विकल्प नहीं।—

न तो सरकारी कर्मचारी और न ही विदेशी नियोक्ता अवकाश वेतन अंशदान तथा/या पेंशन अंशदानों को रोकने के लिए तथा विदेश सेवा में व्यतीत किए गए समय को सरकारी सेवा में ड्यूटी के रूप में गिनने के अधिकार से वंचित करने का विकल्प दे सकता है। उसकी ओर से किए गए अंशदान, सेवा जिसका वह सदस्य है, के नियमों के अनुसार उसके पेंशन के लिए या पेंशन तथा अवकाश वेतन, जैसी भी स्थिति हो, के लिए उसके दावे भी कायम रहेंगे। न तो उसे और न ही विदेशी नियोक्ता को भुगतान किए गए किसी अंशदान में सम्पत्ति का कोई अधिकार है तथा वापसी के लिए किसी भी दावे को ग्रहण नहीं किया जाएगा।

134. अंशदान के भुगतान से छूट।—

प्रशासकीय विभाग वित्त विभाग के परामर्श से किसी अपवादिक मामले (मामलों) में देय अंशदानों से छूट दे सकता है।

135. सामान्य भविष्य निधि/ग्रुप बीमा स्कीम लेखे, स्थायी सेवानिवृत्ति लेखा संख्या में अंशदान।—

विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी अपने सामान्य भविष्य निधि लेखा या स्थायी सेवानिवृत्ति लेखा संख्या, जैसी भी स्थिति हो, ग्रुप बीमा स्कीम इत्यादि, जिसका वह ऐसी निधि/स्कीम के नियमों के अनुसार विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर लगाए जाने से पूर्व अंशदायी था, में अंशदान करना जारी रखेगा।

136. बोनस, अनुग्रहपूर्वक इत्यादि की स्वीकृति।—

विदेश सेवा में स्थानान्तरित कोई सरकारी कर्मचारी विदेश सेवा की अवधि के संबंध में अपने विदेशी नियोक्ता से कोई लाभांश जैसे बोनस, अनुग्रहपूर्वक भुगतान या इसी प्रकार के लाभ स्वीकार कर सकता है जब तक यह उधारदाता विभाग द्वारा विशिष्ट रूप से निर्बन्धित नहीं किया जाता है।

¹

अधिसूचना संख्या : 2/12/2017-4 एफ.आर., दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।

137. विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति की अवधि।—

- (1) इन नियमों में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए, हरियाणा सरकार या किसी अन्य सरकार के अधीन किसी संगठन/विभाग में विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति एक बार तीन वर्ष तक की अवधि के लिए होगी। जहां यह तीन वर्ष से अधिक या पांच वर्ष से अधिक प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा की अवधि को बढ़ाना लोकहित में आवश्यक समझा गया है, तो क्रमशः प्रशासकीय विभाग या वित्त विभाग का इस संबंध में पूर्ण औचित्य देते हुए समय पर पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
- (2) केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक उद्यमों में विदेश सेवा की अवधि किसी मामले में सम्पूर्ण सेवा के दौरान पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (3) सरकार को लोकहित में प्रतिनियुक्ति की निबन्धनों तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा समाप्त करने की अन्तर्निहित शक्ति है। विदेशी नियोक्ता भी सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी के प्रत्यावर्तन के लिए सरकार को अनुरोध कर सकता है।

टिप्पण 1।— यह नियम संकर्ग पद (पदों) पर हरियाणा सरकार के नियंत्रणाधीन किसी संगठन में या चण्डीगढ़ प्रशासन के अधीन किसी विभाग में प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा में स्थानान्तरित सरकारी कर्मचारी को लागू नहीं है।

टिप्पण 2।— एक संगठन में प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा में पहले से नियुक्त कोई सरकारी कर्मचारी दूसरे में स्थानान्तरित किया जा सकता है, बशर्ते विदेश सेवा की कुल अवधि विहित सीमा से अधिक नहीं होगी। विभिन्न संगठनों में विदेश सेवा की लगातार कुल अवधि एक दौर के रूप में समझी जाएगी।

टिप्पण 3।— जब भारत में विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति के दौरान किसी कर्मचारी को उसके विदेशी नियोक्ता द्वारा भारत के बाहर ड्यूटी पर भेजा जाता है, तो वह भारत में विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति के रूप में समझा जाना जारी रहेगा। सरकारी कर्मचारी की इस प्रकार प्रतिनियुक्ति का तथ्य उधारदाता प्राधिकारी के ध्यान में लाया जाएगा।

138. विदेश सेवा/प्रतिनियुक्ति के दो दौर के बीच की उपशमन अवधि.–

किसी सरकारी कर्मचारी जिसने विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर सेवा की है, को विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर (चण्डीगढ़ प्रशासन को छोड़ कर) दोबारा जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक अपने प्रत्यावर्तन के बाद उसके उधारदाता विभाग में न्यूनतम दो वर्ष कार्य न कर चुका हो।

टिप्पणी.– इन नियमों के नियम 137 के अधोलिखित टिप्पण 1 को भी देखिए।

139. विदेश सेवा से प्रत्यावर्तन की तिथि.–

जब कोई सरकारी कर्मचारी विदेश सेवा से प्रत्यावर्तित किया जाता है, तो उसका वेतन, भत्ते तथा अंशदान ऐसी तिथि से विदेशी नियोक्ता द्वारा बंद कर दिया जाएगा जिसको वह नये पद का प्रभार ग्रहण करता है। विदेश सेवा से मुक्त होने के बाद किन्तु पद का प्रभार ग्रहण करने से पूर्व लिए गए किसी अवकाश की दशा में, नए पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से पूर्व की तिथि प्रत्यावर्तन की तिथि के रूप में समझी जाएगी।

टिप्पणी.– अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि, यदि कोई हो, सभी प्रयोजनों के लिए विदेश सेवा के रूप में समझी जाएगी।

140. विदेश सेवा/प्रतिनियुक्ति से वापसी पर वेतन का नियतन.–

विदेश सेवा प्रतिनियुक्ति से मूल विभाग में वापसी पर, विदेश सेवा/प्रतिनियुक्ति के दौरान उच्चतर वेतन ढांचे में लिया जा रहा वेतन, संवर्ग पद (पदों) के वेतन के नियतन के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी का वेतन प्रकल्पित वेतन के समान नियत किया जाएगा जो अनुज्ञेय होगा यदि वह विदेश सेवा/प्रतिनियुक्ति में स्थानांतरित न किया होता।

टिप्पणी.– गैर अर्हक सेवा की अवधि, यदि कोई हो, वेतनवृद्धि, पेंशन इत्यादि के प्रयोजन के लिए नहीं गिनी जाएगी।

141. किसी संगठन से हरियाणा के किसी विभाग में प्रतिनियुक्ति पर निबन्धन तथा शर्त.–

निम्नलिखित के अधीन किसी संगठन के किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की दशा में–

- (i) हरियाणा से अन्यथा किसी सरकार के अधीन, उसके निबंधन तथा शर्त आपसी

सहमति से विनिश्चित की जाएंगी;

- (ii) हरियाणा सरकार के अधीन, उसके निबन्धन तथा शर्ते इन नियमों के अन्त में अनुबन्ध-15 के अनुसार नियत की जाएंगी।

142. पश्चात्वर्ती नियुक्ति विदेश सेवा नहीं है।-

किसी संगठन में स्थायी या अस्थायी आधार पर स्थानान्तरण या अन्यथा द्वारा किसी अस्थायी सरकारी कर्मचारी की पश्चात्वर्ती नियुक्ति विदेश सेवा के रूप में नहीं समझी जाएगी तथा उसे सरकारी सेवा से त्यागपत्र देना होगा। तथापि, स्थायी सरकारी कर्मचारी की दशा में, अवकाश वेतन अंशदान तथा/या पेंशन अंशदान, उसके धारणाधिकार की तिथि तक नए संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।

टिप्पणी।— यथानुपात पेंशनरी लाभांशों का भुगतान धारणाधिकार, यदि कोई हो, के रखने की तिथि तक अनुज्ञेय होगा।

अध्याय—XI

सेवा से सेवानिवृत्ति—वर्ग तथा परिस्थितियां

143 अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति.—

(1) इन नियमों में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी उस मास, जिसमें वह उसके लिए या अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत, जैसी भी स्थिति हो, में उस द्वारा धारित पद के लिए विहित सेवानिवृत्ति की आयु पूरा करता है, के अन्तिम दिन को दोपहर बाद सेवा से सेवानिवृत्त होगा। तथापि, कोई सरकारी कर्मचारी, जिसकी जन्म तिथि मास की प्रथम तिथि है, विहित आयु पूरी करने पर पिछले मास के अन्तिम दिन को दोपहर बाद सेवा से सेवानिवृत्त होगा। अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की आयु सभी ग्रुपों के कर्मचारियों के लिए अठावन वर्ष है, सिवाय निम्नलिखित को छोड़कर, जिनकी साठ वर्ष है:—

- (i) न्यूनतम 70 प्रतिशत या अधिक की अशक्तता की डिग्री रखने वाले निःशक्त कर्मचारी;
- (ii) नेत्रहीन कर्मचारी;
- (iii) ग्रुप घ कर्मचारी; तथा
- (iv) न्यायिक अधिकारी।

सिवाए लोकहित में तथा असाधारण परिस्थितियों में मंत्री परिषद् के अनुसोदन के बिना कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु पूरी करने के बाद सेवा में नहीं रखा जाएगा।

टिप्पण 1.— एक आंख वाला कर्मचारी इस नियम के प्रयोजन के लिए नेत्रहीन या निःशक्त व्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाएगा।

टिप्पण 2.— जब किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा से अधिवर्षिता पर सेवा—निवृत्ति देय है; तो कार्यालय आदेश उस मास, जिसमें वह सेवानिवृत्त होने जा रहा है, की सात तारीख को जारी किए जाएंगे तथा प्रत्येक ऐसे आदेश की प्रति तुरन्त प्रधान महालेखाकार, हरियाणा को प्रेषित की जाएगी। सरकारी कर्मचारी जो उस समय निलम्बनाधीन है को बहाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

टिप्पण 3.— कोई सरकारी कर्मचारी जो सेवा के दौरान अशक्त हो जाता है तो 58 वर्ष की आयु पूरी करने से कम से कम तीन मास पूर्व अपने विभागाध्यक्ष को सूचित करेगा।

उसे स्नातकोत्तर चिकित्सा तथा विज्ञान संस्था, रोहतक के चिकित्सा बोर्ड से इसके निदेशक की अध्यक्षता में परीक्षित करवाया जाएगा । बोर्ड से चिकित्सा रिपोर्ट की प्राप्ति पर, नियुक्त प्राधिकारी या विभागाध्यक्ष, जो भी उच्चतर हो, ऐसे शारीरिक रूप से अशक्त कर्मचारी की सेवा में विस्तार प्रदान करने या न करने बारे अन्तिम निर्णय लेगा ।

- (2)(क) स्वास्थ्य विभाग के एच.सी.एम.एस. चिकित्सक की अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होगी बशर्ते कि—
- (i) वह समय समय पर सरकार द्वारा विहित पात्रता के अनुसार 58 वर्ष के आयु के बाद सेवा में रखने के लिए पात्र होना चाहिए; तथा
 - (ii) उसे 58 वर्ष की आयु के बाद की अवधि के दौरान केवल क्लीनिकल ड्यूटी करनी है।
- (ख) यदि चिकित्सक 58 वर्ष के आयु के बाद क्लीनिकल क्षमता में कार्य करने की इच्छुक नहीं है तो वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है परन्तु उसे 58 वर्ष की आयु पूरी करने से कम से कम तीन मास पूर्व लिखित में इसके लिए चुनना होगा ।
- (3) लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें), सिंचाई विभाग तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का कोई भी प्रमुख अभियन्ता पुनः नियुक्ति के बिना पांच वर्ष से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा, किन्तु पद पर पुनः नियुक्ति सामान्यतया तथा प्रत्येक मामले में पांच वर्ष की अनधिक ऐसी अवधि के लिए की जा सकती है जैसा सक्षम प्राधिकारी विनिश्चय करें:
- परन्तु पुनः नियुक्ति की अवधि अधिवर्षिता की आयु पूरी करने की तिथि के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी ।

टिप्पणि— निम्नलिखित प्राधिकारी, अधिवर्षिता की आयु के बाद किसी सरकारी कर्मचारी को रखने के लिए सक्षम हैं—

अधिवर्षिता की आयु के बाद लोकहित में तथा असाधारण परिस्थितियों में किसी सरकारी कर्मचारी को रखने की शक्तियां	प्रशासकीय विभाग	मंत्री परिषद् के अनुमोदन से अधिकतम दो वर्ष के अध्यधीन सम्पूर्ण शक्तियां ¹
---	-----------------	--

¹

अधिसूचना संख्या : 2/12/2017-4 एफ.आर., दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए ।

144. विहित आयु या अर्हक सेवा पूरी करने के बाद समयपूर्व सेवानिवृत्ति.–

नियुक्ति प्राधिकारी को, लोकहित में, ग्रुप घ से अन्यथा किसी ग्रुप के सरकारी कर्मचारी को लिखित में उसे नोटिस, जो तीन मास से कम का न हो, या नोटिस अवधि के बदले में वेतन तथा भत्ते देते हुए, उसकी सेवा अवधि को ध्यान में रखे बिना विहित आयु पूरी करने के बाद या उसकी आयु को ध्यान में रखे बिना बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद अक्षमता के कारण समयपूर्व सेवानिवृत्ति करने का पूर्ण अधिकार होगा। बीस वर्ष की अर्हक सेवा के मामले को छोड़ कर, प्रयोजन के लिए न्यूनतम विहित आयु निम्नलिखित है—

- (i) उन सरकारी कर्मचारियों के लिए पचास वर्ष जो ग्रुप 'क' या 'ख' के पद पर कार्य कर रहे हैं तथा पैंतीस वर्ष की आयु पूरी करने से पूर्व किसी पद पर सेवा ग्रहण की हो;
- (ii) उन सरकारी कर्मचारियों के लिए पचपन वर्ष जो ग्रुप 'क' या 'ख' के पद पर कार्य कर रहे हैं तथा पैंतीस वर्ष की आयु पूरी करने के बाद किसी पद पर सेवा ग्रहण की हो; तथा
- (iii) ग्रुप ग पदों पर कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए पचपन वर्ष:

परन्तु न्यायिक अधिकारी की दशा में; अठावन वर्ष की आयु के बाद सेवा में रखने के लिए मामला, सरकारी सेवा में उसके प्रवेश की तिथि को ध्यान में रखे बिना उसके द्वारा ऐसी आयु पूरी करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचारा जाएगा।

टिप्पण 1.— (i) इस नियम का प्रावधान किसी ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध लागू होगा, जिनकी दक्षताक्षीण है किन्तु जिनके विरुद्ध अदक्षता के औपचारिक आरोप लगाना वांछनीय नहीं है या जो पूर्ण रूप से दक्षता रहित हो चुका है (अर्थात् जब किसी सरकारी कर्मचारी की उपयोगिता स्पष्ट रूप से उसके द्वारा प्राप्त वेतन के अनुरूप नहीं है) परन्तु जो ऐसी कोई अवस्था नहीं जो अनुकम्पा आधार पर उसकी सेवानिवृत्ति का आधार बन सके। यहां वित्तीय शस्त्र के रूप में इस नियम के प्रावधानों का प्रयोग आशय नहीं है, अर्थात् प्रावधान केवल उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में प्रयुक्त किए जाएंगे जो वित्तीय आधारों के विपरीत वैयक्तिक रूप से अनुपयुक्त समझे गए हैं; तथा

- (ii) उन मामलों में जहां भ्रष्टाचार, बेर्झमानी या बदनाम आचरण के लिए प्रतिष्ठा स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गई है यद्यपि कोई भी विशिष्ट दृष्टान्त हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 या लोक सेवा (जांच) अधिनियम, 1850 (1850 का 32) के अधीन सिद्ध होना सम्भाव्य नहीं है।

टिप्पण 2- इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त करने के लिए सरकारी कर्मचारी, चाहे उसने विहित आयु या अर्हक सेवा, जैसी भी स्थिति हो, पूरी कर ली है, सक्षम प्राधिकारी निष्ठा या अन्यथा के सन्दर्भ में उसके अभिलेख का ध्यानपूर्वक परीक्षण करेगा; तथा यदि यह लोक हित में वांछनीय है कि उसे सेवानिवृत्त कर देना चाहिए, कार्रवाई तदानुसार की जाएगी।

टिप्पण 3.- सरकारी कर्मचारी को इस नियम के अधीन प्रस्तावित समय पूर्व सेवानिवृत्ति के विरुद्ध कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा। राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, मन्त्रीपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा तथा अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, विभागाध्यक्ष, प्रशासकीय विभाग के पूर्व अनुमोदन से ऐसी सेवानिवृत्ति प्रभावी होगी। ऐसी सेवानिवृत्ति के सभी मामलों में हरियाणा लोक सेवा आयोग या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, जैसी भी स्थिति हो, से परामर्श किया जाएगा।

टिप्पण 4.- विभागाध्यक्ष इस नियम के अधीन की गई कार्रवाई की प्रत्येक तिमाही में सरकार को रिपोर्ट करेगा।

145. समयपूर्व सेवानिवृत्ति पर तीन मास का नोटिस या नोटिस अवधि के बदले में वेतन तथा भत्ते।-

कोई सरकारी कर्मचारी तीन मास के नोटिस की समाप्ति पर या नोटिस अवधि के बदले में तीन मास के वेतन तथा भत्तों के भुगतान की तिथि से तुरन्त सेवानिवृत्त हो जाएगा तथा उसके बाद सेवा में नहीं रहेगा, इसलिए वह किसी वेतनवृद्धि या पेंशन इत्यादि के प्रयोजन के लिए, ऐसी सेवानिवृत्ति की तिथि, से किसी पश्चात्वर्ती अवधि को शामिल करने के लिए हकदार नहीं होगा। वह पेंशन के लिए हकदार होगा, यदि ऐसी सेवानिवृत्ति की अगली तिथि से नियमों के अधीन अनुज्ञेय है तथा पेंशन तीन मास की अवधि की समाप्ति तक जिसके लिए उसे वेतन तथा भत्तों का भुगतान किया गया है स्थगित नहीं की जाएगी।

टिप्पण 1.— तीन मास के नोटिस के बदले में वेतन तथा भत्तों में {स्तर/वेतनमान}¹ में मूल वेतन, उच्चतर समय {स्तर/वेतनमान}¹ के बदले में विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन, महंगाई भत्ता तथा केवल आवास किराया भत्ता शामिल होगा। क्योंकि नोटिस अवधि के बदले में भुगतान किए गए वेतन तथा भत्ते "वेतन" हैं तथा इसलिए, आय कर की कटौती स्रोत पर ली जाएगी।

टिप्पण 2.— नोटिस अवधि के बदले में वेतन तथा भत्तों का भुगतान सेवानिवृत्ति के आदेश के साथ ही किया जाएगा।

146. विहित आयु या अर्हक सेवा के पूरी होने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति.—

- (1) किसी ग्रुप का कोई सरकारी कर्मचारी अपनी आयु का ध्यान रखे बिना न्यूनतम बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी होने पर या अपनी सेवा अवधि का ध्यान रखे बिना विहित आयु के पूरा होने पर, नियुक्त प्राधिकारी को लिखित में कम से कम तीन मास का नोटिस देते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा नोटिस की स्वीकृति के अध्यधीन तथा हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 10 के भी अध्यधीन, सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है। प्रयोजन के लिए न्यूनतम विहित आयु निम्नलिखित है:—
 - (i) उन सरकारी कर्मचारियों के लिए 50 वर्ष जो ग्रुप 'क' या 'ख' के पद पर कार्य कर रहे हैं तथा पैंतीस वर्ष की आयु पूरी करने से पूर्व किसी पद पर सेवा ग्रहण की हो;
 - (ख) उन कर्मचारियों के लिए पचपन वर्ष जो ग्रुप 'क' या 'ख' के पद पर कार्य कर रहे हैं तथा पैंतीस वर्ष की आयु पूरी होने के बाद किसी पद पर सेवा ग्रहण की हो; तथा
 - (ग) अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए पचपन वर्ष:

परन्तु न्यायिक अधिकारी की दशा में, अठावन वर्ष की आयु पूरी होने या उसके पश्चात् सेवानिवृत्ति के लिए विकल्प रखा जाएगा, जिसका प्रयोग उस द्वारा सतावन वर्ष की आयु के पूरा होने से पूर्व लिखित में किया जाएगा। कोई न्यायिक अधिकारी, जो सतावन वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व ऐसे विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, तो अधिवर्षिता की

¹

अधिसूचना संख्या : 2/12/2017-4 एफ.आर., दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।

आयु तक सेवा में बना रहने के लिए किया गया विकल्प समझा जाएगा।

- (2) सेवानिवृत्ति नोटिस अवधि की समाप्ति की तिथि से प्रभावी होगी जहां नियुक्ति प्राधिकारी उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुमति देने से इन्कार नहीं करता है।
- (3) कोई सरकारी कर्मचारी जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस देता है, स्वयं को समुचित प्राधिकारी के सन्दर्भ द्वारा सन्तुष्ट करेगा कि उसने वास्तव में, बीस वर्ष या अधिक की अर्हक सेवा पूरी कर ली है।

टिप्पण 1.— तीन मास की नोटिस अवधि की संगणना में नोटिस की तामील की तिथि तथा इसकी समाप्ति की तिथि शामिल होगी।

टिप्पण 2.— विभागाध्यक्ष सरकार को इस नियम के अधीन की गई कार्रवाई की प्रत्येक तिमाही में रिपोर्ट करेगा।

147. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की नोटिस अवधि का संक्षेपण—

जहां इन नियमों के अधीन सेवानिवृत्ति चाहने वाला कोई सरकारी कर्मचारी तीन मास के नोटिस की समाप्ति से पूर्व उसके लिए कारण देते हुए उसकी सेवानिवृत्ति हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध करता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी गुण-दोष पर तीन मास के नोटिस की अवधि का संक्षेपण करने के लिए ऐसे अनुरोध पर विचार कर सकता है तथा यदि यह सन्तुष्ट हो जाता है कि नोटिस की अवधि का संक्षेपण कोई प्रशासकीय असुविधा का हेतु नहीं होगा, तो नियुक्ति प्राधिकारी इस शर्त पर तीन मास के नोटिस की अपेक्षा में छूट दे सकता है कि सरकारी कर्मचारी तीन मास के नोटिस की अवधि की समाप्ति से पूर्व उसके पेंशन के भाग के सारांशीकरण के लिए आवेदन नहीं करेगा। तथापि, वह सेवानिवृत्ति पेंशन के लिए हकदार होगा, जो उसकी सेवानिवृत्ति की अगली तिथि से नियमों की अधीन अनुज्ञेय है।

148. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस का इन्कार—

- (1) इस नियम के अधीन किया गया अनुरोध अस्वीकार किया जा सकता है, यदि सरकारी कर्मचारी जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहता है, निलम्बनाधीन है या उसके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाहियां या हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 7 के अधीन विभागीय कार्यवाहियां अपेक्षित या लम्बित हैं तथा

उसके मामले में उसे सेवाओं से हटाए जाने या पदच्युति की शास्ति अधिरोपित की जानी संभावित हो।

परन्तु जहां नियुक्ति प्राधिकारी नोटिस अवधि की समाप्ति से पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करता है, तो सेवा-निवृत्ति उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि से प्रभावी होगी।

- (2) स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति का नोटिस नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि सरकारी कर्मचारी प्रयोजन के लिए विहित न्यूनतम आयु या अर्हक सेवा पूरी करने की शर्त को पूरा नहीं करता है।

149. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के नोटिस को वापिस लिया जाना।—

स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति का नोटिस नियुक्ति प्राधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के बिना वापिस नहीं लिया जाएगा। आशियत सेवा-निवृत्ति की तिथि से पूर्व इस सम्बन्ध में किया गया अनुरोध, स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के आदेश जारी किए गए हैं या नहीं, के तथ्य को ध्यान में रखे बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा।

150. स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति की दशा में पांच वर्ष तक की अर्हक सेवा का कोई महत्व नहीं।—

कोई सरकारी कर्मचारी जो इन या किन्हीं अन्य नियमों के अधीन स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति चाहता है, तो पेंशन तथा मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपदान की संगणना के प्रयोजन के लिए पांच वर्ष तक सेवा बढ़ौतरी के लाभ के लिए हकदार नहीं होगा।

151. समय पूर्व/स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के नोटिस की अवधि के दौरान अवकाश।—

स्वैच्छिक या समयपूर्व सेवा-निवृत्ति के नोटिस अवधि के प्रचलन के दौरान कोई सरकारी कर्मचारी नोटिस अवधि समाप्ति से पूर्व उसके खाते में जमा अवकाश के लिए आवेदन कर सकता है जो उसे नोटिस अवधि के साथ-साथ प्रदान किया जा सकता है।

टिप्पणी।— असाधारण अवकाश उसके खाते में जमा अवकाश के रूप में नहीं माना जाता इसलिए, यह स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति लेने के लिए उस द्वारा दिए गए नोटिस की अवधि के साथ-साथ नहीं दिया जा सकता। यदि कोई सरकारी कर्मचारी पहले से चल रहे चिकित्सा आधार से अन्यथा असाधारण अवकाश के दौरान स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के लिए आवेदन करता है, तो नोटिस अवधि का आग्रह करने की जरूरत नहीं तथा उसका अनुरोध तुरन्त स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते वह सतर्कता

दृष्टिकोण से निर्देष हो। तथापि, यदि चिकित्सा आधार पर असाधारण अवकाश के दौरान कोई सरकारी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के लिए आवेदन करता है तो दी गई नोटिस अवधि, यदि कोई है, स्वीकार की जा सकती है, तथा उसे सतर्कता समाशोधन के अध्यधीन नोटिस अवधि की समाप्ति के बाद सेवा-निवृत्ति के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है।

हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के अनुबन्ध

अनुबन्ध-1

[देखिए नियम ४(३८)]

विभागाध्यक्षों की सूची

क्रम संख्या	विभागाध्यक्ष का पदनाम	विभाग
1	2	3
1	महाधिवक्ता	महाधिवक्ता, हरियाणा ।
2	महानिदेशक	कृषि विभाग, हरियाणा ।
3	महानिदेशक	पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन विभाग, हरियाणा ।
4	निदेशक	पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग, हरियाणा ।
5	मुख्य वास्तुकार	वास्तुकला विभाग, हरियाणा ।
6	निदेशक	अभिलेख विभाग, हरियाणा ।
7	निदेशक	आयुष विभाग हरियाणा ।
8	निदेशक	जनसंख्या संचालन विभाग, हरियाणा
9	प्रमुख विद्युत निरीक्षक	प्रमुख विद्युत निरीक्षक
10	सलाहकार	नागरिक विमानन विभाग, हरियाणा
11	रजिस्ट्रार	सहकारी समितियां विभाग, हरियाणा
12	महानिदेशक	विकास तथा पंचायत विभाग, हरियाणा
13	निदेशक	अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा
14	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	निर्वाचन विभाग, हरियाणा
15	निदेशक	इलैक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा
16	निदेशक	मौलिक शिक्षा विभाग, हरियाणा
17	निदेशक	कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य देखभाल विभाग, हरियाणा
18	महानिदेशक	रोजगार विभाग, हरियाणा
19	निदेशक	पर्यावरण विभाग, हरियाणा
20	आबकारी तथा कराधान आयुक्त	आबकारी तथा कराधान विभाग, हरियाणा
21	अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त	वित्तायुक्त कार्यालय तथा राजस्व व आपदा प्रबन्धन विभाग, हरियाणा

22	निदेशक	मछली पालन विभाग, हरियाणा
23	निदेशक	खाद्य एवं पूर्ति विभाग, हरियाणा
24	आयुक्त	खाद्य एवं औषध प्रशासन विभाग, हरियाणा
25	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	वन विभाग, हरियाणा
26	अध्यक्ष	हरियाणा पिछड़े वर्ग आयोग, चण्डीगढ़
27	अतिरिक्त आवास आयुक्त	हरियाणा भवन, नई दिल्ली
28	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार	हरियाणा सिविल सचिवालय
29	महानिदेशक	हरियाणा पुलिस विभाग, हरियाणा
30	अध्यक्ष	हरियाणा लोक सेवा आयोग
31	अध्यक्ष	हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग
32	निदेशक	हरियाणा राज्य लाटरी विभाग
33	सचिव	हरियाणा विधान सभा
34	महानिदेशक	स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, हरियाणा
35	महानिदेशक	उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा
36	महाआदेशक	गृह रक्षी एवं निदेशक, नागरिक सुरक्षा, हरियाणा
37	निदेशक	बागवानी विभाग, हरियाणा
38	निदेशक	अतिथि सत्कार विभाग, हरियाणा
39	निदेशक	औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग, हरियाणा
40	निदेशक	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा
41	महानिदेशक	सूचना, लोक सम्पर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा
42	निदेशक	संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रण विभाग, हरियाणा
43	प्रमुख अभियन्ता	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा
44	श्रम आयुक्त	श्रम विभाग, हरियाणा
45	महानिदेशक	भू-अभिलेख तथा चकबंदी विभाग, हरियाणा।
46	विधि परामर्शी एवं प्रशासकीय सचिव	विधि एवं विधायी विभाग, हरियाणा।
47	निदेशक	स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग, हरियाणा
48	निदेशक	चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, हरियाणा
49	निदेशक	खान एवं भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा

50	मुख्य अभियन्ता	पंचायती राज, हरियाणा।
51	निदेशक	मौलिक शिक्षा विभाग, हरियाणा
52	नियंत्रक	मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा
53	महानिदेशक	कारागार विभाग, हरियाणा
54	निदेशक	अभियोजन विभाग, हरियाणा
55	प्रमुख अभियन्ता	जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा
56	प्रमुख अभियन्ता	लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें), हरियाणा
57	रजिस्ट्रार	पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय
58	निदेशक	नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा
59	निदेशक	ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा
60	निदेशक	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा
61	महानिदेशक	माध्यमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा
62	निदेशक	लघु बचतें विभाग, हरियाणा
63	निदेशक	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग, हरियाणा
64	निदेशक	खेल एवं युवा मामले विभाग, हरियाणा
65	राज्य निर्वाचन आयुक्त	राज्य निर्वाचन आयोग, पंचकूला
66	मुख्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त, हरियाणा
67	महानिदेशक	राज्य परिवहन विभाग, हरियाणा
68	निदेशक	राज्य सतर्कता ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला
69	निदेशक	आपूर्ति एवं निपटान विभाग, हरियाणा
70	निदेशक	तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा
71	निदेशक	पर्यटन विभाग, हरियाणा
72	महानिदेशक	शहरी सम्पदा विभाग, हरियाणा
73	निदेशक	नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा
74	परिवहन आयुक्त	परिवहन विभाग, हरियाणा
75	महानिदेशक	खजाना तथा लेखा विभाग, हरियाणा।
76	निदेशक	शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा
77	निदेशक	अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा
78	निदेशक	महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा

79	राज्यपाल	स्वयं के संबंध में विभागाध्यक्ष तथा उनका निजी अमला
80	मण्डल आयुक्त	सरकारी कर्मचारियों के संबंध में विभागाध्यक्ष जिनके वेतन लघु शीर्ष आयुक्त जिला स्थापना तथा अन्य स्थापना से प्रभारित करते हैं।
81	वन संरक्षक	सभी लिपिकीय सरकारी कर्मचारियों के लिए; वन रेंजर, उप रेंजर, वनपाल, वन रक्षक तथा श्रेणी 'घ' सरकारी कर्मचारी तथा उन सर्कलों में कार्यरत अन्य कर्मचारी
82		विभागाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से नियुक्त कोई अन्य प्राधिकारी।

अनुबन्ध-2

(देखिए नियम 10)

उम्मीदवार की चिकित्सा जांच रिपोर्ट**(भाग-1)****उम्मीदवार के कथन तथा घोषणा**उम्मीदवार का
फोटो

उम्मीदवार को उसकी चिकित्सा जांच से पूर्व नीचे अपेक्षित कथन करने चाहिए तथा उससे संलग्न घोषणा हस्ताक्षर करनी चाहिए। विशेष रूप से उसका ध्यान नीचे नोट में दी गई चेतावनी के लिए आमन्त्रित किया गया हैः—

1	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) श्री / श्रीमती / कुमारी :	
2	जन्म तिथि तथा स्थान	
3	<p>(क) क्या आप कभी आन्तरियक ज्वर या किसी अन्य ज्वर, ग्रन्थि के बढ़ने या मवाद, खून के थूकने, स्वास-रोग, दिल की बीमारी, फेफड़ा रोग, गुर्दे के असफल होने, लीवर के सूत्रण रोग, चिरकालीक यकृत-शोध, बी तथा सी थैलासैमियश पागलपन, ट्यूमर तथा विभिन्न अंगों की अहितकरता, डायबिटीज मैलीट्स, ऐड्स, पार्किन्सन्स रोग, रह्यूमैटिज्म, अपैण्डीसिटीज से पीड़ित हुए थे?</p> <p>या</p> <p>(ख) किसी अन्य बीमारी या बिस्तर के लिए परिशोध करने के लिए अपेक्षित दुर्घटना तथा चिकित्सा या सर्जिकल उपचार?</p>	
4	आपको अन्तिम बार टीका कब लगा था?	
5	क्या आप या आपका कोई रिश्तेदार क्षय रोग, कठमाला, गाउट, अस्थमा, फिट्स, मिरगी, या पागलपन से पीड़ित हुआ हो/हुए हैं ?	
6	क्या आप कभी घबराहट के किसी रूप से पीड़ित हुए हैं?	
7	क्या आपको पिछले तीन वर्षों में चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा बोर्ड द्वारा जांचा गया है तथा सरकारी सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है? यदि ऐसा है तो परिणाम वर्णित करें।	

8	शीर्ष “0210—चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं—800—अन्य प्राप्तियां—[98]—चिकित्सा जांच के लिए फीस—51—एन.ए.	राशि खजाना चालान संख्या दिनांक
---	--	--

मैं, अपने सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास से घोषणा करता हूं कि उपरोक्त कथन सत्य तथा सही है।

मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान भी करता हूं कि मैंने किसी बीमारी या अन्य स्थिति के कारण अशक्तता प्रमाण-पत्र/पेंशन प्राप्त नहीं किया है/की है।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मेरे/हमारी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए

चिकित्सा अधिकारी/बोर्ड के हस्ताक्षर

टिप्पणी— उम्मीदवार को उपरोक्त कथन के सहीपन के लिए जिम्मेवार ठहराया जाएगा। किसी सूचना को जानबूझकर छुपाने के लिए, वह नियुक्त खोने का जोखिम उठाएगा तथा, यदि नियुक्त किया गया है, तो पिछली सेवा के सभी दावों को जब्त करने का जोखिम उठाएगा।

भाग—II

सरकारी सेवा के लिए उपयुक्तता का चिकित्सा प्रमाण पत्र

मैं/हम इसके द्वारा, प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी....., जो विभाग में नियोजन के उम्मीदवार है/हैं जिसके हस्ताक्षर नीचे दिए गए हैं, तथा पता नहीं लगा है कि उसे कोई बीमारी (संक्रामक या अन्यथा), स्वाभाविक कमजोरी या शारीरिक कमजोरी है, सिवाए। मैं/हम सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु उसे अयोग्य नहीं समझता/समझते तथा के कार्यालय में पद के लिए फिट घोषित करता हूं/करते हैं।

“पहचान चिन्ह”
बाएं/दाएं हाथ के अंगूठे तथा उंगलियों के निशान :

आवेदक के हस्ताक्षर

चिकित्सा अधिकारी/बोर्ड के हस्ताक्षर

अनुबन्ध-3

(दोखिए नियम 43)

राज्य सेवाओं की सूची (ग्रुप क और ख)

1. हरियाणा लेखा (ग्रुप-क) सेवा
2. हरियाणा लेखा (ग्रुप-ख) सेवा
3. हरियाणा कृषि (ग्रुप-ख) सेवा
4. हरियाणा कृषि मुख्यालय (ग्रुप-ख) सेवा
5. हरियाणा वास्तुकला विभाग लिपिक वर्गीय (ग्रुप-ख) सेवा
6. हरियाणा अभिलेखागार विभाग (ग्रुप-क) सेवा
7. हरियाणा अभिलेखागार विभाग (ग्रुप-ख) सेवा
8. हरियाणा आयुर्वेदिक (ग्रुप-ख) सेवा
9. हरियाणा सिविल चिकित्सा सेवा (ग्रुप-ख) सेवा
10. हरियाणा सिविल सेवा (ग्रुप-क) सेवा
11. हरियाणा चकबंदी विभाग (ग्रुप-ख) सेवा
12. हरियाणा डेयरिंग विकास (ग्रुप-क) सेवा
13. हरियाणा डेयरिंग विकास (ग्रुप-ख) सेवा
14. हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप-क) सेवा
15. हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप-ख) सेवा
16. हरियाणा औषध (ग्रुप-क) सेवा
17. हरियाणा औषध (ग्रुप-ख) सेवा
18. हरियाणा शिक्षा (महाविद्यालय संवर्ग) (ग्रुप-क) सेवा
19. हरियाणा शिक्षा (महाविद्यालय संवर्ग) (ग्रुप-ख) सेवा
20. हरियाणा शिक्षा विभाग (राज्य सेवा) (ग्रुप-ख) सेवा
21. हरियाणा विद्युत निरीक्षणालय (ग्रुप-क) सेवा
22. हरियाणा आबकारी तथा कराधान (ग्रुप-क) सेवा
23. हरियाणा आबकारी तथा कराधान आयुक्त (ग्रुप-ख) सेवा
24. हरियाणा वित्त विभाग खजाना (ग्रुप-ख) सेवा
25. हरियाणा वित्त खजाना तथा लेखा विभाग (ग्रुप-ख) सेवा

26. हरियाणा वित्तायुक्त कार्यालय (ग्रुप-ख) सेवा
27. हरियाणा मत्स्य विभाग (राज्य सेवा) (ग्रुप-क) सेवा
28. हरियाणा मत्स्य (ग्रुप-ख) सेवा
29. हरियाणा विधि विज्ञान विभाग (ग्रुप-ख) वैज्ञानिक अमला
30. हरियाणा विधि विज्ञान विभाग (ग्रुप-ख) सेवा
31. हरियाणा वन विभाग राज्य सेवा लिपिक-वर्गीय (ग्रुप-ख)
32. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग दन्त (ग्रुप-ख) सेवा
33. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग लिपिक-वर्गीय (ग्रुप-ख) सेवा
34. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग गैर-चिकित्सा प्रयोगशाला सेवा (ग्रुप-ख) राज्य सेवा
35. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग गैर-चिकित्सा राजपत्रित अधिकारी सांख्यिकीय (ग्रुप-क) सेवा
36. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग गैर-चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा आहार तथा आहार विज्ञान (ग्रुप-ख) सेवा
37. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग गैर-चिकित्सा राजपत्रित अधिकारी सांख्यिकीय (ग्रुप-ख) सेवा
38. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग मीडिया विस्तार (ग्रुप-ख) सेवा
39. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग गैर-चिकित्सा राजपत्रित अधिकारी परिवहन (ग्रुप-ख) सेवा
40. हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा विभाग (ग्रुप-क) सेवा
41. हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा विभाग (ग्रुप-ख) सेवा निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय सेवा
42. हरियाणा उद्योग (ग्रुप-क) सेवा
43. हरियाणा उद्योग (ग्रुप-ख) सेवा
44. हरियाणा श्रम विभाग (ग्रुप-क) सेवा
45. हरियाणा श्रम विभाग (ग्रुप-ख) सेवा
46. हरियाणा भू-अभिलेख संगठन सांख्यिकीय (ग्रुप-क) सेवा
47. हरियाणा भू-अभिलेख संगठन सांख्यिकीय (ग्रुप-ख) सेवा
48. हरियाणा विधि तथा विधायी विभाग राज्य (ग्रुप-क) सेवा
49. हरियाणा विधि तथा विधायी विभाग राज्य (ग्रुप-ख) सेवा
50. हरियाणा स्थानीय लेखापरीक्षा (ग्रुप-क) सेवा
51. हरियाणा स्थानीय लेखापरीक्षा (ग्रुप-ख) सेवा
52. हरियाणा खान तथा भू-विज्ञान (ग्रुप-क) सेवा

53. हरियाणा खान तथा भू-विज्ञान (ग्रुप-ख) सेवा
54. हरियाणा पुलिस लिपिकीय राज्य सेवा (ग्रुप-ख)
55. हरियाणा जेल सेवा (ग्रुप-क)
56. हरियाणा लोक सम्पर्क विभाग (ग्रुप-क) सेवा
57. हरियाणा लोक सेवा आयोग (ग्रुप-क) सेवा
58. हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़के शाखा) मुख्यालय कार्यालय लिपिकवर्गीय (ग्रुप-ख) सेवा
59. हरियाणा लोक निर्माण विभाग (सिंचाई विभाग) उप कलक्टर (ग्रुप-ख) सेवा
60. हरियाणा लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य शाखा) मुख्यालय कार्यालय (ग्रुप-ख) सेवा
61. हरियाणा राजस्व (ग्रुप-ख) सेवा
62. हरियाणा राजस्व विभाग मण्डलीय अधीनस्थ (ग्रुप-ख) सेवा
63. हरियाणा सचिवालय सेवा
64. हरियाणा वास्तुकार सेवा (ग्रुप-क)
65. हरियाणा वास्तुकार सेवा (ग्रुप-ख)
66. हरियाणा अभियन्ता सेवा (बागवानी) ग्रुप क, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा)
67. हरियाणा अभियन्ता सेवा (बागवानी) लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा) (ग्रुप-ख) सेवा
68. हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप-ख लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा)
69. हरियाणा सामाजिक रक्षा तथा सुरक्षा विभाग (ग्रुप-क) राज्य सेवा
70. हरियाणा राज्य सहकारी (ग्रुप-क) सेवा
71. हरियाणा राज्य सहकारी (ग्रुप-ख) सेवा
72. हरियाणा राज्य शिक्षा (ग्रुप-क) सेवा
73. हरियाणा आपूर्ति तथा निपटान निदेशालय (ग्रुप-ख) सेवा
74. हरियाणा तकनीक शिक्षा विभाग (ग्रुप-क) सेवा
75. हरियाणा तकनीक शिक्षा विभाग (ग्रुप-ख) सेवा
76. हरियाणा परिवहन विभाग (ग्रुप-क) सेवा
77. हरियाणा परिवहन विभाग (ग्रुप-ख) सेवा
78. हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय (ग्रुप-क) सेवा
79. हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय (ग्रुप-ख) सेवा

80. हरियाणा विधान सभा सचिवालय सेवा
81. हरियाणा अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (ग्रुप-ख) सेवा
82. हरियाणा महिला तथा बाल विकास विभाग (ग्रुप-क) सेवा

अनुबन्ध-4

(देखिए नियम 46)

सेवा पुस्तिका का प्रारूप**प्रारूप भाग-।****जीवन-वृत्त**

उम्मीदवार का
फोटो
(कार्यालयाध्यक्ष
द्वारा साक्षांकित
किया जाए)

श्री/ श्रीमती/ कुमारी की सेवा पुस्तिका

1	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) श्री/ श्रीमती/ कुमारी	
2	पिता का नाम (बड़े अक्षरों में)	
3	माता का नाम (बड़े अक्षरों में)	
4	पति का नाम (बड़े अक्षरों में)	
5	राष्ट्रीयता	
6	क्या सदस्य अनुसूचित जाति/ जनजाति का है?	
7	जन्म तिथि (शब्दों तथा अंकों दोनों में)	
8	शैक्षणिक योग्यताएं	
	(क) प्रथम नियुक्ति के समय पर	
	(ख) बाद में अर्जित	
9	व्यावसायिक तथा तकनीकी योग्यताएं जो उपरोक्त 8 में नहीं आती।	
10	माप के हिसाब से सही ऊंचाई (जूतों के बिना)	
11	आधार कार्ड न0 या पहचान का निजी चिन्ह	
12	स्थायी गृह पता व मोबाइल फोन नम्बर	
13	बाएं/ दाएं हाथ का अंगूठा निशान	
14	सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर (तिथि सहित)	
15	साक्षांकित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम (तिथि सहित)	

टिप्पणी— फोटो सरकारी कर्मचारी की सेवा के 10 वर्ष के बाद नवीकृत करना चाहिए।

(अनुबन्ध-4 लगातार)

प्ररूप भाग—II

प्रमाण पत्र, घोषणा तथा नामांकन

क्रम संख्या	विषय	प्रमाण पत्र	प्रमाणकर्ता सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम
1	2	3	4
1	चिकित्सा जांच का प्रमाण पत्र	कर्मचारी को दिनांक को द्वारा चिकित्सा रूप से जांचा गया था तथा फिट पाया गया था। चिकित्सा जांच का प्रमाण पत्र सेवा पुस्तिका जिल्ड-II की क्रम संख्या द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है।	
2	चरित्र तथा पूर्ववृत्त	उसका चरित्र तथा पूर्ववृत्त सत्यापित किया गया है तथा सत्यापन रिपोर्ट सेवा पुस्तिका जिल्ड-II की क्रम संख्या द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई है।	
3	संविधान के प्रति निष्ठा	उसने संविधान के प्रति निष्ठा/प्रतिज्ञान की शपथ सेवा पुस्तिका जिल्ड-II की क्रम संख्या द्वारा ले ली गई है।	
4	गोपनीयता की शपथ	उसने शासकीय गुप्त बात अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियम, 2016 को पढ़ लिया है तथा गोपनीयता की शपथ सेवा पुस्तिका जिल्ड-II की क्रम संख्या द्वारा भी ले ली गई है।	
5	वैवाहिक स्थिति	उसने अपने द्विविवाही संविदा न होने के बारे में घोषणा प्रस्तुत की है। सम्बन्धित घोषणा सेवा पुस्तिका जिल्ड-II की क्रम संख्या पर फाइल की गई है।	
6	स्व नगर की घोषणा	उसने स्व नगर की घोषणा प्रस्तुत की है जिसे स्वीकृत किया गया है तथा सेवा	

		पुस्तिका जिल्द-II की क्रम संख्या पर फाइल की गई है।	
7	प्ररूप भाग-I में प्रविष्टियों का सत्यापन	भाग—I की जीवनवृत्त की क्रम संख्या 5 से 8 के सामने प्रविष्टियों का सहीपन बारे मूल प्रमाणपत्रों से सत्यापित किया गया है, जिन्हें सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए वैध दस्तावेजी सबूत के रूप में माना गया है। इन प्रमाणपत्रों की साक्षांकित प्रतियां सेवा पुस्तिका जिल्द-II की क्रम संख्याफाइल की गई है।	
8	विवाह में दहेज	उसने अपने विवाह में किसी प्रकार के दहेज न मांगने/न देने/न लेने के बारे घोषणा प्रस्तुत की है।	
9	परिवार के सदस्यों का ब्यौरा	उसने विहित प्ररूप में अपने परिवार के सदस्यों का ब्यौरा उपलब्ध करवा दिया है।	
10	(क) सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या या स्थाई सेवानिवृत्ति खाता संख्या	सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या/स्थाई सेवा निवृत्ति खाता संख्या उसने सामान्य भविष्य निधि/परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम सूचना के अन्तिम भुगतान के लिए नामांकन तथा निम्नलिखित सम्बन्धित सूचनाएं दायर कर दी हैं जो उसके सामने दर्शाई गई तिथियों को प्रधान महालेखाकार को भेज दिए गए हैं, जिन्हें सेवा पुस्तिका जिल्द-II में उनके सामने दर्शाई गई क्रम संख्याओं द्वारा फाईल कर दिया गया है। 1. 2. 3.	
11	अवकाश नकदीकरण तथा	उसने अवकाश नकदीकरण तथा अन्य देयों, यदि कोई हों, के लिए नामांकन	

	कोई अन्य देय, यदि कोई हो, के लिए नामांकन	दायर कर दिया है, जिसे सेवा पुस्तिका जिल्द—॥ के सामने दर्शाई गई क्रम संख्याओं द्वारा फाईल कर दिया गया है 1. 2.	
12	(क)ग्रुप बीमा स्कीम खाता संख्या (ख)ग्रुप बीमा स्कीम के लिए नामांकन	उसने ग्रुप बीमा स्कीम के लिए नामांकन दायर कर दिया है, तथा निम्नलिखित सम्बन्धित सूचनाओं को सेवा पुस्तिका जिल्द—॥ की क्रम संख्या पर दायर किया गया है। 1. 2.	
13	मृत्यु—एवं—सेवा निवृत्ति उपदान के लिए नामांकन	उसने मृत्यु एवं सेवानिवृत्त उपदान के लिए नामांकन दायर कर दिया है तथा निम्नलिखित सम्बन्धित सूचनाओं को सेवा पुस्तिका जिल्द—॥ मे उनके सामने दर्शाई गई क्रम संख्याओं द्वारा फाईल कर दिया गया है। 1. 2. 3.	
14	वेतनमानों के पुनरीक्षण या पदोन्नति पर वेतन के नियतन के लिए विकल्प	इसे सेवा पुस्तिका में चिपका दिया जाएगा।	
15	विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, पास करना		

(अनुबन्ध-4 लगातार)

प्रस्तुप भाग—III (क)

पूर्व अर्हक सेवा

(अनुबन्ध—4 लगातार)

प्रस्तुप भाग—III (ख)

विदेश सेवा के ब्यौरे

(अनुबन्ध-4 लगातार)

प्रस्तुति भाग-IV

सेवा के वृतान्त

क्रम संख्या	से	तक	धारित पद	कार्यालय (स्थेशन सहित)	वितन स्तर या वेतनमान तथा वेतन} ¹	खाना 2-6 को प्रभावित करने वाले विषय अर्थात् स्थानान्तरण/ पदोन्नति/ प्रत्यावर्तन
1	2	3	4	5	6	7

साक्षण्यकित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम (तिथि सहित)	कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा पदनाम (तिथि सहित)	सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर	टिप्पणी
8	9	10	11

¹

अधिसूचना संख्या : 2/12/2017-4 एफ.आर., दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।

(अनुबन्ध—4 लगातार)

प्रस्तुप भाग-V

सेवा का सत्यापन

(अनुबन्ध-4 लगातार)

प्रस्तुति भाग—VI

पारिवारिक सदस्यों के ब्यौरे

उसके द्वारा दिए गए पारिवारिक सदस्यों के ब्यौरे सेवा पुस्तिका जिल्द-II में फाइल किए गए है :-

क्रम संख्या	नाम	जन्म तिथि/आयु	सम्बन्ध	आधार कार्ड नम्बर	व्यवसाय	टिप्पणी
1						
2						
3						
4						
5						
6						

टिप्पणी— जब कभी परिवार में कोई परिवर्तन हो, तो सरकारी कर्मचारी द्वारा सूचित किया जाएगा तथा आवश्यक प्रविष्टियां सेवा पुस्तिका में की जाएंगी।

(अनुबन्ध-4 लगातार)

प्रस्तुप भाग-VII

अवकाश यात्रा रियायत का लेखा

(अनुबन्ध-4 लगातार)

भाग—VIII (क)

		प्रथम गृह निर्माण अग्रिम	द्वितीय गृह निर्माण अग्रिम
1	स्वीकृत ऋण/अग्रिम की राशि (रुपये)		
2	क्या प्रथम या द्वितीय है		
3	ऋण का प्रयोजन (प्लाट/निर्मित मकान खरीदने/निर्माण/मरम्मत/विस्तार)		
4	प्रथम/द्वितीय/तृतीय किस्त के स्वीकृति आदेश की संख्या तथा तिथि		
5	किस्तों की संख्या जिसमें मूल राशि वसूलीयोग्य है।		
6	प्रथम/द्वितीय/तृतीय किस्त की वसूली के रूप में मासिक किस्त		
7	प्रथम किस्त जारी करने की खजाना वाऊचर संख्या तथा तिथि		
8	द्वितीय किस्त जारी करने की खजाना वाऊचर संख्या तथा तिथि		
9	तृतीय किस्त जारी करने की खजाना वाऊचर संख्या तथा तिथि		
10	मास जिसमें अग्रिम की प्रथम किस्त की वसूली शुरू हुई है।		
11	मास जिसमें अग्रिम की अन्तिम किस्त वसूल की जानी है।		
12	लागू ब्याज की दर		
13	किस्तों की संख्या जिसमें ब्याज राशि वसूल की जानी है।		
14	ऋण की वार्षिक स्थिति :-		

(अनुबन्ध-4 लगातार)

प्रस्तुप भाग—VIII (ख)

विस्तार या मरम्मत के लिए ग्रह निर्माण अग्रिम

(अनुबन्ध-4 लगातार)

प्रसूप भाग—VIII (ग)

मोटर कार ऋण (प्रथम)

1	स्वीकृत ऋण की राशि (रुपये)	
2	स्वीकृति आदेश संख्या तथा तिथि	
3	किस्तों की संख्या जिसमें मूल राशि वसूली योग्य है।	
4	वसूल की जाने वाली मासिक किस्तों की राशि	
5	कार ऋण को जारी करने की खजाना वाऊचर संख्या तथा तिथि	
6	मास जिसमें अग्रिम की प्रथम किस्त की वसूली शुरू हुई।	
7	मास जिसमें अग्रिम की अन्तिम किस्त वसूल योग्य की है।	
8	लागू ब्याज की दर	
9	किस्तों की संख्या जिसमें ब्याज राशि वसूल की जानी है।	
10	ऋण की वार्षिक स्थिति :-	

(अनुबन्ध—4 लगातार)

प्रस्तुप भाग—VIII (घ)

मोटर साईकिल या स्कूटर ऋण

1	स्वीकृत ऋण की राशि (रुपये)	
2	ऋण का प्रयोजन (मोटर साईकिल / स्कूटर / मोपेड)	
3	स्वीकृति आदेश संख्या तथा तिथि	
4	किस्तों की संख्या जिसमें मूल राशि वसूली योग्य हैं।	
5	वसूल की जाने वाली मासिक किस्तों की राशि	
6	ऋण को जारी करने की खजाना वाऊचर संख्या तथा तिथि	
7	मास जिसमें अग्रिम की प्रथम किस्त की वसूली शुरू हुई।	
8	मास जिसमें अग्रिम की अन्तिम किस्त वसूल की जानी है।	
9	लागू ब्याज की दर	
10	किस्तों की संख्या जिसमें ब्याज राशि वसूल की जानी है।	
11	ऋण की वार्षिक स्थिति :-	

(अनुबन्ध-4 लगातार)

प्रस्तुप भाग—VIII (ड.)

कम्प्यूटर / लैपटोप अग्रिम

(अनुबन्ध—4 लगातार)

प्रस्तुप भाग—VIII (च)

विवाह ऋण

(अनुबन्ध-4 लगातार)

प्ररूप भाग—IX

आन्तरिक लेखापरीक्षा की टिप्पणी

(अनुबन्ध-4 लगातार)

सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियों के लिए हिदायतें

1. जीवनवृत के बारे में प्ररूप भाग—I में प्रविष्टियां—

- (1) सरकारी कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति के समय पर उसके जीवन—वृत्त सम्बन्धी प्रविष्टियां प्ररूप भाग—I में की जाएंगी तथा वे कार्यालयाध्यक्ष या इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा साक्षांकित की जाएंगी। इस भाग में परिवर्तन तथा परिवर्तन भी उसी प्रकार कार्यालयाध्यक्ष या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा साक्षांकित किया जाएगा।
- (2) सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर या बाएं/दाएं हाथ के अंगूठे का निशान कार्यालयाध्यक्ष या प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में प्राप्त किया जाएगा।

2. प्रमाण—पत्रों तथा साक्षांकनों बारे में प्ररूप भाग—II में प्रविष्टियां—

- (1) प्ररूप भाग—II के प्रथम आठ प्रमाण—पत्रों/दस्तावेजों की प्रविष्टियां सरकारी कर्मचारी की प्रारम्भिक नियुक्ति के समय तथा बाकी चार की समुचित स्तरों पर इस प्ररूप में अभिलिखित की जाएंगी। विशेषतया गोपनीय शपथ सम्बन्धी मद 4 प्रमाणित करने से पूर्व, कार्यालयाध्यक्ष सुनिश्चित करेगा कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 तथा हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 की प्रत्येक की प्रति सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी को उनकी विषय—वस्तु को औपचारिक रूप में नोट करने हेतु उपलब्ध करवा दी गई है।
- (2) ये सभी प्रमाण—पत्र/दस्तावेज सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे तथा सेवा पुस्तिका की पृथक् फाइल शीर्षक जिल्द—II में रखे जाएंगे तथा सेवा पुस्तिका में संलग्न नहीं किए जाएंगे।
- (3) नामांकनों की तथा नोटिसों जैसे सामान्य भविष्य निधि, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान तथा/या परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम के अनुज्ञेय लाभांशों, अवकाश नकदी तथा किन्हीं अन्य देय लाभ हेतु नामांकनों में परिवर्तनों सम्बन्धित प्रविष्टियां इस प्ररूप में की जाएंगी।
- (4) वेतनमानों के पुनरीक्षण, पदोन्नति, सुनिश्चित जीविका प्रगति प्रदान करने के समय पर प्रयोग किए गए विकल्प की प्रविष्टियां भी इस प्ररूप में की जाएंगी।

3. पूर्व अर्हक सेवा के बारे में प्ररूप भाग—III (क) में प्रविष्टियां—

प्ररूप भाग—III (क) में प्रविष्टियां केवल तभी भरी जाएंगी जहां पिछली सेवा, यदि कोई हो, की सामान्तर साक्ष्य के आधार पर प्रविष्ट की जानी है, के सम्बन्ध में कोई

भी सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं हैं। प्रयोजन जिसके लिए पूर्व सेवा “अर्हक” के रूप में स्वीकार की गई है अर्थात् अवकाश वेतन, पेंशन इत्यादि भी विनिर्दिष्ट की जाएंगी। ये प्रविष्टियां कार्यालयाध्यक्ष या इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा साक्षात्कृत की जाएंगी।

विदेश सेवा के बारे में प्ररूप भाग—III (ख) में प्रविष्टियां—

प्ररूप भाग—III (ख) के खाना 1, 3 तथा 4 विदेश सेवा में ड्यूटी हेतु रिपोर्ट करने पर वाले सरकारी कर्मचारी के बारे में विदेशी नियोक्ता से सूचना की प्राप्ति के बाद भरे जाएंगे। खाना 2 विदेश सेवा से प्रत्यावर्तन के बाद भरा जाएगा। खाना 4 में प्रविष्टि संक्षिप्त में जो भी उचित हो भरी जायेगी।

4. सेवा वृतान्त के बारे में प्ररूप भाग—IV में प्रविष्टियां—

- (1) प्ररूप भाग—IV में प्रविष्टियां प्रारम्भिक नियुक्ति के समय पर तथा उसके बाद, पद, कार्यालय, स्थान, वेतन ढांचा या नियुक्ति के स्वरूप में परिवर्तन वाले विषयों की उपस्थिति पर की जाएंगी। ऐसे विषयों में नियुक्ति, पदोन्नति, प्रत्यावर्तन, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण (विदेश सेवा पर स्थानान्तरण सहित) वेतनवृद्धि, अवकाश तथा निलम्बन शामिल होगा।
- (2) निलम्बन की अवधि, असाधारण अवकाश की अवधि, चिकित्सा सहित या के बिना, जानबूझकर अनुपस्थिति की अवधि, सेवा में रोक की कोई अवधि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई दण्ड, सेवा में पुष्टि की तिथि, सेवा से त्यागपत्र, सेवा में से समाप्ति, सेवा से सेवानिवृत्ति तथा सेवा के दौरान गायब होने या मृत्यु की तिथि सम्बन्धी प्रविष्टियां लाल स्याही से की जाएंगी।
- (3) द्वितीय तथा पश्चात्वर्ती प्रविष्टियों के संबंध में खाना 4–6 को भरे जाने की आवश्यकता केवल तभी होगी यदि वेतन, वेतन ढांचा, कार्यालय या स्थान में कोई परिवर्तन है।
- (4) {खाना 6 पृथक् रूप से वेतन के विभिन्न घटकों को दर्शायेगा अर्थात् ‘वृत्तिमूलक/सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर में वेतन 85,100 रुपये + महंगाई वेतन + विशेष वेतन 200 रुपये + वैयक्तिक वेतन 200 रुपये “ | }¹
- (5) पदोन्नति/प्रत्यावर्तन/सुनिश्चित जीविका प्रगति प्रदान करने/स्थानान्तरण इत्यादि जो खाना 2 से 6 को प्रभावित करती है, से संबंधी प्रविष्टियों खाना 7 से सम्बन्धित है।

¹

अधिसूचना संख्या : 2/12/2017-4 एफ.आर., दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।

- (6) खाना 11 में की गई किसी प्रविष्टि को साक्षांकित करने से पूर्व, साक्षांकित अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि प्रविष्टियों तथा साक्षांकित अधिकारी के हस्ताक्षरों/रबड़ मोहर के बीच के अन्तराल अव्याखित नहीं हैं।
- (7) खाना 2–6 को प्रभावित न करने वाला कोई विषय, खाना 11 में संक्षिप्त रूप से नोट किया जायेगा।
- 5. सेवा के वृत्तान्त के रिकार्ड के बारे में प्ररूप भाग–V में प्रविष्टियां.–**
- प्ररूप भाग–V में प्रविष्टियां वेतन बिल से सम्यक् सत्यापन के बाद प्रसांगगिक अवधि हेतु की जाएंगी। कार्यालयाध्यक्ष का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि उसके कार्यालय में कार्यरत सरकारी कर्मचारी के स्थानांतरण की दशा में, सुसंगत खानों के नीचे सभी विवरण सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी के नए कार्यालय को सेवा पुस्तिका प्रेषित करने के पूर्व सम्यक् रूप से पूरे हैं। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि सेवा पुस्तिका की जिल्द–II के सभी प्रमाण–पत्र/दस्तावेजों को सम्यक् देखभाल सहित सौंपा/प्रेषित किया गया है।
- 6. पारिवारिक सदस्यों के ब्यौरे के बारे में प्ररूप भाग–VI.–**
- सरकारी सेवा में प्रवेश के समय प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अपने पारिवारिक सदस्यों के विवरण सूचित करेगा तथा इस संबंध में प्रविष्टियां कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्ररूप भाग–VI में की जाएंगी। जब कभी परिवार में कोई परिवर्तन होता है, तो यह उस द्वारा सूचित किया जाएगा तथा आवश्यक प्रविष्टियां उसकी सेवा पुस्तिका में भी की जाएंगी।
- 7. अवकाश यात्रा रियायत के लेखे के बारे में प्ररूप भाग–VII.–**
- जब कभी स्वनगर या भारत में कहीं अवकाश यात्रा रियायत स्वीकृत की गई है तथा वास्तव में सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई है, तो इस संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्ररूप–VI में की जाएंगी।
- 8. ऋणों तथा अग्रिमों के बारे में प्ररूप भाग–VIII.–**
- इन प्ररूपों में आवश्यक प्रविष्टियां, जब कभी ऋण/अग्रिम स्वीकृत किया जाता है तथा सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है तथा उसके बाद प्रत्येक वित्त वर्ष के आधार पर, की जाएंगी। ब्याज तथा शास्ति ब्याज, यदि कोई हो, की राशि की गणना करते समय सम्यक ध्यान देना चाहिए।
- 9. आन्तरिक लेखापरीक्षा की समीक्षा का प्ररूप भाग–IX.–**
- जब कभी सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका आन्तरिक लेखापरीक्षा पक्षकार द्वारा जांची जाती है, तो आवश्यक प्रविष्टि टिप्पणियों सहित इस प्ररूप में उन द्वारा की जाएगी।

अनुबन्ध—5

(देखिए नियम 46)

प्रकृप-1

अर्जित अवकाश लेखे का प्ररूप

(अनुबन्ध—5 लगातार)

प्रस्तुप-2

(देखिए नियम 46)

अर्ध वेतन अवकाश लेखे का प्रस्तुत

निजी कार्यों तथा चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अर्धवेतन अवकाश

(अनुबन्ध—5 लगातार)

प्रकृष्टप-3

(देखिए नियम 46)

मातृत्व / पितृत्व अवकाश तथा बालक दत्तकग्रहण अवकाश लेखे का प्रस्तुप

नाम तथा पदनाम

कार्यग्रहण की तिथि

	अवधि			
क्रम संख्या	से	तक	दिनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

प्रस्तुप-4

(देखिए नियम 46)

बालक देखभाल अवकाश लेखे का प्ररूप

नाम तथा पदनाम

कार्यग्रहण की तिथि

(अनुबन्ध—5 लगातार)

प्रकल्प-5

(देखिए नियम 46)

असाधारण अवकाश या किसी अन्य प्रकार के अवकाश के लेखे का प्ररूप

नाम तथा पदनाम

कार्यग्रहण की तिथि
.....

अनुबन्ध-6

(देखिए नियम 105)

प्ररूप नम्बर-1

विदेश में प्रशिक्षण के लिए अग्रसर होने वाले स्थाई सरकारी कर्मचारी के लिए बन्ध-पत्र का प्ररूप

इस विलेख द्वारा सब लोगों को ज्ञात हो कि मैं

सुपुत्र श्री निवासी वर्तमान में

..... विभाग / कार्यालय में

..... कार्यरत हूँ इसके द्वारा स्वयं तथा मेरे वारिस, निष्पादक तथा

प्रशासक सरकारी ऋणों पर तत्समय लागू दरों पर, या यदि भारत में अन्यथा विदेश में भुगतान

किया जाना है, तो उस देश तथा भारत के बीच विनिमय सरकारी दर पर परिवर्तित उस देश की

मुद्रा में उक्त राशि के समकक्ष मांग की तिथि से व्याज सहित सरकार / विदेशी सहायता स्कीम के

अधीन लागत पर पर में दिनांक से

..... तक की अवधि के लिए (प्रशिक्षण की प्रकृति के बौरे) से संबंधित

प्रशिक्षण पर मुझे रखने के कारण रूपये (.....

..... रूपये) की धन राशि की माँग पर राज्यपाल, हरियाणा (जिसे इसमें,

इसके बाद, 'सरकार' कहा गया है) को भुगतान करने के लिए बाध्य हूँगा / होगें।

यह दो हजार के
दिन को किया गया।

चूंकि, उपरोक्त बाध्यताकारी को सरकार द्वारा विदेश में
प्रशिक्षण पर रखा है।

अब उपरोक्त लिखित बाध्यताओं की शर्त ऐसी है कि उपरोक्त बन्धन की घटना में

..... की प्रशिक्षण की अवधि की समाप्ति या समापन के बाद ड्यूटी पर वापस आए
बिना सेवा से त्यागपत्र देने या सेवानिवृत्त होने या ड्यूटी पर उसकी वापसी के बाद

..... वर्ष की अवधि में किसी समय पर या विहित अवधि के दौरान किसी प्रकार के
कदाचार के लिए सेवा से उसके हटाए जाने या पदच्युति की दशा में, वह सरकारी ऋणों पर

तत्समय लागू सरकारी दरों पर मांग की तिथि से उस पर ब्याज सहित यथा पूर्वोक्त विदेशी
प्रशिक्षण पर उसके रखे जाने के कारण रूपये (केवल

..... रूपये) की धन राशि की माँग करने पर सरकार को तुरन्त वापस करेगा।

और उपरोक्त लिखित बाध्यताओं की ऐसी वापसी करने से उपरोक्त बाध्यता शून्य हो जाएगी तथा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, अन्यथा, यह पूर्ण बल तथा योग्यता में होगी तथा रहेगी।

उसकी गवाही में इन विलेखों को हरियाणा के राज्यपाल की ओर से विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तथा इसके अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।

उपरोक्त बाध्यताकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा वितरित

गवाहों की उपस्थिति में :-

1.
 2.

हरियाणा के राज्यपाल के लिए तथा की ओर से (अधिकारी का पदनाम)

* * * * *

अनुबन्ध-7

(देखिए नियम 105)

प्ररूप नम्बर-2**विदेशी प्रशिक्षण के लिए अग्रसर होने वाले अस्थाई सरकारी कर्मचारियों के लिए बन्ध-पत्र**

इस विलेख द्वारा सब लोगों को ज्ञात हो कि हम (1)
 सुपुत्र श्री निवासी वर्तमान में
 रूप में विभाग/कार्यालय में
 कार्यरत (जिसे, इसमें, इसके बाद, "बाध्यताकारी"
 कहा गया है) तथा (2) श्री सुपुत्र श्री
 निवासी वर्तमान में के रूप में
 विभाग/कार्यालय में कार्यरत (इस निमित्त जमानती),
 इसके द्वारा संयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से अपने आपको तथा हमारे सम्बन्धित वारिस,
 निष्पादक तथा प्रशासक सरकारी ऋणों पर तत्समय लागू दरों पर या, यदि भारत से अन्यथा
 विदेश में भुगतान किया जाना है, तो उस देश तथा भारत के बीच विनिमय सरकारी दर पर
 परिवर्तित उस देश की मुद्रा में उक्त राशि के समकक्ष मांग की तिथि से ब्याज सहित सरकार/
 विदेशी सहायता स्कीम के अधीन लागत पर में दिनांक
 से तक की अवधि के लिए (प्रशिक्षण की प्रकृति के
 बौरे) से सम्बद्धित प्रशिक्षण पर हमें रखनें के कारण रूपये (.....
 रूपये) की धनराशि मी मांग पर राज्यपाल, हरियाणा (जिसे,
 इसमें, इसके बाद 'सरकार' कहा गया है) को भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे।

यह दो हजार के
 दिन को किया गया।

चूंकि उपरोक्त बाध्यताकारी सरकार द्वारा विदेश में प्रशिक्षण
 पर रखा गया है।

अब उपरोक्त लिखित बाध्यताओं की शर्त ऐसी है कि उपरोक्त बन्धन की घटना में
 की प्रशिक्षण की अवधि की समाप्ति या समापन के बाद ड्यूटी
 पर वापस आए बिना सेवा से त्यागपत्र देने या सेवानिवृत्त होने या ड्यूटी से उसकी वापसी के
 बाद, वर्ष की अवधि में किसी समय पर या विहित अवधि के दौरान किसी प्रकार के कदाचार के
 लिए सेवा से उसके हटाए जाने या पदच्युति की दशा में, सरकारी ऋणों पर तत्समय लागू

सरकारी दरों पर मांग की तिथि से उस पर ब्याज सहित यथा पूर्वोक्त वे विदेशी प्रशिक्षण पर उसके रखे जाने के कारण रूपये (केवल
..... रूपये) की धन राशि मांग करने पर सरकार को तुरन्त वापस करेगा।

और उपरोक्त लिखित बाध्यताओं के बाध्यताकारी श्री
या/एवं उपरोक्त जमानती के वापसी करने से उपरोक्त बाध्यकारी शून्य हो जाएगा तथा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, अन्यथा, यह पूर्ण बल तथा योग्यता में होंगी तथा रहेगी।

परन्तु सदा इसके अधीन जमानती का दायित्व सरकार या उन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति (चाहे जमानती की सहमति या जानकारी सहित या के बिना) को दिए जा रहे समय के कारण से या किसी स्थगन, कार्य या चूक द्वारा कम या मुक्त नहीं होगी तथा न ही इसके अधीन देय राशि के लिए उपरोक्त बाध्यताकारी जमानती या उनमें से किसी के विरुद्ध मुकदमा चलाने से पूर्व उक्त बाध्यताकारी पर मुकदमा चलाना सरकार के लिए आवश्यक होगा।

उसकी गवाही में, इन विलेखों को हरियाणा के राज्यपाल की ओर से विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तथा उसके अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।

उपरोक्त बाध्यताकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा वितरित

गवाहों की उपस्थिति में :-

1.
2.

उपरोक्त जमानती नाम (जमानती का नाम) द्वारा हस्ताक्षरित तथा वितरित

गवाहों की उपस्थिति में :-

1.
2.

.....
हरियाणा के राज्यपाल के लिए तथा की ओर से
(अधिकारी का पदनाम)

अनुबन्ध—8

(नियम 106 में निर्दिष्ट)

प्ररूप नम्बर—3**स्थाई सरकारी कर्मचारियों के लिए विदेशी प्रशिक्षण के लिए दिए गए विस्तार हेतु अनुपूरक
बन्ध—पत्र का प्ररूप**

इस विलेख द्वारा सब लोगों को ज्ञात हो कि मैं
 सुपुत्र श्री निवासी वर्तमान में
 विभाग/कार्यालय में
 कार्यरत हूँ इसके द्वारा, स्वयं तथा मेरे वारिस, निष्पादक, तथा प्रशासक, सरकारी
 ऋणों पर तत्समय लागू सरकारी दरों पर, या यदि भुगतान भारत से अन्यथा किसी देश में किया
 जाना है, तो उस देश तथा भारत के बीच विनियम की सरकारी दर पर परिवर्तित उस देश की
 मुद्रा में उक्तधन राशि के समकक्ष मांग की तिथि से ब्याज सहित रुपये
 (..... रुपए) की धनराशि की मांग पर राज्यपाल,
 हरियाण (जिसे, इसमें, इसके बाद, 'सरकार' कहा गया है) को भुगतान करने के लिए बाध्य
 हुँगा/होंगे। .

यह दो हजार के
 दिन को किया गया।

चूंकि उपरोक्त बाध्यताकारी को दिनांक
 से तक की अवधि के लिए विदेशी प्रशिक्षण पर रखा गया था जिसने
 प्रतिफल में एक बन्ध—पत्र दिनांक को
 रुपये के लिए हरियाणा के राज्यपाल के पक्ष में उस द्वारा निष्पादित किया गया था;

और चूंकि उपरोक्त बाध्यताकारी को ब्याज सहित सरकार की लागत
 पर/विदेशी सहायता स्कीम के अधीन दिनांक से तक
 में (शहर तथा देश का नाम) विदेशी प्रशिक्षण के विस्तार पर रखा गया है।

और चूंकि सरकार के बेहतर संरक्षण के लिए, उपरोक्त बाध्यताकारी ऐसी शर्तों के साथ
 जो इसके नीचे लिखित अभिरुचि के रूप में), यह अनुपूरक बन्धपत्र निष्पादित करने के लिए
 सहमत हो गया है।

अब उपरोक्त लिखित बाध्यताओं की शर्त यह है कि यदि उपरोक्त बन्धन की घटना मेंइस प्रकार विस्तारित प्रशिक्षण की अवधि की समाप्ति या समापन के बाद ड्यूटी पर वापस आए बिना या ड्यूटी पर उसके वापस आने के बादवर्ष की अवधि में किसी समय पर सेवा से त्यागपत्र देने या सेवानिवृत्त होने पर या विहित अवधि के दौरान किसी प्रकार के कदाचार के लिए सेवा से उसके हटाए जाने या पदच्युति की दशा में, सरकारी ऋण पर तत्समय लागू सरकारी दरों पर मांग की तिथि से उस पर ब्याज सहित रुपये(रुपये) की धन राशि मांग करने पर सरकार को तुरन्त वापस करेगा।

और उपरोक्त लिखित बाध्यताओं की वापसी करने से उपरोक्त बाध्यता शून्य हो जाएगी तथा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, अन्यथा, वह पूर्ण बल तथा योग्यता में होंगी या रहेगी।

उसकी गवाही में, इन विलेखों को हरियाणा के राज्यपाल की ओर से विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तथा उसके अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।

उपरोक्त बाध्यताकारी (बाध्यताकारों का नाम) द्वारा हस्ताक्षरित तथा वितरित

गवाहों की उपस्थिति में :—

1.

2.

.....
हरियाणा के राज्यपाल के लिए तथा की ओर से
(अधिकारी का पदनाम)

अनुबन्ध—9

(देखिए नियम 106)

प्ररूप नम्बर—4

स्थाई सरकारी कर्मचारी को प्रशिक्षण पर प्रतिनियुक्ति के दिए गए विस्तार के लिए अनुपूरक
बन्ध—पत्र का प्ररूप

इस विलेख द्वारा सब लोगों को ज्ञात हो कि हम सुपुत्र
 श्री निवासी वर्तमान
 में विभाग / कार्यालय में
 कार्यरत है (जिसे, इसमें, इसके बाद 'बाध्यताकारी' कहा
 गया है) तथा (2) श्री सुपुत्र श्री
 निवासी वर्तमान में.....

.....विभाग / कार्यालय में कार्यरत हूँ (इस निमित्त
 जमानती), अपने आपको तथा हमारे संबंधित वारिस, निष्पादक, तथा प्रशासक सरकारी ऋणों पर
 तत्समय लागू सरकारी दरों पर या, यदि भुगतान भारत से अन्यथा किसी देश में किया गया है,
 तो उस देश तथा भारत के बीच विनिमय की सरकारी दर पर परिवर्तित उस देश की मुद्रा में
 उक्त धन राशि ने समकक्ष मांग की तिथि से ब्याज सहित रुपये (रुपये) की
 धनराशि की मांग पर राज्यपाल, हरियाणा (जिसे, इसमें, इसके बाद 'सरकार' कहा गया है) को
 भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे।

यह दो हजार के
 दिन को किया गया।

चूंकि उपरोक्त बाध्यताकारी को दिनांक
 से तक की अवधि के लिए विदेशी प्रशिक्षण पर रखा गया था जिसने प्रतिफल में
 एक बन्ध—पत्र दिनांक को रुपये के
 लिए हरियाणा के राज्यपाल के पक्ष में उस द्वारा निष्पादित किया गया था;

और चूंकि उपरोक्त बाध्यताकारी को ब्याज सहित सरकार की लागत
 पर / विदेशी सहायता स्कीम के अधीन दिनांक से तक
 में (शहर तथा देश का नाम) विदेशी प्रशिक्षण के विस्तार पर रखा गया है;

और, चूंकि सरकार के बेहतर संरक्षण के लिए, उपरोक्त बाध्यताकारी ऐसी शर्तों के साथ
 जो इसके नीचे लिखित अभिरुचि के रूप में है, यह अनुपूरक बन्धपत्र निष्पादित करने के लिए
 सहमत हो गया है।

अब उपरोक्त लिखित बाध्यताओं की शर्त यह है कि उपरोक्त बन्धन की घटना में
 इस प्रकार विस्तारित प्रशिक्षण की अवधि की समाप्ति या समापन के बाद

ड्यूटी पर वापस आए बिना या ड्यूटी पर उसके वापस आने के बाद
. वर्ष की अवधि में किसी समय पर सेवा से त्यागपत्र देने या सेवानिवृत्त होने पर या विहित अवधि के दौरान किसी प्रकार के कदाचार के लिए सेवा से उसके हटाए जाने या पदच्युति की घटना में, सरकारी ऋण पर तत्समय लागू सरकारी दरों पर मांग की तिथि से ब्याज सहित रुपये (रुपये) की धन राशि मांग करने पर सरकार को तुरन्त वापस करेगा ;

और उपरोक्त लिखित बाध्यताओं के बाध्यताकारी श्री
या/एवं उपरोक्त जमानती के वापसी करने से उपरोक्त बाध्यकारी शून्य हो जाएगा तथा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, अन्यथा, यह पूर्ण बल तथा योग्यता में होंगी तथा रहेगी ।

परन्तु सदा इसके अधीन जमानती का दायित्व सरकार या उन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति (चाहे जमानती की सहमति या जानकारी सहित या के बिना) को दिए जा रहे समय के कारण से या किसी स्थगन, कार्य या चूक द्वारा कम या मुक्त नहीं होगी तथा न ही इसके अधीन देय राशि के लिए उपरोक्त बाध्यताकारी जमानती या उनमें से किसी के विरुद्ध मुकदमा चलाने से पूर्व उक्त बाध्यताकारी पर मुकदमा चलाना सरकार के लिए आवश्यक होगा ।

उसकी गवाही में, इन विलेखों को हरियाणा के राज्यपाल की ओर से विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तथा उसके अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है ।

उपरोक्त बाध्यताकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा वितरित

गवाहों की उपस्थिति में :—

1.
2.

उपरोक्त जमानती नाम (जमानती का नाम) द्वारा हस्ताक्षरित तथा वितरित

गवाहों की उपस्थिति में :—

1.
2.

.....
हरियाणा के राज्यपाल के लिए तथा की ओर से
(अधिकारी का पदनाम)

अनुबन्ध-10

(दखिए नियम 110)

हरियाणा सरकार के नियन्त्रणाधीन संगठन में विदेश सेवा में स्थानान्तरित हरियाणा सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में मानक निबन्धनों तथा शर्तों का नमूना

1. **विदेश सेवा की अवधि।—** श्री
(पदनाम) दिनांक से तक विदेश सेवा में स्थानान्तरित हो रहा है/ गया है यदि उसे पहले वापस नहीं बुलाया जाता है।
2. **पदग्रहण काल, पदग्रहण काल वेतन तथा स्थानान्तरण यात्रा भत्ता।—** वह विदेश सेवा का पद ग्रहण करने पर तथा मूल विभाग में उससे प्रत्यावर्तन पर पदग्रहण काल, पदग्रहण काल वेतन तथा दोनों तरफ का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता लेने के लिए हकदार है, यह हरियाणा सिविल सेवा नियमों या विदेशी नियोक्ता के नियमों के उपबन्धों के अनुसार विनियमित होगा जो सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी के लिए अधिक लाभदायक हैं। दायित्व विदेशी नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा।
3. **वेतन तथा महंगाई भत्ता।—** उसी पद या उसी {स्तर}¹ के पद पर विदेश सेवा की अवधि के दौरान, वह अपने मूल विभाग में उसको अनुज्ञेय वेतन के समकक्ष वेतन प्राप्त करेगा। वह उच्चतर {स्तर}¹ के उसी पद पर स्थानान्तरण पर, वह उच्चतर {स्तर}¹ प्राप्त करने का हकदार होगा। तथापि, भिन्न {स्तर}¹ के उच्चतर पद पर स्थानान्तरण पर, उसको वेतन हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016 के उपबन्ध के अनुसार अनुज्ञेय होगा। वह अपने मूल विभाग की दर के समकक्ष महंगाई भत्ते के लिए हकदार होगा।
4. **प्रतिपूर्ति भत्ता।—** सभी प्रतिपूर्ति भत्ते (महंगाई भत्ते को निकाल कर) मूल विभाग/आदाता संगठन के नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे जो उसके लिए अधिक लाभदायक हैं।
5. **चिकित्सा सुविधाएं।—** वह हरियाणा सरकार के नियमों के उपबन्ध के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं लेने का हकदार होगा। यदि वह चाहता है, तो वह उसके बदले में आदाता संगठन की चिकित्सा सुविधाएं लेने के लिए विकल्प दे सकता है।
6. **किराया निःशुल्क आवास तथा/या निःशुल्क वाहन सुविधा।—** कोई भी किराया निःशुल्क

¹

अधिसूचना संख्या : 2/12/2017-4 एफ.आर., दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।

आवास, निःशुल्क वाहन या कोई वाहन भत्ता मूल विभाग के खर्च पर तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक सामान्यतः ऐसे लाभ पद की सेवा की शर्त के रूप में संलग्न नहीं हैं जिस पर उसे आदाता संगठन में प्रतिनियुक्त किया गया है।

7. **आवासीय आवास का आबंटन।—** वह आदाता संगठन के नियमों के अनुसार विदेश सेवा की अवधि के लिए आवासीय आवास, यदि कोई हो, के आबंटन की सुविधा लेने का हकदार होगा।
8. **सरकारी आवास को रखना/नया आबंटन।—** वह उसी स्थान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले ही आबंटित/आबंटित किए जाने वाला सरकारी आवास रखने/नया आबंटन कराने का हकदार होगा बशर्ते—
 - (क) अनुज्ञाप्ति फीस आदाता संगठन द्वारा उससे प्रभारित की जाएगी ; तथा
 - (ख) समय—समय पर विहित बाजार किराये तथा संबंधित सरकारी कर्मचारी से वसूल की गई अनुज्ञाप्ति फीस के बीच भिन्नता आदाता संगठन द्वारा वहन की जाएगी, तथा निम्नलिखित शीर्ष में जमा की जाएगी, जहां अनुज्ञाप्ति फीस विदेश सेवा में उसके स्थानान्तरण से पूर्व मूल विभाग द्वारा जमा कराई जा रही थी ।

“0216—आवास—01—हरियाणा सरकार आवासीय भवन—106—सामान्य पूल आवास”

टिप्पण।— यदि आवासीय आवास लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें), हरियाणा से भिन्न विभाग से संबंधित है, तो किराया संबंधित विभाग के प्राप्ति शीर्ष में भुगतान योग्य होगा।

9. **अवकाश यात्रा रियायत।—** वह उधारदाता विभाग द्वारा अवकाश यात्रा रियायत की पूर्व स्वीकृति के अध्यधीन समय—समय पर यथा संशोधित हरियाणा सरकार के सुसंगत नियमों के उपबन्धों के अनुसार अवकाश यात्रा रियायत लेने का हकदार होगा। अवकाश यात्रा रियायत का दायित्व उधारदाता विभाग या आदाता संगठन द्वारा वहन किया जाएगा जहां सरकारी कर्मचारी।—
 - (i) भारत में स्वनगर या कहीं भी की अवकाश यात्रा रियायत वास्तव में लेने के समय कार्यरत है/था; या
 - (ii) संबंधित ब्लाक की अवधि के दौरान दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए सेवा में रहा है, यदि अवकाश यात्रा रियायत के बदले में एक मास का वेतन उस द्वारा लिया गया है।

10. **अवकाश तथा पेंशन।—** विदेश सेवा की अवधि के दौरान, वह अपने मूल विभाग के अवकाश नियमों तथा पेंशन नियमों द्वारा निरन्तर शासित होगा।
 11. **अशक्तता अवकाश एवं अस्पताल अवकाश।—** विदेश सेवा में या के कारण हुई अशक्तता के संबंध में अशक्तता अवकाश एवं अस्पताल अवकाश का अवकाश वेतन, चाहे ऐसी अशक्तता विदेश सेवा की समाप्ति के बाद स्वयं प्रकट हुई है, का भुगतान आदाता संगठन द्वारा किया जाएगा।
 12. **अवकाश वेतन अंशदान।—** आदाता संगठन विदेश सेवा की अवधि के दौरान अनुज्ञेय परिलाभों का हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 128 के अनुसार 11 प्रतिशत की दर से पन्द्रह दिन के भीतर त्रैमासिक अवकाश वेतन अंशदान का भुगतान करेगा अन्यथा उसके बाद 10/- रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति ब्याज प्रभारित किया जाएगा। यह निम्नलिखित शीर्ष में जमा किया जाएगा (इसे सम्बंधित मूल विभाग द्वारा वर्णित किया जाना है) :—
-
-

13. **पेंशन अंशदान।—** आदाता संगठन राज्य की संचित निधि में परिलाभों का हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 131 के अनुसार प्रतिशत की दर से पन्द्रह दिन के भीतर त्रैमासिक पेंशन अंशदान का भुगतान करेगा। अन्यथा उसके बाद 10/- रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति ब्याज प्रभारित किया जाएगा। यह निम्नलिखित मुख्य शीर्ष में जमा किया जाएगा :—

“0071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों —01—सिविल—101—अंशदान तथा वसूलियां— अंशदान तथा अभिदाय विदेश सेवा पर उधार लिए गए अधिकारी का अंशदान”

अथवा

समरूप अंशदान।— आदाता संगठन परिलाभों का 10 प्रतिशत की दर से समरूप अंशदान का मासिक भुगतान करेगा क्योंकि श्री परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम में आता है।

14. **भविष्य निधि या परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम में अंशदान।—** विदेश सेवा की अवधि के दौरान, वह अपने सामान्य भविष्य निधि लेखे या अपने स्थाई सेवानिवृत्ति लेखा संख्या में

निरन्तर अंशदान करेगा जिसमें वह ऐसी निधि के नियमों के अनुसार विदेश सेवा में अपने स्थानान्तरण से पूर्व अंशदान कर रहा था।

15. **ग्रुप बीमा स्कीम में अंशदान.**— वह हरियाणा ग्रुप बीमा स्कीम, 1985 में निरन्तर अंशदान करेगा। आदाता संगठन अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से सामान्य अंशदान की वसूली करेगा तथा हरियाणा सरकार के लेखा शीर्ष “8011—बीमा तथा पेंशन निधियाँ—107—राज्य सरकार कर्मचारी ग्रुप बीमा स्कीम” में प्रत्येक मास नियमित रूप से उसे जमा करेगा। विलम्ब/चूक की दशा में, आदाता संगठन स्कीम में विहित दर पर तथा रीति में ब्याज सहित अंशदान का बकाया जमा करेगा।
16. **विदेश सेवा का प्रारम्भ तथा समापन.**— विदेश सेवा उस तिथि से प्रारम्भ होगी जिसको वह अपने पद का कार्यभार सौंपता है तथा उस तिथि को पूरी होगी जिसको वह अपने मूल विभाग में पद का प्रभार ग्रहण करता है।

अनुबन्ध—11

(देखिए नियम 110)

हरियाणा सरकार से भिन्न सरकार के नियंत्रणाधीन संगठन में विदेश सेवा में स्थानान्तरित हरियाणा सरकारी कर्मचारी के संबंध में मानक निबन्धनों तथा शर्तों का नमूना।

1. **विदेश सेवा की अवधि.—** श्री
(पदनाम) दिनांक से तक विदेश सेवा में स्थानान्तरित हो रहा है / गया है यदि उसे पहले वापस नहीं बुलाया जाता है।
2. **पदग्रहण काल, पदग्रहण काल वेतन तथा स्थानान्तरण यात्रा भत्ता।—** वह विदेश सेवा का पद ग्रहण करने पर तथा मूल विभाग में उससे प्रत्यावर्तन पर पदग्रहण काल, पदग्रहण काल वेतन तथा दोनों तरफ का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता लेने के लिए हकदार है, यह हरियाणा सिविल सेवा नियमों या विदेशी नियोक्ता के नियमों के उपबन्धों के अनुसार विनियमित होगा जो सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी के लिए अधिक लाभदायक हैं। दायित्व विदेशी नियोक्ता द्वारा वहन जाएगा।
3. **वेतन तथा महंगाई भत्ता।—** प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान वह निम्नलिखित प्राप्त करना चुन सकता है—
 - (क) या तो आदाता संगठन के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पद के उच्चतर वेतन ढांचे में वेतन, यदि कोई हो, जमा महंगाई भत्ता ; या
 - (ख) मूल विभाग के नियमों के अनुसार मूल संवर्ग का मूल वेतन जमा प्रतिनियुक्ति भत्ता तथा उस पर महंगाई भत्ता।
4. **प्रतिपूर्ति भत्ता।—** सभी प्रतिपूर्ति भत्ते (महंगाई भत्ते को निकाल कर) मूल विभाग / आदाता संगठन के नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे जो उसके लिए अधिक लाभदायक है।
5. **चिकित्सा सुविधाएं।—** वह उधारदाता संगठन के नियमों के उपबन्ध के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं लेने का हकदार होगा। यदि वह चाहता है, तो वह उसके बदले में आदाता संगठन की चिकित्सा सुविधाएं लेने के लिए विकल्प दे सकता है।
6. **किराया निःशुल्क आवास तथा/या निःशुल्क वाहन की सुविधा।—** कोई भी किराया निःशुल्क आवास, निःशुल्क वाहन या कोई वाहन भत्ता मूल विभाग के खर्च पर तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक सामान्यतः ऐसे लाभ पद की सेवा की शर्तों के रूप में संलग्न नहीं है जिस

पर उसे आदाता संगठन में प्रतिनियुक्त किया गया है।

7. **आवासीय आवास का आबंटन**—वह आदाता संगठन के नियमों के अनुसार विदेश सेवा की अवधि के लिए आवासीय आवास, यदि कोई हो, के आबंटन की सुविधा लेने का हकदार होगा।
8. **सरकारी आवास को रखना/नया आबंटन**—वह उसी स्थान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले ही आबंटित/आबंटित किए जाने वाला सरकारी आवास को रखने/नया आबंटन कराने का हकदार होगा बशर्ते—
 - (क) अनुज्ञाप्ति फीस आदाता संगठन संगठन द्वारा उससे प्रभारित की जाएगी; तथा
 - (ख) समय—समय पर विहित बाजार किराये तथा संबंधित सरकारी कर्मचारी से वसूल की गई अनुज्ञाप्ति फीस के बीच भिन्नता आदाता संगठन द्वारा वहन की जाएगी, तथा निम्नलिखित शीर्ष में जमा की जाएगी, जहां अनुज्ञाप्ति फीस विदेश सेवा में उसके स्थानान्तरण से पूर्व मूल विभाग द्वारा जमा कराई जा रही थी—

“0216—आवास—01—हरियाणा सरकार आवासीय भवन—106—सामान्य पूल आवास”

टिप्पणी— यदि आवासीय आवास लोक निर्माण विभाग पी.डब्ल्यू.डी. (भवन तथा सड़कें), हरियाणा से भिन्न विभाग से संबंधित है, तो किराया संबंधित विभाग के प्राप्ति शीर्ष में भुगतान योग्य होगा।

9. **अवकाश यात्रा रियायत**—वह उधारदाता विभाग द्वारा अवकाश यात्रा रियायत की पूर्व स्वीकृति के अध्यधीन समय—समय पर यथा संशोधित हरियाणा सरकार के सुसंगत नियमों के उपबन्धों के अनुसार अवकाश यात्रा रियायत लेने का हकदार होगा। अवकाश यात्रा रियायत का दायित्व उधारदाता विभाग या आदाता संगठन द्वारा वहन किया जाएगा जहां सरकारी कर्मचारी—
 - (i) भारत में स्वनगर या कहीं भी की अवकाश यात्रा रियायत वास्तव में लेने के समय कार्यरत है/था; या
 - (ii) संबंधित ब्लाक की अवधि के दौरान दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए सेवा में रहा है, यदि अवकाश यात्रा रियायत के बदले में एक मास का वेतन उस द्वारा लिया गया है।
10. **अवकाश तथा पेंशन**—विदेश सेवा की अवधि के दौरान, वह अपने मूल विभाग के अवकाश नियमों तथा पेंशन नियमों द्वारा निरन्तर शासित होगा।

11. **अशक्तता अवकाश एवं अस्पताल अवकाश.**— विदेश सेवा में या के कारण हुई अशक्तता के संबंध में अशक्तता अवकाश एवं अस्पताल अवकाश का अवकाश वेतन, चाहे ऐसी अशक्तता विदेश सेवा की समाप्ति के बाद स्वयं प्रकट हुई है, का भुगतान आदाता संगठन द्वारा किया जाएगा।
12. **अवकाश वेतन अंशदान.**— आदाता संगठन विदेश सेवा की अवधि के दौरान अनुज्ञेय परिलाभों का हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 128 के अनुसार 11 प्रतिशत की दर से पन्द्रह दिन के भीतर त्रैमासिक अवकाश वेतन अंशदान का भुगतान करेगा अन्यथा उसके बाद 10/- रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति ब्याज प्रभारित किया जाएगा।

यह निम्नलिखित शीर्ष में जमा किया जाएगा (इसे सम्बधित मूल विभाग द्वारा वर्णित किया जाना है) :—

13. **पेंशन अंशदान.**— आदाता संगठन राज्य की संचित निधि में परिलाभों का हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 131 के अनुसार प्रतिशत की दर से पन्द्रह दिन के भीतर त्रैमासिक पेंशन अंशदान का भुगतान करेगा। अन्यथा उसके बाद 10/- रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति ब्याज प्रभारित किया जाएगा। यह निम्नलिखित मुख्य शीर्ष में जमा किया जाएगा :—

“0071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों—01—सिविल—101—अंशदान तथा वसूलियां—अंशदान तथा अभिदाय विदेश सेवा पर उधार लिए गए अधिकारी का अंशदान”

अथवा

समरूप अंशदान— आदाता संगठन परिलाभों का 10 प्रतिशत की दर से समरूप अंशदान का मासिक भुगतान करेगा क्योंकि श्री परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम में आता है।

14. **भविष्य निधि या परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम में अंशदान.**— विदेश सेवा की अवधि के दौरान, वह अपने सामान्य भविष्य निधि लेखे या अपने स्थाई सेवानिवृत्ति लेखा संख्या में निरन्तर अंशदान करेगा जिसमें वह ऐसी निधि के नियमों के अनुसार विदेश सेवा में अपने स्थानान्तरण से पूर्व अंशदान कर रहा था।
15. **ग्रुप बीमा स्कीम में अंशदान.**— वह हरियाणा ग्रुप बीमा स्कीम, 1985 में निरन्तर अंशदान

करेगा। आदाता संगठन अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से सामान्य अंशदान की वसूली करेगा तथा हरियाणा सरकार के लेखा शीर्ष “**8011—बीमा तथा पेंशन निधियां—107—राज्य सरकार कर्मचारी ग्रुप बीमा स्कीम**” में प्रत्येक मास नियमित रूप से उसे जमा करेगा। विलम्ब/चूक की दशा में, आदाता संगठन स्कीम में विहित दर से तथा रीति में ब्याज सहित अंशदान का बकाया जमा करेगा।

16. **विदेश सेवा का प्रारम्भ तथा समापन।**— विदेश सेवा उस तिथि से प्रारम्भ होगी जिसको वह अपने पद का कार्यभार सौंपता है तथा उस तिथि को पूरी होगी जिसको वह अपने मूल विभाग में पद का प्रभार ग्रहण करता है।

अनुबन्ध—12

(देखिए नियम 110)

हरियाणा सरकार से भिन्न किसी सरकार के नियंत्रणाधीन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित हरियाणा सरकारी कर्मचारी के संबंध में मानक निबन्धनों तथा शर्तों का नमूना।

1. **प्रतिनियुक्ति की अवधि।—** श्री
(पदनाम) दिनांक से तक प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित हो रहा है/ गया है, यदि उसे पहले वापस नहीं बुलाया जाता है।
2. **पदग्रहण काल, पदग्रहण काल वेतन तथा स्थानान्तरण यात्रा भत्ता।—** वह विभाग/सरकार के नियमों के अनुसार, जिसमें वह अग्रसर होता है, प्रतिनियुक्ति या मूल विभाग में उससे प्रत्यावर्तन पर पदधारण करने पर पदग्रहण काल, पदग्रहण काल की अवधि का वेतन तथा स्थानान्तरण यात्रा भत्ता लेने के लिए हकदार होगा। इस लेखे पर खर्च भी विभाग/सरकार द्वारा वहन किया जाएगा जिसमें वह अग्रसर होता है।
3. **वेतन तथा महंगाई भत्ता।—** प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान वह निम्नलिखित प्राप्त करना चुन सकता है—
(क) या तो आदाता विभाग के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पद के उच्चतर वेतन ढांचे में वेतन, यदि कोई हो, जमा महंगाई भत्ता ; या
(ख) मूल विभाग के नियमों के अनुसार मूल संवर्ग का मूल वेतन जमा प्रतिनियुक्ति भत्ता तथा उस पर महंगाई भत्ता।
4. **प्रतिपूर्ति भत्ता।—** सभी प्रतिपूर्ति भत्ते (महंगाई भत्ते को निकाल कर) मूल विभाग/आदाता विभाग के नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे जो उसके लिए अधिक लाभदायक है।
5. **चिकित्सा सुविधाएँ।—** वह उधारदाता विभाग के नियमों के उपबन्ध के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं लेने का हकदार होगा। यदि वह चाहता है, तो वह उसके बदले में आदाता विभाग की चिकित्सा सुविधायें लेने के लिए विकल्प दे सकता है।
6. **किराया निःशुल्क आवास तथा/या निःशुल्क वाहन की सुविधा।—** कोई भी किराया निःशुल्क आवास, निःशुल्क वाहन या कोई वाहन भत्ता मूल विभाग के खर्च पर तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक सामान्यतः ऐसे लाभ पद की सेवा की शर्तों के रूप में संलग्न नहीं है जिस पर उसे आदाता विभाग में प्रतिनियुक्त किया गया है।
7. **आवासीय आवास का आबंटन।—** वह आदाता विभाग के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए आवास के आबंटन की सुविधा लेने का हकदार होगा।
8. **सरकारी आवास को रखना/नया आबंटन।—** वह उसी स्थान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले ही आबंटित/आबंटित किए जाने वाले सरकारी आवास को रखने/नया आबंटन कराने का हकदार होगा बशर्ते अनुज्ञित फीस कर्मचारी से प्रभारित करके आदाता विभाग द्वारा जमा की जाएगी। यदि आवास हरियाणा सरकार से संबंधित है तो यह फीस निम्नलिखित शीर्ष में जमा की जाएगी :—

“0216—आवास—01—हरियाणा सरकार आवासीय भवन—106—सामान्य पूल आवास”

टिप्पणि।— यदि आवासीय आवास लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें), हरियाणा से भिन्न विभाग से संबंधित है, तो किराया संबंधित विभाग के प्राप्ति शीर्ष में भुगतान योग्य होगा।

9. **अवकाश यात्रा रियायत।—** वह उधारदाता विभाग द्वारा अवकाश यात्रा रियायत की पूर्व स्वीकृति के अध्यधीन समय—समय पर यथा संशोधित हरियाणा सरकार के सुसंगत नियमों के उपबन्धों के अनुसार लेने का हकदार होगा। अवकाश यात्रा भत्ता का दायित्व उधारदाता विभाग या आदाता विभाग द्वारा वहन किया जाएगा जहां सरकारी कर्मचारी—
 - (i) भारत में स्वनगर या कहीं भी की अवकाश यात्रा रियायत वास्तव में लेने के समय कार्यरत है/था; या
 - (ii) संबंधित ब्लाक की अवधि के दौरान दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए सेवा में रहा है, यदि अवकाश यात्रा भत्ता के बदले में एक मास का वेतन उस द्वारा लिया गया है।
10. **अवकाश तथा पेंशन।—** प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, वह अपने मूल विभाग के अवकाश नियमों तथा पेंशन नियमों द्वारा निरन्तर शासित होगा।
11. **पेंशन अंशदान।—** कोई भी पेंशन अंशदान प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान आदाता विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा।

अथवा

समरूप अंशदान।— आदाता विभाग परिलाभों का 10 प्रतिशत की दर से समरूप अंशदान का मासिक भुगतान करेगा क्योंकि श्री परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम में आता है।

12. **भविष्य निधि या परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम में अंशदान।—** प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, वह अपने सामान्य भविष्य निधि लेखे या अपने स्थाई सेवानिवृत्ति लेखा संख्या में निरन्तर अंशदान करेगा जिसमें वह ऐसी निधि के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर अपने स्थानान्तरण से पूर्व अंशदान कर रहा था।
13. **ग्रुप बीमा स्कीम में अंशदान।—** वह हरियाणा ग्रुप बीमा स्कीम, 1985 में निरन्तर अंशदान करेगा। आदाता विभाग अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से सामान्य अंशदान की वसूली करेगा तथा हरियाणा सरकार के लेखा शीर्ष “8011—बीमा तथा पेंशन निधियां—107—राज्य सरकार कर्मचारी ग्रुप बीमा स्कीम” में प्रत्येक मास नियमित रूप से उसे जमा करेगा। विलम्ब/चूक की दशा में, आदाता संगठन स्कीम में विहित दर पर तथा रीति में ब्याज सहित अंशदान का बकाया जमा करेगा।
14. **विदेश सेवा का प्रारम्भ तथा समाप्ति।—** विदेश सेवा उस तिथि से प्रारम्भ होगी जिसको वह अपने पद का कार्यभार सौंपता है तथा उस तिथि को पूरी होगी जिसको वह अपने मूल विभाग में पद का प्रभार ग्रहण करता है।

अनुबन्ध—13
(दिखिए नियम 110)

चण्डीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित हरियाणा सरकारी कर्मचारी के सम्बंध में मानक निबन्धनों तथा शर्तों का नमूना।

1. **प्रतिनियुक्ति की अवधि.—** श्री
..... (पदनाम) दिनांक से तक प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित हो रहा है / हो गया है। यदि उसे पहले वापस नहीं बुलाया जाता है।
2. **पदग्रहण काल, पदग्रहण काल वेतन तथा स्थानान्तरण यात्रा भत्ता।—** चण्डीगढ़ प्रशासन/मूल विभाग के नियमों के अनुसार जिसमें वह अग्रसर होता है, प्रतिनियुक्ति पर पद ग्रहण करने पर या मूल विभाग में उससे प्रत्यावर्तन पर ग्रहण करने पर पदग्रहण काल, पदग्रहण काल की अवधि के लिए वेतन तथा स्थानान्तरण यात्रा भत्ता लेने के लिए हकदार होगा। इस लेखे पर खर्च भी चण्डीगढ़ प्रशासन/मूल विभाग द्वारा वहन किया जाएगा जिसमें वह अग्रसर होता है।
3. **वेतन तथा महंगाई भत्ता।—** प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, वह अपने मूल विभाग में समय—समय पर उसको अनुज्ञेय वेतन के समकक्ष वेतन प्राप्त करेगा। वह अपने मूल विभाग की दर के समकक्ष महंगाई भत्ता के लिए हकदार होगा।
4. **प्रतिपूर्ति भत्ता।—** सभी प्रतिपूर्ति भत्ते (महंगाई भत्ते को निकाल कर) मूल विभाग/चण्डीगढ़ प्रशासन के नियमों के उपबन्ध के अनुसार विनियमित होंगे जो उसके लिए अधिक लाभदायक हैं।
5. **चिकित्सा सुविधाएं।—** वह उधारदाता विभाग के नियमों के उपबन्ध के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं लेने का हकदार होगा। यदि वह चाहता है, तो वह उसके बदले में चण्डीगढ़ प्रशासन की चिकित्सा सुविधाएं लेने के लिए विकल्प दे सकता है।
6. **किराया निःशुल्क आवास तथा/या निःशुल्क वाहन की सुविधा।—** कोई भी किराया निःशुल्क आवास, निःशुल्क वाहन या कोई वाहन भत्ता मूल विभाग के खर्च पर तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक सामान्यतः ऐसे लाभ पद की सेवा की शर्तों के रूप में संलग्न नहीं है जिस पर उसे चण्डीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्त किया गया है।
7. **आवासीय आवास का आबंटन।—** वह चण्डीगढ़ प्रशासन के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए आवासीय आवास के आबंटन की सुविधा लेने का हकदार होगा।
8. **सरकारी आवास को रखना/नया आबंटन।—** वह उसी स्थान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले ही आबंटित/आबंटित किए जाने वाले सरकारी आवास को रखने/नया आबंटन कराने का हकदार होगा बशर्ते अनुज्ञप्ति फीस चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा उससे प्रभारित की जाएगी; तथा निम्नलिखित शीर्ष में जमा कराई जाएगी यदि आवासीय आवास हरियाणा सरकार से संबंधित है :—

“0216—आवास—01—हरियाणा सरकार आवासीय भवन—106—सामान्य मूल आवास”

टिप्पणि।— यदि आवासीय आवास लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें), हरियाणा से

मिन्न विभाग से संबंधित है, तो किसाया संबंधित विभाग के प्राप्ति शीर्ष में भुगतानयोग्य होगा।

9. **अवकाश यात्रा रियायत.**— वह उधारदाता विभाग द्वारा अवकाश यात्रा रियायत की पूर्व स्वीकृति के अध्यधीन समय—समय पर यथा संशोधित हरियाणा सरकार के संबंधित नियमों के उपबन्धों के अनुसार अवकाश यात्रा रियायत लेने का हकदार होगा। अवकाश यात्रा रियायत का दायित्व चण्डीगढ़ प्रशासन या मूल विभाग द्वारा वहन किया जाएगा जहां सरकारी कर्मचारी—
 - (क) भारत में स्वनगर या कहीं भी की अवकाश यात्रा रियायत वास्तव में लेने के समय कार्यरत है / था; या
 - (ख) संबंधित ब्लाक की अवधि के दौरान दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए सेवा में रहा है, यदि अवकाश यात्रा रियायत के बदले में एक मास का वेतन उस द्वारा लिया गया है।
10. **अवकाश तथा पेंशन.**—प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, वह अपने मूल विभाग के अवकाश तथा पेंशन नियमों द्वारा निरन्तर शासित होगा।
11. **पेंशन अंशदान.**— कोई भी पेंशन अंशदान प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान आदाता विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा।

अथवा

समरूप अंशदान— चण्डीगढ़ प्रशासन परिलाभों का 10 प्रतिशत की दर से समरूप अंशदान का मासिक भुगतान करेगा क्योंकि श्री परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम में आता है।

12. **भविष्य निधि या परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम में अंशदान.**— प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, वह अपने सामान्य भविष्य निधि लेखे या अपने स्थाई सेवानिवृत्ति लेखा संख्या में निरन्तर अंशदान करेगा जिसमें वह ऐसी निधि के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर अपने स्थानान्तरण से पूर्व अंशदान कर रहा था।
13. **ग्रुप बीमा स्कीम में अंशदान.**— वह हरियाणा ग्रुप बीमा स्कीम, 1985 में निरन्तर अंशदान करेगा। चण्डीगढ़ प्रशासन अधिकारी / कर्मचारी के वेतन से सामान्य अंशदान की वसूली करेगा तथा हरियाणा सरकार के लेखा शीर्ष “8011-बीमा तथा पेंशन निधियां-107-राज्य सरकार कर्मचारी ग्रुप बीमा स्कीम” में प्रत्येक मास नियमित रूप से उसे जमा करेगा। विलम्ब / चूक की दशा में, चण्डीगढ़ प्रशासन स्कीम में विहित दर पर तथा रीति में ब्याज सहित अंशदान का बकाया जमा करेगा।
14. **प्रतिनियुक्ति का प्रारम्भ तथा समापन.**— प्रतिनियुक्ति उस तिथि से प्रारम्भ होगी जिसको वह अपने पद का कार्यभार सौंपता है तथा उस तिथि को पूरी होगी जिसको वह अपने मूल विभाग में पद का प्रभार ग्रहण करता है।

अनुबन्ध—14

(देखिए नियम 110)

भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित हरियाणा सरकारी कर्मचारियों के संबंध में मानक निबन्धन तथा शर्तों का नमूना

- 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि.—** श्री
(पदनाम) दिनांक से तक प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित हो रहा है/हो गया है यदि उसे पहले वापस नहीं बुलाया गया है।
- 2. पदग्रहण काल, पदग्रहण काल वेतन तथा स्थानान्तरण यात्रा भत्ता—** वह विभाग/भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड के नियमों के अनुसार, जिसमें वह अग्रसर होता है; प्रतिनियुक्ति पर या उधारदाता विभाग में उससे प्रत्यावर्तन पर पद धारण करने पर पदग्रहण काल, पदग्रहण काल अवधि के लिए वेतन तथा स्थानान्तरण यात्रा भत्ता लेने का हकदार होगा। इस लेखे पर खर्च भी भाखड़ा ब्यास प्रबन्धक बोर्ड/मूल विभाग द्वारा वहन किया जाएगा जिसमें वह अग्रसर होता है।
- 3. वेतन तथा महंगाई भत्ता.—** प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, वह निम्नलिखित को प्राप्त करना चुन सकता है—
 - (क) या तो भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पद के उच्चतर वेतन ढांचे में वेतन, यदि कोई हो, जमा महंगाई भत्ता ; या
 - (ख) मूल विभाग के नियमों के अनुसार मूल संवर्ग का मूल वेतन तथा उस पर महंगाई भत्ता।
- 4. प्रतिपूर्ति भत्ता.—** सभी प्रतिपूर्ति भत्ते (महंगाई भत्ते को निकाल कर) मूल विभाग/भाखड़ा ब्यास प्रबन्धक बोर्ड के नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे जो उसके लिए अधिक लाभदायक हैं।
- 5. चिकित्सा सुविधाएं.—** वह उधारदाता विभाग के नियमों के उपबन्ध के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं लेने का हकदार होगा। यदि वह चाहता है तो वह उसके बदले में भाखड़ा ब्यास प्रबन्धक बोर्ड की चिकित्सा सुविधाएं लेने के लिए विकल्प दे सकता है।
- 6. किराया मुक्त आवास तथा/या निःशुल्क वाहन की सुविधा.—** कोई भी किराया निःशुल्क आवास, निःशुल्क वाहन या कोई वाहन भत्ता उधारदाता विभाग के खर्च पर तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक सामान्यतः ऐसे लाभ पद की सेवा की शर्तों के रूप में संलग्न नहीं हैं जिस पर उसे भाखड़ा ब्यास प्रबन्धक बोर्ड में प्रतिनियुक्त किया गया है।
- 7. आवासीय आवास का आबंटन.—** वह भाखड़ा ब्यास प्रबन्धक बोर्ड के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए आवासीय आवास के आबंटन की सुविधा लेने का हकदार होगा।
- 8. सरकारी आवास को रखना/नया आबंटन.—** वह उसी स्थान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले ही आबंटित/आबंटित किए जाने वाले सरकारी आवास को रखने/नया आबंटन कराने का हकदार होगा बशर्ते अनुज्ञप्ति फीस भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड द्वारा उससे प्रभारित की जाएगी तथा निम्नलिखित शीर्ष में जमा की जाएगी यदि उसे हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी

आवास आबंटित किया गया है।

“0216—आवास—01—हरियाणा सरकार आवासीय भवन—106—सामान्य मूल आवास”

टिप्पणि— यदि आवासीय आवास लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें), हरियाणा से भिन्न विभाग से संबंधित है, तो किराया संबंधित विभाग के प्राप्ति शीर्ष में भुगतान योग्य होगा।

9. **अवकाश यात्रा रियायत—** वह उधारदाता विभाग द्वारा अवकाश यात्रा रियायत की पूर्व स्वीकृति के अध्यधीन समय—समय पर यथा संशोधित हरियाणा सरकार के सुसंगत नियमों के उपबन्धों के अनुसार अवकाश यात्रा रियायत लेने का हकदार होगा। अवकाश यात्रा रियायत का दायित्व भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड या उधारदाता विभाग द्वारा वहन किया जाएगा जहां सरकारी कर्मचारी—
 - (क) भारत में स्वनगर या कहीं भी की अवकाश यात्रा रियायत वास्तव में लेने के समय कार्यरत है/था; या
 - (ख) संबंधित ब्लाक की अवधि के दौरान दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए सेवा में रहा है, यदि अवकाश यात्रा रियायत के बदले में एक मास का वेतन उस द्वारा लिया गया है।
10. **अवकाश तथा पेंशन—** प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, वह अपने उधारदाता विभाग के अवकाश नियमों तथा पेंशन नियमों द्वारा निरन्तर शासित होगा।
11. **पेंशन अंशदान—** कोई भी पेंशन अंशदान प्रतिनियुक्ति को अवधि के दौरान भाखड़ा ब्यास प्रबन्धक बोर्ड द्वारा नहीं किया जाएगा।

अथवा

समरूप अंशदान— भाखड़ा ब्यास प्रबन्धक बोर्ड परिलाभों का 10 प्रतिशत की दर से समरूप अंशदान का मासिक भुगतान करेगा क्योंकि श्री परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम में आता है।

12. **भविष्य निधि या परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम में अंशदान—** प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, वह अपने सामान्य भविष्य निधि लेखे या अपने स्थाई सेवानिवृत्ति लेखा संख्या में निरन्तर अंशदान करेगा जिसमें वह ऐसी निधि के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर अपने स्थानान्तरण से पूर्व अंशदान कर रहा था।
13. **ग्रुप बीमा स्कीम में अंशदान—** वह हरियाणा ग्रुप बीमा स्कीम, 1985 में निरन्तर अंशदान करेगा। भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से सामान्य अंशदान की वसूली करेगा तथा हरियाणा सरकार के लेखा शीर्ष “8011—बीमा तथा पेंशन निधियां—107—राज्य सरकार कर्मचारी ग्रुप बीमा स्कीम” में प्रत्येक मास नियमित रूप से उसे जमा करेगा। विलम्ब/चूक की दशा में, भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड स्कीम में विहित दर पर तथा रीति में ब्याज सहित अंशदान का बकाया जमा करेगा।
14. **प्रतिनियुक्ति का प्रारम्भ तथा समापन—** प्रतिनियुक्ति उस तिथि से प्रारम्भ होगी जिसको वह अपने पद का कार्यभार सौंपता है तथा उस तिथि को पूरी होगी जिसको वह अपने मूल विभाग में पद का प्रभार ग्रहण करता है।

अनुबन्ध—15

(देखिए नियम 141)

हरियाणा सरकार के किसी विभाग में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित किसी बोर्ड/निगम के कर्मचारी के संबंध में मानक निबन्धन तथा शर्तों का नमूना

1. **प्रतिनियुक्ति की अवधि।—** श्री
(पदनाम) दिनांक से तक प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित हो रहा है/हो गया है यदि उसे पहले वापस नहीं बुलाया गया है।
2. **पदग्रहण काल, पदग्रहण काल वेतन तथा स्थानान्तरण यात्रा भत्ता।—** आदाता विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पद धारण करने पर पदग्रहण काल, पदग्रहण काल अवधि के लिए वेतन तथा स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अपने पैतृक संगठन के नियमों के अनुसार लेने का हकदार होगा। इस लेखे पर खर्च आदाता विभाग द्वारा वहन किया जाएगा जिसमें वह अग्रसर होता है।
3. **वेतन तथा महंगाई भत्ता।—** प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, वह निम्नलिखित को प्राप्त करना चुन सकता है—
 - (क) या तो आदाता विभाग के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पद के उच्चतर वेतन ढांचे में वेतन, यदि कोई हो, जमा महंगाई भत्ता ; या
 - (ख) पैतृक संगठन में पद के वेतन ढांचे में वेतन तथा महंगाई भत्ता।
4. **प्रतिपूर्ति भत्ता।—** सभी प्रतिपूर्ति भत्ते (महंगाई भत्ते को निकाल कर) मूल संगठन/आदाता विभाग के नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे जो उसके लिए अधिक लाभदायक है।
5. **चिकित्सा सुविधाएं।—** वह पैतृक संगठन के नियमों के उपबन्ध के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं लेने का हकदार होगा। यदि वह चाहता है तो वह उसके बदले में आदाता विभाग की चिकित्सा सुविधाएँ लेने के लिए विकल्प दे सकता है।
6. **किराया मुक्त आवास तथा/या निःशुल्क वाहन की सुविधा।—** कोई भी किराया निःशुल्क आवास, निःशुल्क वाहन या कोई वाहन भत्ता आदाता विभाग के खर्च पर तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक सामान्यतः ऐसे लाभ पद की सेवा की शर्तों के रूप में संलग्न नहीं है जहां उसे आदाता विभाग में प्रतिनियुक्त किया गया है।

7. **आवासीय आवास का आबंटन.**—वह आदाता विभाग के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए आवासीय आवास के आबंटन की सुविधा लेने का हकदार होगा।
8. **सरकारी आवास को रखना/नया आबंटन.**— वह उसी स्थान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले से ही आबंटित/आबंटित किए जाने वाले सरकारी आवास को रखने/नया आबंटन कराने का हकदार होगा बशर्ते अनुज्ञाप्ति फीस उससे प्रभारित की जाएगी तथा पैतृक संगठन द्वारा सूचित लेखे में जमा करवाई जाएगी। यदि उसे हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी आवास आबंटित किया गया है तो निम्नलिखित शीर्ष में जमा की जाएगी :—

“0216—आवास—01—हरियाणा सरकार आवासीय भवन—106—सामान्य मूल आवास”

टिप्पणी.— यदि आवासीय आवास लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें), हरियाणा से भिन्न विभाग से संबंधित है, तो किराया संबंधित विभाग के प्राप्ति शीर्ष में भुगतान योग्य होगा।

9. **अवकाश यात्रा रियायत.**— वह उधारदाता संगठन द्वारा अवकाश यात्रा रियायत की पूर्व स्वीकृति के अध्यधीन उधारदाता संगठन के सुसंगत नियमों के उपबन्धों के अनुसार अवकाश यात्रा रियायत लेने का हकदार होगा। अवकाश यात्रा रियायत का दायित्व आदाता विभाग या उधारदाता संगठन द्वारा वहन किया जाएगा जहां कर्मचारी—
 - (क) भारत में स्वनगर या कहीं भी की अवकाश यात्रा रियायत वास्तव में लेने के समय पर सेवा में है/था; या
 - (ख) संबंधित ब्लाक की अवधि के दौरान दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए सेवा में रहा है, यदि अवकाश यात्रा रियायत के बदले में एक मास का वेतन उस द्वारा लिया गया है।
10. **अवकाश तथा पेंशन.**— प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, वह उधारदाता संगठन के अवकाश नियमों तथा पेंशन नियमों द्वारा निरन्तर शासित होगा।
11. **अवकाश वेतन अंशदान.**— आदाता विभाग प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान अनुज्ञेय परिलाभों का 11 प्रतिशत की दर से पन्द्रह दिन के भीतर त्रैमासिक अवकाश वेतन अंशदान का भुगतान करेगा अन्यथा उसके बाद 10/- रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति ब्याज प्रभारित किया जाएगा। यह निम्नलिखित लेखे में जमा किया जाएगा (इसे सम्बंधित मूल

संगठन द्वारा वर्णित किया जाना है) :—

12. **पेंशन अंशदान.**— आदाता विभाग प्रतिशत की दर से पच्चह दिन के भीतर त्रैमासिक पेंशन अंशदान का भुगतान करेगा। अन्यथा उसके बाद 10/- रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति ब्याज प्रभारित किया जाएगा। यह निम्नलिखित लेखे में जमा किया जाएगा (इसे सम्बंधित मूल संगठन द्वारा वर्णित किया जाना है) :—
-
-

अथवा

समरूप अंशदान— आदाता विभाग परिलाभों का 10 प्रतिशत की दर से समरूप अंशदान का मासिक भुगतान करेगा क्योंकि श्री परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम में आता है।

13. **भविष्य निधि या परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम में अंशदान.**— प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, वह अपने समरूप भविष्य निधि लेखे या अपने स्थाई सेवानिवृत्ति लेखा संख्या में निरन्तर अंशदान करेगा जिसमें वह ऐसी निधि के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर अपने स्थानान्तरण से पूर्व अंशदान कर रहा था।
14. **ग्रुप बीमा स्कीम में अंशदान.**— वह ग्रुप बीमा स्कीम में निरन्तर अंशदान करेगा। आदाता विभाग अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से सामान्य अंशदान की वसूली करेगा तथा उधारदाता संगठन द्वारा दिए निर्देशानुसार लेखे में जमा करवाएगा।
15. **प्रतिनियुक्ति का प्रारम्भ तथा समापन.**— प्रतिनियुक्ति उस तिथि से प्रारम्भ होगी जिसको वह अपने पद का कार्यभार सौंपता है तथा उस तिथि को पूरी होगी जिसको वह अपने मूल संगठन में पद का प्रभार ग्रहण करता है।

हरियाणा सिविल सेवाएँ नियमों में परिभाषित किए गये महत्वपूर्ण शब्द

सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान वेतन नियम	फीस	सामान्य नियम	वैयक्तिक वेतन	वेतन नियम
वास्तविक यात्रा र्खच	फीडर पद	सामान्य नियम	समयपूर्व सेवानिवृत्ति	सामान्य नियम
अतिरिक्त वेतनवृद्धि	अन्तिम भुगतान	भविष्य निधि	विहित प्राधिकारी	दंड एवं अपील नियम
अग्रिम वेतनवृद्धि	प्रथम नियुक्ति	सामान्य नियम	प्रकल्पित वेतन	वेतन नियम
अग्रिम	नियत चिकित्सा भत्ता	सामान्य नियम	प्रधान महालेखाकार	सामान्य नियम
आयु	विदेश सेवा	सामान्य नियम	परिवीक्षार्थी	सामान्य नियम
नियुक्ति प्राधिकारी	वृत्तिमूलक वेतनमान	वेतन नियम	प्रोफार्मा पदोन्नति	वेतन नियम
नियुक्ति प्राधिकारी	निधि	भविष्य निधि	यथानुपात पेंशन	पेंशन नियम
नियमित आधार पर नियुक्ति सामान्य नियम	राजपत्रित सरकारी कर्मचारी	सामान्य नियम	सार्वजनिक वाहन	यात्रा भत्ता नियम
मूल वेतन	सरकारी कर्मचारी	सामान्य नियम	पूर्ण रूप से अस्थायी सेवा	सामान्य नियम
बाल सेवा	मुख्यालय	भत्ता नियम	अर्हक सेवा	वेतन / पेंशन नियम
संवर्ग	पहाड़ी प्रतिपूर्ति भत्ता	सामान्य नियम	संगरोध अवकाश	अवकाश नियम
संवर्ग पद	छुट्टी	सामान्य नियम	सेवा छोड़ना	सामान्य नियम
आकस्मिक अवकाश	स्वनगर	पुनः नियमित पद	पुनः नियमित पद	सामान्य नियम
परिनिर्दा	मानदेय	हटाया जाना	हटाया जाना	दंड एवं अपील नियम
आरोपित व्यक्ति	अस्पताल अवकाश	किराया निःशुल्क आवास	किराया निःशुल्क आवास	भत्ता नियम
बालक	आवास किराया भत्ता	अवशिष्ट पेंशन	अवशिष्ट पेंशन	पेंशन नियम
पेंशन का सारांशीकरण	वेतनवृद्धि	अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति	अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति	सामान्य नियम
परिवर्तित अवकाश	परस्पर ज्येष्ठता	सेवानिवृत्ति पेंशन	पेंशन नियम	सामान्य नियम
अनुकूल्या वित्तीय सहायता	अवैध पेंशन	छंटनी	छंटनी	सामान्य नियम
प्रतिपूरक भत्ता	पद ग्रहण अवधि	सङ्घक दूरी भत्ता	सङ्घक दूरी भत्ता	भत्ता नियम
सक्षम प्राधिकारी	न्यायिक अधिकारी	सेवा पुरितिका	सेवा पुरितिका	सामान्य नियम
सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी	अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र	सेवा उपदान	सेवा उपदान	पेंशन नियम
सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी	अवकाश नकदीकरण	लघुतम मार्ग	लघुतम मार्ग	यात्रा भत्ता नियम
सेवा के पूर्ण वर्ग या एक वर्ग निरन्तर सेवा अवकाश नियम	अप्राप्य अवकाश	विशेष अशक्तता अवकाश	विशेष अशक्तता अवकाश	अवकाश नियम
समेकित रथानांतरण अनुदान यात्रा भत्ता नियम	किसी प्रकार का देय अवकाश	विशेष वेतन	विशेष वेतन	वेतन नियम
अनिवार्य सेवानिवृत्ति	अवकाश वेतन	सरकारी कर्मचारी का छुट्टी क्षेत्र	सरकारी कर्मचारी का छुट्टी क्षेत्र	सामान्य नियम
अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि	अवकाश	मानक किराया	मानक किराया	भत्ता नियम
पुष्टिकरण	सेवाकाल	संवैधानिक निकाय	संवैधानिक नियम	सामान्य नियम
संवित निधि	अनुज्ञिति फीस	हडताल	हडताल	सामान्य नियम
नियंत्रक अधिकारी	धारणाधिकार	अध्ययन अवकाश	अध्ययन अवकाश	अवकाश नियम
वाहन भत्ता	जीवन प्रमाण-पत्र	अंशदाता	अंशदाता	भविष्य निधि
उपशमन अवधि	स्थानीय निधि	पश्चात्वर्ती नियुक्ति	पश्चात्वर्ती नियुक्ति	सामान्य नियम
सामयिक कर्तव्य प्रभार	स्थानीय छुट्टी	निर्वाह भत्ता	निर्वाह भत्ता	सामान्य नियम
दैनिक भत्ता	स्थानीय दूरी भत्ता	अधिष्ठाई नियुक्ति	अधिष्ठाई नियुक्ति	सामान्य नियम
दिन	बाजार किराया	अधिष्ठाई वेतन	अधिष्ठाई वेतन	वेतन नियम
मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति उपदान	मास्टर वेतनमान	अधिवर्षिता पेंशन	अधिवर्षिता पेंशन	पेंशन नियम
डीच्च निलम्बन	पेंशन अंशदान के बदले अंशदान सामान्य नियम	पश्चात्वर्ती नियुक्ति	पश्चात्वर्ती नियुक्ति	सामान्य नियम
आश्रित	स्थानीय नियम	अधिष्ठाई वेतन	अधिष्ठाई वेतन	वेतन नियम
प्रतिनियुक्ति भत्ता	सामान्य नियम	अधिष्ठाई वेतन	अधिष्ठाई वेतन	पेंशन नियम
भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति	सामान्य नियम	अधिवर्षिता पेंशन	अधिवर्षिता पेंशन	सामान्य नियम
प्रतिनियुक्ति'	सामान्य नियम	अधिसंख्य पद	अधिसंख्य पद	सामान्य नियम
अकार्य दिवस	सामान्य नियम	निलम्बन	निलम्बन	सामान्य नियम
अनुशासिक प्राधिकारी	दंड एवं अपील नियम	अस्थायी सरकारी कर्मचारी	अस्थायी सरकारी कर्मचारी	सामान्य नियम
पदच्युति	दंड एवं अपील नियम	सामान्य नियम	सामान्य नियम	सामान्य नियम
आहरण तथा संवित्रक अधिकारी	आहरण	अस्थायी	अस्थायी	सामान्य नियम
झुट्टी रथल	यात्रा भत्ता नियम	सामान्य नियम	सामान्य नियम	सामान्य नियम
झुट्टी	सामान्य नियम	पदावधि	पदावधि	सामान्य नियम
अर्जित अवकाश	अवकाश नियम	सेवान्तर उपदान	सेवान्तर उपदान	पेंशन नियम
परिलाभों	पारिलाभों यात्रा भत्ता नियम	अस्थायी	अस्थायी	सामान्य नियम
परिलाभों	भत्ता नियम	सामान्य नियम	सामान्य नियम	सामान्य नियम
बढ़ी हुई परिवारिक पेंशन	पेंशन नियम	सामान्य नियम	सामान्य नियम	सामान्य नियम
प्रवेश स्तर वेतन	वेतन नियम	सामान्य नियम	सामान्य नियम	सामान्य नियम
संवर्ग बाह्य पद	सामान्य नियम	सामान्य नियम	सामान्य नियम	सामान्य नियम
सेवा में विस्तार	सामान्य नियम	सामान्य नियम	सामान्य नियम	सामान्य नियम
असाधारण अवकाश	अवकाश नियम	सामान्य नियम	सामान्य नियम	सामान्य नियम
पारिवारिक पेंशन	पेंशन नियम	सामान्य नियम	सामान्य नियम	सामान्य नियम
परिवार	सामान्य / पेंशन नियम	सामान्य नियम	सामान्य नियम	सामान्य नियम